खण्ड-329, अंक-3
मंगलवार, 10 कार्तिक, शक संवत् 1899
(1 नवम्बर, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 329 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
दि प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्यों को डाक्टरी के लिए पंजीकृत कराने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	442
मुख्य मन्त्री एवं श्री एन0 एल0 गुप्त, उपसचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गोपन अनुभाग–2 के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	442–444
कारागार मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	444–447
दिनांक 26 सितम्बर, 1977 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में कृषि मन्त्री का शोधन वक्तव्य ..	447–448
दिनांक 26 सितम्बर, 1977 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	448–449
विभिन्न समितियों के सदस्यों के नाम-निर्देशन की सूचना	449–452
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1977 (पुरःस्थापित किया गया)	452
वाराणसी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	452–466
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 (पारित)	766–471
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियम 128 के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के प्रस्ताव पर आपत्ति ..	471–477
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियम 128 के प्रथम परन्तुक के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	477–478
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 (जनमत संग्रह के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव) (स्वीकृत)	478–495
नियम 5 1 के अन्तर्गत सूचनाएं	496
कानपुर के दैनिक 'आज' व 'जागरण' के मालिकों व व्यवस्थापकों द्वारा अपने कर्मचारियों के शोषण के सम्बन्ध में नियम 5 1 के अन्तर्गत वक्तव्य	496–505
राज्य में सीधी भर्ती द्वारा नौकरियों में 15 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन	505
वाराणसी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में चर्चा	505–530
विभिन्न समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना ..	500–531
उपाध्यक्ष के निर्वाचन का स्थगन	531
सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	531–532
नत्थियां	533–538

प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 1 नवम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—348

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
दल, श्री
दल सिंह, श्री
0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री

गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेई, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नत राम सिंह, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल शाक्य, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री

प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ना भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री

मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बहादुर यादव, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती

विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव राज सिंह "निर्भय", श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उफ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बक्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्ध)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव, गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 1 नवम्बर, 1977

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नक्सलपंथी बन्दियों की रिहाई की मांग

*1—श्री श्याम नारायन तिवारी (जिला गोरखपुर)—

सप्तम विधान सभा के (1977) के प्रथम सत्र दिनांक 20 जुलाई, 1977 के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बन्द नक्सलपंथी बन्दियों को राजनैतिक बन्दियों की संज्ञा देकर अन्य राज्यों की भाँति रिहाई के आदेश देने पर पुनः विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि जनपद गोरखपुर में 28 नक्सलपंथी बन्दी अभी तक रिहा नहीं किए गए? यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

नक्सलपंथी बन्दियों की रिहाई आदि से सम्बन्धित नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित ह। अभी तक सरकार से ऐसे कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं कि जो भी नक्सलपन्थी जेलों में बन्द हों उन्हें राजनैतिक बन्दियों की संज्ञा देकर रिहा कर दिया जाय। अन्ध राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में क्या आदेश निर्गत किए हैं इसकी सूचना राज्य सरकार को नहीं है।

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोरखपुर में इस समय कोई नक्सलपंथी बन्दी नहीं है।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मान्यवर, मेरी इस बात को सही मानकर कि गोरखपुर जनपद के हरिपुर गांव के 28 बन्दी जो विभिन्न जेलों में 13-14 वर्ष से सजा काट रहे हैं, एक ऐसे कान्ड में जिसमें जमींदारों और उनके गुन्डों ने किसानों के खलिहान पर हमला किया था?

श्री अध्यक्ष—

यह तो कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है। यह तरीका अनुपूरक प्रश्न का नहीं है। इसकी आप नोटिस दीजिएगा।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

29 लोग बन्द हैं तो जब उनको रिहा करन का प्रश्न आया तो जिलाधिकारी के यहां से रिपोर्ट लगायी गयी कि ये लोग नक्सलपंथी हैं इसलिए इनको न छोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों में कोई तर्क नहीं हुआ करता है। आप बैठ जाइए।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मैं जानना चाहता हूं कि मेरी इस बात को सही मानकर क्या इस पर पुनः विचार करेंगे और जो नक्सलपंथी बन्द हैं उनको छोड़ने के लिए जिलाधिकारी से रिपोर्ट मंगायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय सदस्य अगर यह लिखकर दे दें कि पिछले शासन ने, जिला प्रशासन ने इनको नक्सलपंथी लिखा था तो उसकी जांच करा लेंग।

श्री अध्यक्ष—

यह लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं कलेक्टर से सूचना मांग सकते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा लिखा है कि यह व्यक्ति नक्सलपंथी हैं।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या श्री घनश्याम शुक्ल सहित 25 व्यक्ति जो जिला जेल वाराणसी में बन्द हैं, उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह प्रश्न इससे नहीं पैदा होता है। वाराणसी का कोई नक्सलपंथी बन्द है, इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राम अचार (जिला आजमगढ़)—

जो श्री घनश्याम शुक्ला वाराणसी जेल में बन्द हैं, वह एम0 ए0 हैं लेकिन उनको 'बी' क्लास नहीं दिया गया है। क्या वाराणसी से जल्दी से जल्दी सूचना मंगा लेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इसकी सूचना मंगा लूंगा लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि कुल 14 आदमियों की सूचना मेरे पास उपलब्ध है। उनमें से 10 हरदोई के हैं और 4 गाजीपुर के हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी राष्ट्रीय स्तर के जनता पार्टी के नेता ने इन लोगों को छोड़ने के लिए पत्र-व्यवहार आपकी सरकार से किया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

ऐसा कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला ननीताल)—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार से ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके अन्तर्गत जो नक्सलपंथी जेलों में बन्द हैं, उन्हें राजनीतिक बन्दी की संज्ञा दी जाए। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने इन नक्सलपंथियों को राजनीतिक बन्दी की संज्ञा देने के लिए कोई संस्तुति भारत सरकार से की है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

ऐसी कोई संस्तुति नहीं की गई है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि यह भारत सरकार का काम है, दिनांक 20 जुलाई, 1977 को पहले भी इस सम्बन्ध में प्रश्न किया जा चुका है और अब पुन: किया जा रहा है। इस बीच क्या सरकार की तरफ से भारत सरकार को कोई पत्र लिखा गया है कि इन नक्सलपंथी बन्दियों के बारे में सरकार की क्या नीति है और प्रदेश सरकार इसके बारे में क्या कार्यवाही करे?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, भारत सरकार की तो इस सम्बन्ध में निर्धारित नीति है। प्रदेश सरकार ने इस बीच कोई पत्र भारत सरकार को नहीं लिखा ह।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि बरेली सेन्ट्रल जेल में 3, फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में 6, लखनऊ जिला जेल में 1, बस्ती जिला जेल में 1, मिर्जापुर सम्पूर्णानन्द शिविर में 11, वाराणसी सेन्ट्रल जेल में 32 तथा उन्नाव जिला जेल में 5 नक्सलपंथी कैदी बन्द हैं और इनके साथ साधारण कैदियों का सा व्यवहार किया जा रहा है?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह सही नहीं है। मैंने निवेदन किया था कि कुल 14 नक्सलपंथी प्रदेश की जेलों में हैं जिनमें से 10 हरदोई और 4 गोरखपुर के हैं। ऐसा लगता है कि कुछ साधारण कैदियों ने अब अपने को नक्सलपंथी कहना शुरू कर दिया है जब कि पहले उन पर पुराने नियम लागू थ। माननीय सदस्य को, हो सकता है कि देर से ऐसी जानकारी मिली हो फ़िलहाल मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि ....

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न पूछने का तरीका नहीं है। आपने तो पहले पांच मिनट ले लिए हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

अल्मोड़ा जिले की "बनड़ा" पेयजल योजना की टंकी की मरम्मत

*2--श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बनड़ा पेयजल योजना (गरुड़ बैजनाथ), जिला अल्मोड़ा में साढ़े आठ लाख रुपए के व्यय से सन् 1976-77 में पूरी हुई उसकी मुख्य टंकी फट गई है जिसके कारण उक्त पेयजल योजना का लाभ दो-तीन सौ ग्रामों को नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी अविलम्ब व्यवस्था करेगी और जांच कराकर सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही करेगी?

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

गरुड़ बैजनाथ (जिला अल्मोड़ा) में बनड़ा पेयजल योजना के नाम से किसी योजना का निर्माण नहीं किया गया है। हां, इस विकास क्षेत्र में एक 'बन्ना' नाम के गधेरे को श्रोत मानकर अम्बा लोहार चौड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण वर्ष 1976-77 में पूर्ण किया गया है। इस पर कुल रु0 8,435 लाख रुपये का व्यय हुआ है। इस योजना में ग्यारह राजस्व ग्राम तथा अन्य राजस्व ग्राम के दो थोक सम्मिलित हैं? यह सही है कि इसकी मुख्य टंकी में भू-स्खलन के कारण दरार पड़ गई थी जिसकी मरम्मत की जा चुकी है। अब टंकी में कोई दोष नहीं है और योजना में सम्मिलित सभी ग्रामों को पानी सुचारु रूप से मिल रहा है। चूंकि टंकी में दरार दैवीय आपदा के कारण पड़ी, अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

वाराणसी नगर के मुहल्ला रेउड़ी तालाब में बलवा एवं पुलिस द्वारा कथित लूट-पाट की जांच

*3—श्री ऊदल तथा श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 मुहल्ला रेउड़ी तालाब, थाना भेलूपुर, शहर वाराणसी में पुलिस, पी0 ए0 सी0 ने बड़े पैमाने पर घरों में घुसकर तोड़-फोड़ किया और बड़े पैमाने पर मारा और लूट-पाट किया तथा 32 व्यक्तियों को पकड़ कर जेल में डाल दिया, गोली मारी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या वहां के नागरिकों ने जिलाधीश, एस0 एस0 पी0 तथा डी0 आई0 जी0, वाराणसी को तथा मुख्य मन्त्री को प्रार्थना-पत्र भेज कर न्यायिक जांच की मांग की है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 को थाना भेलूपुर पर प्रधानाचार्य, एंग्लो बंगाली इन्टर कालेज ने टेलोफोन द्वारा सूचना दी कि कालेज के मैदान में मुहल्ला रेउड़ी तालाब के कुछ बाहरी लोग घुस आए हैं। इन लोगों ने गत शाम को विद्यार्थियों के मना करने पर उनके यहाँ के एक अध्यापक को मारा तथा पुन: मना करने पर उन लोगों ने छात्रों को मारा-पीटा तथा पथराव कर रहे हैं। इस सूचना पर कुछ पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उक्त कालेज में गए तथा पाया कि छात्रों पर कुछ लोग पथराव कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने लोगों को समझाया बुझाया परन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ। अत: थाने से कुछ अतिरिक्त पुलिस बुलवाई गई और बलवाइयों को खदेड़ते हुए मुहल्ला रेउड़ी तालाब फोर्स गई और 6 : व्यक्तियों को ढेला फेंकते हुए गिरफ्तार किया गया परन्तु इसी बीच बलवाइयों ने उन्हें छुड़ा लिया और पुलिस पर हमला किया तथा एक सब इन्सपेक्टर का रिवाल्वर व घड़ी आदि छीन ली।

सब-इंस्पेक्टर द्वारा दी गई उक्त सूचना पर एक मुकदमा धारा 147/148/149/323/324/332/307/336/337/224/225/427/395/397 भा0 दं0 वि0 के अधीन थाना भेलूपुर पर कायम किया गया है। इसकी विवेचना हो रही है। घटना स्थल पर 35 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

बाद में उक्त घटना के बारे में प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायती विषयक मुहल्ला रेउड़ी तालाब डेवड़ियावीर (वाराणसी) के निवासीगण का एक दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 को जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ जिस पर जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी के आदेशानुसार मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है।

मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही जांच पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 14 अक्तूबर, 1977 को जो प्रार्थना-पत्र सरकार को मिला उसमें करीब 14 घरों के लूटने, रुपया, गहना आदि काफी सामान और रुपए उठाए जान का चार्ज पुलिस और पी० ए० सी० पर लगाया गया और लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ने और उनको मारने-पीटन का भी चार्ज लगाया गया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह सही है। प्रार्थना-पत्र बहुत लम्बा है और बहुत लम्बी सूची है। इसमें इस प्रकार के एलीगेशन्स हैं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैंने स्वयं जाकर 15-20 मकानों को देखा है जिनमें दरवाजे, खिड़कियों, आल्मारियों और सन्दूक आदि तोड़े गए थे। जैसा कि शिकायत में लिखा गया है। कम से कम 1 लाख रुपए का वहां पर नुकसान हुआ है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में जांच हो रही है। इसकी भी जांच मैजिस्ट्रेट ही करेंगे, लेकिन अगर माननीय सदस्य उससे सन्तुष्ट न हों और चाहते हों कि जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई जाय, तो वह भी करवा ली जाएगी ।

श्री ऊदल—

मजिस्ट्रेट तो इस घटना की जांच कर रहे हैं। जिन लोगों के घरों को लूटा गया और उनके सामान को पुलिस वाले उठा ले गए हैं, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि वे इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करा लेंगे, मैं भी चाहता हूं कि इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई जाय ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

घटना की जांच तो मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं, इसकी भी जांच वे ही करेंगे लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं, इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा करा ली जायगी।

श्री श्याम धर मिश्र—

क्या यह सही ह कि रेउड़ी तालाब खेल के मैदान के निकट स्थित है। खेल का मैदान खुला हुआ है जिसमें होकर लोग आते जाते रहते हैं और आज भी आते जाते हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

सही होगा। मैंने तो नहीं देखा है।

श्री श्यामधर मिश्र---

मैंने तो देखा है उस स्थान को और यह सही है मैं जानना चाहता हूं (व्यवधान) पूछ इसलिए रहा हूं कि शत्रुद्ध प्रकाश जान लें, सरकारी रेकार्ड में आ जाय, इन लोगों ने क्या शाम को विद्यार्थियों के मना करने पर उनके यहां एक अध्यापक को मारा था? क्या यह वही अध्यापक हैं जो ऐंग्लो बंगाली कालेज में आर० एस० एस० की शाखा का प्रशिक्षण करते हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह---

ऐसी तो कोई सूचना नहीं है कि वह आर० एस० एस० की शाखा की ट्रेनिंग देते हैं।

श्री श्याम धर मिश्र---

35 व्यक्ति पकड़े गये, एक आदमी को गोली लगी। क्या यह सही है कि 35 आदमी एक संम्प्रदाय के जो पकड़े गए, वह इसलिए पकड़े गये कि पी० ए० सी० से इनसे नहीं बनी? मैं नाम नहीं लेता, सम्प्रदाय वालों का। एक को गोली लगी और गोली 12 दिन तक निकाली नहीं गयी और मैंने शून्य प्रहर में इसी सदन में सूचना का विषय उठाया आज तक कोई सूचना नहीं मिली। आज तक गोली निकाली नहीं गयी। क्या यह सही है और 35 लोगों की जमानत हुई या नहीं?

श्री लक्ष्मण सिंह---

यह कहना सही नहीं हैं कि एक सम्प्रदाय के 35 आदमी पकड़े गए। विभिन्न सम्प्रदाय के लोग हैं, विभिन्न जातियों के हैं और किसी को गोली लगी, ऐसी कोई सूचना नहीं है। जमानत पर रिहा हो चुके हैं।

कई सदस्य---

धीरे से कह रहे हैं, कुछ सुनने में नहीं आ रहा है।

श्री राम अधार---

मैं जानना चाहता हूं जैसा कि कहा गया है कि 35 आदमी पकड़े गए तो उसके पूर्व ऐंग्लो बंगाली कालेज के छात्र जो मैदान में खेल रहे थे, क्या उन पर भी आबादी के लोगों ने हमला किया, जिसमें 16-17 छात्र घायल हुए और घायल होने के बाद पुलिस आयी?

श्री लक्ष्मण सिंह---

यह सही है कि मुहल्ले के लोगों ने छात्रों पर भी हमला किया और छोटे-छोटे विद्यार्थियों को चोटें आयी थीं।

श्री राजबली तिवारी (जिला वाराणसी)---

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जिस समय वहां झगड़ा शान्त करने का प्रयास चल रहा था तो कांग्रेसी उस झगड़े को भड़काने का प्रयत्न कर रहे थे?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न करने की मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐंग्लो बंगाली कालेज के क्रीड़ांगन में जहां खेल होता है, क्या ऐसी पहले भी शिकायत आयी है कि खेल के कार्यक्रमों की इस तरह की गतिविधियों से परेशानी होती है? क्या इस सम्बन्ध में सरकार कुछ कर रही है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

पहले ऐसी कोई गम्भीर शिकायत नहीं आयी।

श्री देव बहादुर सिंह—

उत्तर से सम्बन्धित। इसके बारे में जितने भी विचार व्यक्त किए गए, उनसे ऐसा लगता है कि मामला गम्भीर है, तो इसकी गम्भीरता को देखते हुए क्या न्यायिक जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इसमें न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है, साधारण घटना है।

श्री श्यामधर मिश्र—

पुलिस पर आरोप है। पुलिस द्वारा जांच नहीं होनी चाहिए, जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए।

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

व्यवस्था का प्रश्न

(तारांकित प्रश्न संख्या 4 के लिए श्री अध्यक्ष द्वारा श्री संगमलाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रणजीत सिंह "जूदेव" (जिला झांसी)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने इसमें लिखा है "यूथ कांग्रेस के कुछ गुण्डों"। यह असंसदीय है और ऐसे प्रश्न को स्वीकार नहीं करना चाहिए। माननीय मन्त्री जी ने भी इसके जवाब में कहा है, "यूथ कांग्रेस के कुछ गुण्डे तथा असामाजिक तत्वों ....."। "गुण्डा" शब्द किसी सामाजिक या राजनीतिक संस्था के लिए प्रयोग करना उचित नहीं ह।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। प्रश्नों के समय यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं हैं।

श्री रणजीत सिंह "जूदेव"—

गुण्डा कहा जाय, यह आप परमिट करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। जो उन्होंने उत्तर दिया है, गुण्डा कोई असंसदीय शब्द नहीं है।

आप बैठिए।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों पर कोई व्यवस्था नहीं । आप बैठ जाइए ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

आप सुनें तो सही ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए । आप सदन का समय नष्ट करते हैं । आप बैठिए ।

श्री अजीत सिंह सेठी—

आप मेरी बात तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए ।

श्री रणजीत सिंह "जूदेव"—

आप व्यवस्था दे दें कि गुण्डा शब्द सही है, तो हम बैठ जायं ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठिए । रणजीत सिंह जी, आप कृपया शान्ति बनाए रखें और बातचीत न करें ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

प्रतापगढ़ स्थित महाविद्यालय के छात्र संघ का अनशन एवं प्रबन्धक के घर पर पथराव

*4—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 अक्तूबर, 1977 को प्रतापगढ़ नगर स्थित डिग्री कालेजों तथा कथित छात्र संघ की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कुछ गुण्डों तथा असामाजिक तत्वों की हिंसक भीड़ ने डिग्री कालेज पर तथा उसके अध्यक्ष (श्री मुनीश्वरदत्त उपाध्याय) के मकान पर पुलिस तथा परगनाधीश, सदर की मौजूदगी में पथराव किया तथा मकान के शीशे, कुर्सियां आदि तोड़कर क्षति पहुंचायी ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में सूचना अध्यक्ष (श्री मुनीश्वर दत्त) द्वारा पहले ही दी जा चुकी थी ? यदि हां, तो जिला अधिकारी ने तत्काल क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह कहना सही नहीं है कि दिनांक 7 अक्तूबर, 1977 को प्रतापगढ़ नगर स्थित स्नातकोत्तर महाविद्यालय के तथाकथित छात्र संघ की मांगों को लेकर यूथ कांग्रेस के कुछ गुण्डे तथा असमाजिक तत्वों की हिंसक भीड़ ने डिग्री कालेज पर तथा उसके अध्यक्ष

[श्री लक्ष्मण सिंह]

श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्यक्षय के मकान पर पुलिस तथा परगनाधिकारी की उपस्थिति में पथराव किया तथा मकान के शीशे, कुर्सियां आदि तोड़ कर क्षति पहुंचाई।

वास्तविकता यह है कि उक्त तिथि को छात्र संघ की मांगों को लेकर जो छात्र क्रमिक अनशन पर बैठ थे उनके विरोध में प्रबन्धक एवं प्राचार्य के समर्थक तिलक कालेज के कुछ अध्यापक एवं छात्रों ने अनशनकारियों के बिस्तर आदि फेंक दिए। महाविद्यालय के अधिकांश छात्र अनशनकारियों के समर्थन में कक्षाओं से बाहर आ गए जिनके दो गुटों में हुल्लड़बाजी तथा कुछ पथराव हुआ। उस समय श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय द्वारा, जो उस महाविद्यालय के प्रबन्धक हैं, जिलाधिकारी को टेलीफोन किया गया जिस पर कालेज में परगनाधिकारी, सदर को भेजा गया और अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गयी जिसके फलस्वरूप स्थिति को नियन्त्रण में कर लिया गया तथा किसी पक्ष के किसी छात्र को कोई चोट नहीं आयी और न ही कालेज की सम्पत्ति को कोई क्षति ही पहुंची।

इसके उपरान्त छात्रों ने छात्र संघ के समर्थन तथा महाविद्यालय के प्रबन्धक के विरोध में एक जुलूस निकाला जिसका नेतृत्व युवा कांग्रेस के सदस्यों के बजाय युवा जनता के सदस्य कर रहे थे। यह जुलूस जिलाधिकारी से मिलने तथा प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत करने कचहरी की ओर चल पड़ा। उक्त जुलूस के साथ पूरा पुलिस प्रबन्ध था तथा एक परगनाधिकारी एवं एक उप पुलिस अधीक्षक को भी जुलूस के साथ तैनात किया गया था।

जुलूस जिस रास्ते से जा रहा था उसके पास ही श्री मुनीश्वरदत्त उपाध्याय का मकान था। जुलूस का एक भाग अचानक उनके मकान की ओर मुड़ गया और कुछ पथराव किया। तुरन्त ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियन्त्रण किया और जुलूस पुनः कचहरी की ओर चल पड़ा। पथराव में श्री उपाध्याय के मकान के कुछ शीशे व बल्ब टूट गए। स्थिति को देखते हुए छात्रों पर बल प्रयोग करना उचित नहीं समझा गया।

इस घटना के सम्बन्ध में श्री उपाध्याय की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ जिसमें चार प्रमुख छात्र नेताओं की गिरफ्तारी तुरन्त कर ली गयी। अभियोग की विवेचना हो रही है।

श्री संगम लाल—

माननीय मन्त्री जी न अपने उत्तर के पैराग्राफ 1 में यह बताया है कि यह कहना सही नहीं है कि श्री मुनीश्वर उपाध्याय के मकान पर पुलिस तथा परगनाधिकारी की उपस्थिति में यूथ कांग्रेस के कुछ गुंडों ने पथराव किया और मकान के शीशे तोड़े। किन्तु पैराग्राफ 4 में यह स्वीकार किया है कि जुलूस जिस रास्ते से जा रहा था उसके पास ही श्री मुनीश्वर दत्त उपाध्याय का मकान था। जुलूस का एक भाग अचानक उनके मकान की ओर मुड़ गया ओर कुछ पथराव किया। तो दोनों बातों में कौन-सी बात सही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

बात दोनों सही हैं। इन्टरप्रीटेशन का प्रश्न है। प्रश्न यह था कि पलिस तथा परगनाधिकारी की मौजूदगी में पथराव आदि किया? इस बार में उत्तर दिया गया

था कि यह सही नहीं है। जुलूस जब जा रहा था, तो पुलिस अधिकारी व परगनाधिकारी उसके साथ थे। जुलूस के एक हिस्से ने पथराव कर दिया। मगर परगनाधिकारी की मौजूदगी में हुआ या उनकी शय से हुआ ऐसा नहीं है, यह कहा गया।

श्री संगम लाल—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब श्री मुनीश्वरदत्त उपाध्याय ने पहले से सूचना दे दी थी कि प्रदर्शनकारी ऐसा करने जा रहे हैं, तो पुलिस न और अधिकारियों ने जुलूस को उनके मकान की ओर जाने की अनुमति क्यों दी, क्योंकि उनकी यह शिकायत ही थी कि यह लोग आक्रामक हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह—

अनुमति नहीं दी गयी। लोग अचानक चले गए।

श्री संगम लाल—

क्या माननीय मन्त्री जी, मेरी इस सूचना को सही मानकर कि वहां के जिलाधिकारी व अधिकारीगण जानबूझकर कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं तथा वहाँ के बदमाश और असामाजिक तत्वों को प्रश्रय दे रहे हैं और यह सब जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, क्या इस सारी घटना की जाँच सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा करायेंगे और दोषी अधिकारियों को दंडित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह सुझाव है, प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

यह बात सही है कि हमारे प्रदेश के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री मुनीश्वर उपाध्याय ने इस आशय की सूचना पहले से अधिकारियों को दे दी थी, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री जी अधिकारियों के विरुद्ध सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसको इस तरह पूछिए कि क्या श्री उपाध्याय जी ने पुलिस को इस बात की सूचना पहले से दी थी कि उनके घर को खतरा है। यदि ऐसा है तो पुलिस ने उनके बचाव के लिए क्या प्रयास किया ? मन्त्री जी कृपया इसका उत्तर दें।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, ऐसी तो कोई सूचना नहीं आयी, लेकिन जब लोग आ गए, तो उन्होंने टेलीफोन किया, यह सूचना है। अब अगर माननीय सदस्य की यह सूचना है, तो हम और इसकी विस्तृत जानकारी करा लेंगे।

श्री श्याम धर मिश्र—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर में है कि इसके उपरान्त छात्रों ने छात्र संघ के समर्थन तथा महाविद्यालय के प्रबन्धक के विरोध में एक जुलूस निकाला जिसका नेतृत्व युवा कांग्रेस के सदस्यों के बजाय युवा जनता के सदस्य कर रहे थे और तोड़-फोड़ हुई। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या युवा जनता में कुछ गुंडे भी हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए।

जहाँ तक प्रश्न गुंडों का है, वह गुंडे किसी दल की मानोपली नहीं है 'हर दल में हो सकते हैं।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, उनको कहने दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, श्यामधर मिश्र जी का प्रश्न यह है कि युवक कांग्रेस की जगह जनता युवक नेतृत्व कर रहे थे।

श्री लक्ष्मण सिंह—

नेतृत्व तो करते ही हैं, जनता वाले।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि इस तोड़-फोड़ और पथराव के सम्बन्ध में 4 गुंडों को गिरफ्तार किया गया है। क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि 4 जो गुंडे गिरफ्तार किए गए, वे युवा कांग्रस के सदस्य थे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी मैं मान्यता नहीं देता। माननीय मन्त्री जी के पास कौन-कौन, किस पार्टी के कितने गुन्डे हैं, इसकी तो सूची नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मेजोरिटी उस तरफ है।

सचिवालय के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के महानगर व बादशाहनगर कालोनी के क्वार्टर

*5—श्री श्यामधर मिश्र, श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया), श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर), श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद), श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा), श्री ऊदल, श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली) तथा श्री सन्त बक्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय कालोनी, महानगर-बादशाहनगर, लखनऊ में कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो सेवा निवृत्त हो गए हैं और अभी भी अपने आवंटित सरकारी आवास गृह में रह रहे हैं तथा क्वार्टर खाली नहीं कर रहे हैं इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस महानगर और बादशाहनेगर, लखनऊ में जहाँ पर सरकारी कर्मचारी सेवा-निवृत्त हुए हैं, बहुत से सेवा-निवृत्त कर्मचारी वहाँ पर रह रहे हैं। बहुत से कर्मचारी इस तरह से रह रहे हैं। तो इसमें सूचना इकट्ठा की जा रही है

यह तो उत्तर मिलेगा। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है, उनको निकाले जाने की क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

माान्यवर, मैंने निवेदन किया कि सूचना एकत्र की जा रही है। अफसर ही केवल नहीं रह रहे हैं, बहुत से कांग्रेसी भी रह रहे हैं।

श्री श्याम धर मिश्र—

मैंने तो अफसरों के बारे में पूछा है, जब कांग्रेसी के बारें में पूछूंगा तब वह जवाब देंगे।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, 13 सितम्बर, 1977 को यह प्रश्न पूछा गया था, सिर्फ महानगर और बादशाहनगर दो ही मोहल्लों का सवाल है, स्टेट डिपार्टमेंट यहीं है, यहीं पर सारे कागजात हैं, इतने छोटे प्रश्न के बारे में इतना समय लग गया। मैं चाहता हूं कि कल या परसों के लिए इसको रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर असन्तोषजनक है। चूंकि यह लखनऊ से सम्बन्धित है और इतनी बड़ी सरकारी मशीनरी है, अगर कोई उत्तर नहीं दे सकते, तो यह तो उनकी कार्य-क्षमता पर बड़ा ही एडवर्स रिफ्लेक्शन है, सरकारी कर्मचारी जो हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनके साथ पक्षपात हो रहा है। यह उचित नहीं लगता है। कृपया इसका उत्तर अगर परसों तक सदन रहता है, परसों तक कोशिश कीजिए, इसका उत्तर दे दीजिए। अब इसको स्थगित किया।

बस्ती जिले में हाकिम विहीन मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की अदालत

*6—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बस्ती जिले के तहसील नौगढ़ के हेड क्वार्टर पर जो मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की अदालत है। उसमें कई महीने से कोई हाकिम नहीं है जिसके कारण उस तहसील की जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है तो क्या सरकार शीघ्र वहां पर मुंसिफ मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

उच्च न्यायालय से सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस चीज की सूचना एकत्र की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, यह सवाल तो साफ है कि कितने दिनों से वहां मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं है। तो इसमें आप क्या सूचना एकत्र कर रहे हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि यह हाई कोर्ट से सम्बन्धित है इसलिए इसी 31 तारीख को टैलेक्स भेज दिया गया है और इसके पहले भी हाई कोर्ट को लिखा जा चुका है। 31 तारीख को जो टैलेक्स किया गया है उसमें साफ-साफ लिखा गया है कि ऐटवन्स सूचना भेजी जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, आपको यह उत्तर देना चाहिए था कि वहाँ कोई हाकिम नहीं है और हम कोर्ट को लिख चुके हैं। आप तो कहते हैं कि आप सूचना एकत्र कर रहे हैं। यह आपका उत्तर सही नहीं है। उत्तर यह बतलाते कि वहाँ कोई हाकिम है या नहीं।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ऐटवन्स कहा है, अंग्रजी में।

श्री अवधेश प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रश्न का सम्बन्ध मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट से है और मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट के बारे में जानकारी हम हाई कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा हमने निवेदन किया है कि हाई कोर्ट को लिखा जा चुका है और उसका जब कोई उत्तर नहीं आया, तो इसी 31 तारीख को रिमाइन्डर के तौर पर फिर लिखा जा चुका है कि इसमें सूचना दी जाय। तो मान्यवर, हाई कोर्ट से जब जवाब आ जायेगा तभी माननीय सदन और माननीय सदस्यों को बताया जा सकता है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी वहाँ के जिलाधीश से पता करेंगे या डिस्ट्रिक्ट जज से पता करेंगे कि वहाँ पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की अदालत होते हुए, मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ एक मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति हेतु हाई कोर्ट को लिखें।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं ?

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जल्दी मालूम हो जायगा। डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा यह पूछ लें कि मुंसिफ मैजिस्ट्रेट वहाँ है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं कह चुका हूं कि माननीय मन्त्री जी का उत्तर असन्तोषजनक है। इसका उत्तर होना चाहिए था कि वहाँ पर कोई मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट नहीं है, या है। अगर नहीं है, तो उत्तर आपका दूसरा ठीक है कि हमने हाई कोर्ट को लिखा है। तो यह तो सूचना आपकी जुडीशियल ब्रांच में होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई है या नहीं ? तो यह उत्तर आपका सही नहीं है।

श्री देवबहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि नौगढ़ के हेडक्वार्टर की अदालत पर कई महीनों से मन्सिफ मैजिस्ट्रेट नहीं है, तो क्या बतायेंगे कि वहाँ कब से मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट नहीं है ?

श्री अवधेश प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने निवेदन किया कि वहाँ पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट है या नहीं है इसकी जानकारी हमें हाई कोर्ट के माध्यम से होती है। चूंकि हाई कोर्ट को लिखने में, हाई कोर्ट से कारस्पान्डेन्स करने में हमारी तरफ से किसी तरह से, विलम्ब नहीं हुआ है इसलिए जब हाई कोर्ट से सूचना आ जायगी तब बतलाया जायगा।

(शोर और हंसी)

न्याय तथा कारागार मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मान्यवर, जैसा मन्त्री जी ने कहा कि जुडीशियरी के बारे में डाइरेक्ट कोई चीज नहीं जानी जा सकती है। तो हाई कोर्ट के माध्यम से कहीं पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट है या नहीं, इसकी सही जानकारी प्राप्त करके जल्दी ही बतला दी जायगी। लेकिन यह बात सत्य है कि जितने मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट के कोर्ट हैं, उनको देखते हुए मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट की संख्या कम है। नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है। इसलिए कहीं बिल्कुल नहीं हैं, तो वहाँ भेजने के लिए आग्रह किया जायगा। कमी के सम्बन्ध में हाई कोर्ट से लिखा पढ़ी होती रहती है, तो एडजस्ट करते रहते हैं। मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों की जितनी संख्या में आवश्यकता है उतने नहीं हैं, कम हैं।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

आप तो तर्क करते हैं। उन्होंने कहा कि जो सूचना देनी चाहिए वह नहीं है। मैं संसदीय कार्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह आपके जुडिशियल ब्रांच का कर्तव्य था। हाई कोर्ट नियुक्ति करता है यह बात सही है। लेकिन शासन को यह न पता हो कि वहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट जज है कि नहीं, मुन्सिफ है कि नहीं, तो कल को यह पता नहीं होगा कि कलेक्टर है कि नहीं। यह तो अत्यन्त हास्यास्पद स्थिति है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, ऐसा लगता है कि मन्त्री जी को इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि यह सूचना तो अवश्य दे देनी चाहिए थी कि वहाँ मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट हैं कि नहीं। यदि नहीं हैं, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नौगढ़ तहसील के हेडक्वार्टर पर जो मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट से सम्बन्धित मुकदमे हैं, वह कहाँ दायर होते हैं और उसकी हियरिंग कौन अदालत कर रही है या उसका काम कब से बन्द पड़ा है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है चूंकि सूचना नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

पिथौरागढ़ जिले के सातशिलिंग--थल तथा देवथल--पीपली मार्ग में ली गयी भूमि का मुआवजा

*1--श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़) (अनुपस्थित)--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बागेश्वर अस्कोट, सातशिलिंग, थल तथा देवथल-पीपली मोटर मार्ग का निर्माण करने में वहाँ के कितने काश्तकारों की नाप भूमि में होकर निर्माण कार्य किया गया है ? क्या इस भूमि का नियमित रूप से विभाग द्वारा अधिग्रहण कर मुआवजे का भुगतान किया जा चुका ह ? क्या मुआवजा न मिलने की विभाग के पास काश्तकारों के शिकायती-पत्र हाल ही में आए हैं ? यदि हाँ, तो सरकार इन सबका भुगतान कब तक कर देगी ?

श्री शोबन सिंह जीना--

जिला पिथौरागढ़ में सातशिलिंग-थल मोटर मार्ग--

इसका निर्माण स्थानीय 1496 कृषकों की कुल 38.979 एकड़ नाप भूमि में किया गया। इसमें से 29.38 एकड़ भूमि का 1,42,386.46 रुपए प्रतिकर के रूप में 753 कृषकों को भुगतान किया जा चुका है। शष 743 व्यक्तियों को अभी रु0 45,996.38 का भुगतान किया जाना बाकी है ।

अभी हाल में प्रतिकर भुगतान हेतु 20 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से दो व्यक्तियों को भगतान कर दिया गया है, एक व्यक्ति ने निर्धारित प्रतिकर स्वीकार नहीं किया है तथा शेष 17 व्यक्तियों से उनके दावों का प्रमाण-पत्र मांगा गया है ।

देव थल-पीपली मोटर मार्ग--

इस मार्ग के लिए अभी कोई भूमि अर्जित नहीं की गई है ।

बागेश्वर-अस्कोट मोटर मार्ग--

इस मार्ग के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो पायी है और एकत्र की जा रही है ।

पुलिस सब इन्सपेक्टर के पद हेतु भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण एवं नियुक्ति

*2--श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनाँक 26 जून, 1976 को 'दैनिक जागरण' गोरखपुर संस्करण में पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती का कोई विज्ञापन प्रकाशित हुआ और उसमें 10 प्रतिशत स्थान शासन द्वारा सेना के वियोजित कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने का प्राविधान किया गया ? यदि हाँ, तो सेना के वियोजित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, कितने उत्तीर्ण हुए और कितने नियुक्त किए गए ? यदि किसी की नियुक्ति स्थान रिक्त होते हुए नहीं हुई तो इसका क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जी हाँ। केवल दस ऐसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए थे जिनमें से चार अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं के अभाव में अप्राप्त पाए गए। शेष छ: अभ्यर्थियों को चुन लिया गया और प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है। स्थान रिक्त रहते हुए नियुक्त न किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि विज्ञापन निकलने के बाद, आवेदन-पत्र देने के बाद, टेस्ट होने के बाद, इन्टरव्यू होने के बाद नियुक्ति के समय उन 4 आदमियों के अपात्रता का प्रश्न सरकार के सामने कैसे आया ? यदि अपात्र थे, तो उस विज्ञापन के अनुसार उनको इन्टरव्यू में या रिटेन टेस्ट में क्यों बुलाया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, 4 में से तीन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक पायी गयी और एक व्यक्ति का जो फौज का रिकार्ड था, वह ठीक नहीं पाया गया। नियुक्ति के पहले यह जाँच की गयी। यह हो सकता है कि माननीय सदस्य का सुझाव ठीक हो कि शुरू में प्रार्थना-पत्रों की चेकिंग कर लेनी चाहिए थी। लेकिन जवाब देते समय मैं इस विवरण में नहीं गया कि किस अधिकारी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जो स्थिति थी उसको मैंने निवेदन किया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि यह सारी गड़बड़ी इस विभाग के द्वारा हुई है। इन नियुक्तियों में जितने लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनकी उम्र अधिक थी, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो विज्ञापन निकला है उम्र के लिए, वह और जो इनकी उम्र है, उन दोनों में क्या अन्तर है, जिसके कारण यह अपात्र घोषित किए गए ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने 3 के बारे में निवेदन किया था कि एक श्री राजेन्द्र देव दीक्षित मैनपुरी जिनकी आयु, सीमा से अधिक थी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जो विज्ञापन में उम्र दी गयी थी, उसके अनुसार उनकी उम्र है कि नहीं या उससे अधिक है ? यदि विज्ञापन के अनुसार है, तो उनको लेना चाहिए था। क्या विज्ञापन में दी गयी उम्र, में और इनकी उम्र में कोई अन्तर है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह विज्ञापन में दी गयी आयु से अधिक के थे। इनका प्रार्थना-पत्र आया था और इनको इन्टरव्यू में बुलाया गया। इन्टरव्यू में बुलाने से पहले ही इसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यह गलती हुई और इसके कारण उनको कठिनाई हुई। वस्तु-स्थिति यह है कि उनकी उम्र अधिक थी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने जो सवाल पूछा था और जैसा कि अध्यक्ष जी ने ठीक समझा वह यह था कि जो विज्ञापन निकाला गया था और जो आवेदन-पत्र दिए गए थे, क्या यह आवेदन-पत्र उसी विज्ञाप।

के अनुरूप था ? यदि हाँ, तो फिर इनकी नियुक्ति में सरकार को क्या कठिनाई थी? अगर कोई गलती हुई तो सरकार की तरफ से हुई।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न का उत्तर साफ हो जायगा यदि आप यह बतला दें कि विज्ञापन की उम्र क्या है और मैनपुरी का जो व्यक्ति नहीं लिया गया, उसकी उम्र क्या है ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैनपुरी का ही नहीं, तीनों ही आदमी नहीं लिए गए।

श्री लक्ष्मण सिंह—

आयु तथा शैक्षिक अर्हता में शिथिलता। यह अंग्रेजी में है फार एप्वाइन्टमेन्ट, रिजर्व्ड वैकेन्सीज ....

श्री कल्पनाथ सिंह—

अखबारों में हिन्दी में निकलता है।

श्री अध्यक्ष—

आप इसमें समय न लें। वह हिन्दी कर देंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह—

हिन्दी में इस प्रकार है। आयु तथा शैक्षिक अर्हता में शिथिलता, आयु-आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए किसी भूतपूर्व सैनिक को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त जिसके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो, तो यह समझा जायगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है। तीन वर्ष की छूट दी गयी थी। प्रार्थना-पत्र के समय उनकी आयु अधिक थी और इनको इन्टरव्यू में नहीं बुलाया जाना चाहिए था। किन कारणों से यह गलती हुई और इनको बुलाया गया इसकी जाँच करा ली जायगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं जानना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—

उत्तर आ गया। जो निर्धारित उम्र है, उसमें तीन साल का अपवाद मिल सकता है। आपने उत्तर दे दिया कि अधिकारियों ने भूल की कि उनको ज्यादा उम्र होते हुए भी बुलाया।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

आयु के लिए उन्होंने यह भी दिया होगा कि किस दिनाँक को उनकी यह आयु होनी चाहिए। कितनी आयु थी और कितनी छूट मिली और वह दिनाँक कौनसी थी जिसको यह इतनी आयु होनी चाहिए थी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

प्रार्थना-पत्र की तिथि से।

श्री कल्पनाथ सिंह—

पालीवाल जी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष——

मन्त्री जी, कृपया आप देख ले कि इसमें कोई अनियमितता तो नहीं हुई ।

श्री लक्ष्मण सिंह——

इसकी जाँच करा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह जो फालतू काउन्टिंग हो रही है इसके लिए कुछ अधिकारी जिम्मेदार थे, तो इसकी जाँच करा कर जिम्मेदार सुनिश्चित कर के उन अधिकारियों को दन्डित किया जायगा

श्री लक्ष्मण सिंह——

जाँच कराई जायगी अगर सम्भव हुआ तो। यह इसमें लिखा है जिसे मैं पहले छोड़ा गया था। आयु 1 जनवरी, 1977 को 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ....

श्री अध्यक्ष——

तीन वर्ष और ....

श्री लक्ष्मण सिंह—

तीन साल मिला कर 26 वर्ष से अधिक किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। उनको आयु 1 जनवरी, 1977 को 26 वर्ष से अधिक पायी गयी।

नैनीताल जिले की फलपट्टी योजना में लगाए गए वृक्ष एवं भूमि का रकबा

*3—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—

क्या वन मन्त्री यह बतायेंगे कि जिला नैनीताल की तहसील सदर में फलपट्टी योजना के नाम से वन पंचायत सुन्दरखाल द्वारा कितने एकड़ घने जंगल को काटा गया और इस काटे गए जंगल की भूमि पर फलों के कितने वृक्ष लगाए गए ? यदि नहीं लगाए गए, तो यह भूमि किन लोगों के कब्ज में किस आधार से पड़ी है ?

श्री श्रीचन्द—

जिला नैनीताल तहसील सदर में फलपट्टी योजना हेतु सुन्दरखाल वन पंचायत द्वारा कुल 75 एकड़ वन भूमि में पेड़ों का कटान किया गया और कटान की गई उक्त सम्पूर्ण भूमि पर 500 फलदार वृक्षों का रोपण किया जा चुका है । इस योजना हेतु हस्तान्तरित भूमि अनधिकृत व्यक्ति के कब्जे में नहीं है ।

*4—श्री शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि फल पट्टी योजना के नाम पर जितनी एकड़ वन भूमि जिला प्रशासन ने स्वीकृत की थीं, उसके तिगुनी वन भूमि के वृक्षों का कटान किया गया है ? यदि हाँ, तो इसमें दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए ?

श्री श्रीचन्द—

शासन द्वारा फलपट्टी योजना हेतु शुरू में 40 एकड़ वन भूमि स्वीकृत की गयी थी लेकिन मौके पर नाप जोख की गलती के कारण 75 एकड़ पर सफाई

हो जाने के फलस्वरूप बाद में कुल 75 एकड़ की स्वीकृति दे दी गई । इसी भूमि को आवंटित किया गया है । इसके अतिरिक्त किसी वन भूमि के वृक्षों का कटान नहीं किया गया है ।

*5—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री पूरन चन्द्र—

[दिनाँक 3 नवम्बर, 1977 के लिए स्थगित ।]

डी०आई०आर० एवं मीसा के बन्दियों को प्रदान की गयी सुविधाएं

*6—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि आपात स्थिति में डी० आई० आर० एव मीसा कानून के अन्तर्गत शिकार राजनैतिक बन्दियों को विशेष सुविधा देने का निर्णय शासन ने अभी हाल में लिया है ? यदि हाँ, तो सुविधायें क्या-क्या हैं एवं उन पर कब से अमल होगा ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

आपात स्थिति में डी० आई० आर० एवं मीसा कानून के अन्तर्गत शिकार राजनैतिक बन्दियों को निम्न सुविधायें देने का निर्णय लिया गया है :—

(1) ऐसे बन्दी, जिनकी आपातस्थिति के दौरान अथवा रि ा होने की तारीख के तीन महीने के भीतर या पुलिस की गोलीबारी के परिणाम-स्वरूप मृत्यु हो गयी हो, के परिवार के आश्रित सदस्यों को, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो, एक मुश्त अनुदान कम से कम रु० 5,000 तथा अधिकतम रु० 10,000 की सीमा में देने का निर्णय लिया गया है । अनुदान की धनराशियाँ मृतक के आश्रितों की संख्या, आयु तथा अन्य संहत परिस्थितियों को देखते हुए दी जायगी ।

(2) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए राजकीय सेवाओं में जो आरक्षण है उसी कोटे में राजनैतिक कारणों से कम से कम 6 महीने के लिए वास्तविक रूप से निरुद्ध व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को शामिल किया गया है ।

(3) प्रदेश में यात्री गाड़ियों के परमिट प्रदान करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी, अधिमानत : ड्राइवर, स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी या उनके आश्रित के साथ-साथ आपातस्थिति के दौरान केवल मीसा के अधीन निरुद्ध राजनैतिक बन्दी या उनके आश्रित के लिए 10 प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया गया है ।

(4) आवास तथा स्वायत्त शासन विभागों द्वारा निर्णय लिया गया है कि जून, 1975 से मार्च, 1977 तक आपातकालीन स्थिति में जो व्यक्ति राजनैतिक कारणों से मीसा एवं डिसिर के अन्तर्गत निरुद्ध थे और निरुद्धि के दौरान अथवा पैरोल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों को यदि उन के पास अपने आवास न हों व यदि सामान्य निवास स्थान नगरपालिका अथवा महापालिका के अल्प आय अथवा मध्यम आय वर्ग की आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध हों, तो उन्हें हायर पर्चेज पर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त आवास सामान्य किस्तों पर दिए जाने की सुविधा दी जाए ।

(5) कम से कम 6 माह तक नजरबन्द रहने वाले व्यक्तियों के आश्रितों के लिए प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों में सत्र 1977-78 से प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है।

(6) सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में वरीयता की व्यवस्था की गई है।

बहराइच जिले के भिन्गा रेंज (वन विभाग) में नाजायज पेड़ों के कटान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*7—श्री रामपति (जिला गोन्डा) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या वन मन्त्री को जानकारी है कि जुलाई, 1977 में भिन्गा रेन्ज, जनपद बहराइच का चार्ज डिप्टी रेन्जर को था, जिनके कार्यकाल में लगभग दस लाख रुपये के नाजायज पेड़ जंगलात से काट कर बेच गए? यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में उक्त रेन्ज के रेन्जर ने अगस्त, 1977 में कन्जरवेटर वन विभाग, गोरखपुर को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हाँ, तो उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीचन्द—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम पति—

क्या माननीय मन्त्री जी ..... (व्यवधान)..... जांच करायेंगे?

श्री श्रीचन्द—

अध्यक्ष महोदय, इसमें चेकिंग हो रही है। एस0 डी0 ओ0 चेकिंग कर रहे हैं। कटान की बात ज्यादा कही गयी है। पूरे जंगल की पूरी तरीके से जांच की जा रही है, जिसमें समय लगेगा पिछले मरतवा बरसात के मौसम की वजह से चेकिंग अच्छी तरह न हो पायी थी और इस महीने के आखिर तक यह कार्यवाही पूर्ण कर ली जायगी।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह बहराइच जिले के भिन्गा जंगलात का मामला है जहां दस लाख रुपए की नाजायज कटान हुई है और यहां तक कि 'नवजीवन' के 18 अगस्त, में भी सारी चीज निकली हुई थी। वहां पर इस समय इसकी कुन्डिंग हो रही है। उसमें केवल उसी क्षेत्र में काम कराया जा रहा है, जो कि माफीदार गांव थे। नाजायज कटान दूसरे जंगलों में हो रहा है, जो माफीदार नहीं थे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी डी0 एफ0 ओ0, बहराइच को इस बात के आदेश देंगे कि वह उन क्षेत्रों का भी कुन्डिंग करायें, जो माफीदार क्षेत्र में नहीं आते और इसकी रिपोर्ट देंगे?

श्री श्रीचन्द—

यह मामला काफी गम्भीर है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है पूरी कार्यवाही इसमें की जायेगी, मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मैं माननीय मन्त्री जी को निवेदन के साथ यह बतलाना चाहता हूं कि वहां पर जो डिप्टी रेन्जर महोदय थे वह पहले फोरेस्टर थे, फोरेस्टर के बाद डिप्टी रेन्जर बने और डिप्टी रेन्जर के बाद रेन्जर का कार्यभार उनको मिल गया ? उन्हीं के जमाने में सारी कार्यवाही हुई है। वह पहले भी वहीं तैनात थे । उनकी सारी एनुअल इन्ट्रीज रेड इंक की हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे रेन्जर की जिनकी सारी की सारी एनुअल इन्ट्री रेड रही हैं, जहां-तहां नाजायज कटान किया है जानकारी सदन को देंगे या नहीं देंगे ?

श्री श्रीचन्द—

अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित सदस्य ने जो कहा है कि आज कल रेन्जर हैं, पहले डिप्टी रेन्जर थे, उनको 3 अगस्त, 1977 से वहां से हटा दिया गया है । अब इस वक्त ज्वाला प्रसाद पांडे वहां पर हैं। उनके कार्यकाल में जो भी गलती हुई हैं उनकी जांच की जायगी।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि उनका ट्रान्सफर कर दिया गया है, यह बिल्कुल गलत है। उन का ट्रान्सफर केवल कागजों में किया गया। दूसरे को वहां चार्ज नहीं दिया गया है और जंगलों में जो नाजायज कटान हुआ था। बीड्स की जड़ें खोद कर मिटाने के लिए, निशान मिटाने के लिए, उनको वहां पर रोका गया है। क्या यह बात सही है और यदि सही है तो उनको दन्डित करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीचन्द—

अध्यक्ष महोदय, अवश्य दन्डित किया जायगा यदि यह बात साबित हो गयी।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह नाजायज कटान जिन रेन्ज आफीसर, डी० एफ० ओ० के क्षेत्र में हुआ है उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया जाता ? क्या मामला है ?

श्री श्रीचन्द—

अध्यक्ष महोदय, पूरी जांच होने के बाद ही यह कार्यवाही की जा सकती है।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

जब ये 10 लाख रुपए के पेड़ काटे गए, तो यह प्राइमा फेसाई केस बन गया लेकिन उसके बाद भी उनको निलम्बित नहीं किया गया बल्कि कागज पर ट्रान्सफर करके उनको वहां रहने दिया गया तो क्या मन्त्री महोदय इस मसले को पुनः देखेंगे कि उनके बिना निलम्बन के उनके पास सही रिपोर्ट नहीं आएगी ?

श्री श्रीचन्द—

जांच कराई जा रही है और जांच के दौरान अगर कुछ भी मामला प्राइमा फेसाई का बना तो उनको सस्पेंड कर दिया जायगा।

बहराइच जिले के भिन्गा जंगलात में पेपर मिल के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की कथित रिपोर्ट

*8—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या वन मन्त्री को जानकारी है कि डी० एफ० ओ०, बहराइच ने पिछले चार पांच वर्षों के अन्दर बहराइच जिले के भिन्गा जंगलात में बीस टन क्षमता वाले पेपर मिल के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की रिपोर्ट शासन को भेजी है? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीचन्द—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मेरी सूचना को सही मान कर क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि वर्ष 1972 में तत्कालीन वनाधीश, बहराइच ने 20 टन क्षमता की पेपर मिल बनाने के सम्बन्ध में शासन को सूचना भेजी थी?

श्री श्री चन्द—

डिवीजनल फारेस्ट आफिसर ने कोई प्रार्थना-पत्र इस तरह का सरकार को नहीं भेजा था। माननीय सदस्य अगर कोई निश्चित सूचना लिख कर देंगे, तो उसकी अवश्य जांच करा लूंगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या यह सही है कि भिन्गा जंगलात में 20 टन पेपर मिल को बनाने की क्षमता का वहां पर कच्चा माल उपलब्ध है?

श्री श्रीचन्द—

वहां पर 3,684 हेक्टेयर क्षेत्र में यूकलिप्टस के वृक्षों का बीजारोपण किया गया था और अन्दाज से बतलाया गया है कि 10 हजार टान यूकलिप्टस के वृक्षों की लकड़ी प्रति वर्ष उपलब्ध होने की सम्भावना है और इतनी मात्रा में वहां पर पेपर मिल स्थापित करना असम्भव है।

नक्सलपंथी बन्दियों की संख्या एवं उनकी रिहाई सम्बन्धी कथित आदेश

*9—श्री श्याम नारायन तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नक्सलपंथी बन्दियों को राजनैतिक बन्दी स्वीकार कर रिहा करने के लिए क्या कोई आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में प्रदान किया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जी नहीं।

*10—श्री श्याम नारायन तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में नक्सलपंथी बन्दियों की संख्या क्या है एवं अब तक कितने रिहा किए गए?

श्री लक्ष्मण सिंह—

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में नक्सलपंथी बन्दियों की संख्या 14 है। सन् 1969 से मार्च, 1977 तक 405 नक्सलपंथी रिहा किए जा चुके हैं।

श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि उनका नक्सलपंथी मानने का क्राइटेरिया क्या है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह तो एकेडेमिक प्रश्न है। एक सोशलिस्ट मानने का, कम्युनिस्ट मानने का और जनता पार्टी मानने का क्या क्राइटेरिया है ? वैसे मोटे तौर से जो लोग वायलेंस में विश्वास करते हैं, एक्टन करते हैं और संविधान में विश्वास नहीं करते उनको नेक्सलाइट कहते हैं।

श्री श्याम नारायण तिवारी—

अभी मन्त्री जी ने कहा कि कुछ क्रिमिनल दफायें हैं और जब कुछ रुख अच्छा दिखाई पड़ा, तो उन्होंने कहा कि हम नेक्सलाइट हैं। मेरा कहना यह है कि 29 बन्दियों की चर्चा की गयी जिनसे एफ0 आई0 आर0 शुरू होती है, उस केस में मेरी निश्चित जानकारी है कि मुझे फांसी की सजा मिली थी और 6 साल जेल में रहा और जब आपात-कालीन स्थिति आई तो उस आधार पर मीसा में बन्द रखा गया और 19 महीने जेल में रहना पड़ा और अब 14 साल से नक्सलपंथी जेल में बतलाये जाते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले क्राइटेरिया जान लिया जाय तब इस सम्बन्ध में जान लिया जाय। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में क्या मन्त्री जी जांच करवायेंगे कि ये लोग नक्सलपंथी विचारधारा के हैं, इसी आधार पर 14 साल से जेल में पड़े हैं, छोड़े नहीं जा रहे हैं ? अतः क्या मन्त्री जी उन्हें पैरोल पर छोड़ने के सम्बन्ध में विचार करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, नक्सलपंथी एक समय में एक बैन्ड आर्गनाइजेशन था और सभी राजनैतिक लोग जानते हैं कि साउथ में इनकी अधिक तादाद पायी जाती है। जिनका सम्बन्ध इस आर्गनाइजेशन से था विधिवत् रूप से उनको नक्सलपंथी कहा जाता है। किसी की रिपोर्ट मात्र लिख देने से कोई नक्सलपंथी नहीं माना जाता है। यह बात सही है कि जहां कहीं इन लोगों की फौजदारी अपराध में सजायें हुई हैं, उनको नक्सलाइट कह कर लाया हुई है। मैं नहीं कह सकता कि जो 29 आदमियों की फहरिस्त आपने दी है उनका किसी ऐसे आर्गनाइजेशन से सम्बन्ध रहा है अथवा नहीं। अगर रहा है तो वे नक्सलाइट की गिनती में आयेंगे, नहीं तो नहीं आयेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो 14 नक्सलपंथी के आधार पर जेल में पड़े हैं उनके ऊपर कोई मुकदमे चल रहे हैं ? यदि हां, तो किन दफाओं में और कितनी-कितनी सजा उनको हुई है ? यदि मुकदमे अभी नहीं चलाए गए, तो कब तक वे चालू कर दिए जायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, 10 आदमी हरदोई जिले में हैं उन पर मुकदमें चल चुके हैं और उन पर अपराध भी सिद्ध हो चुका है। चार आदमी गाजीपुर में हैं उन पर भी अपराध सिद्ध हो चुका है।

पिथौरागढ़ जिले के ग्राम दौला बलिया में एलोपैथिक अस्पताल की स्थापना की मांग

*11—श्री रामदत्त जोशी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम दौला बलिया, डाकखाना भुवनेश्वर पट्टी तल्ली बड़ाऊ, जिला पिथौरागढ़ अनूसूचित जाति एवं वर्तमान तथा भूतपूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा गाँव है और उस गाँव के अनुसूचित जतियों तथा सैनिक परिवार वालों ने तथा आस-पास के अन्य गावों द्वारा उक्त गाँव में सरकार एलोपैथिक अस्पताल खोलने की माँग बहुत वर्षों से हो रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार वहाँ की गरीब सैनिक परिवारों तथा अनुसूचित जाति के लोगों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए निकट भविष्य में ग्राम दौला बलिया में अंग्रेजी अस्पताल खोलने की कृपा करेगी?

श्री शोबन सिंह जीना—

ग्राम दौला बलिया डा0 भुवनेश्वर पट्टी तल्ली बड़ाऊ, जिला पिथौरागढ़ के अधिकांश निवासी अनुसूचित जनजाति के हैं। उस गाँव में कुछ वर्तमान तथा भूतपूर्व सैनिक भी रहते हैं। इस गाँव तथा इसके आस-पास अन्य गाँव के निवासियों से गत दो वर्षों में अस्पताल खोलने की कोई माँग प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम दौला-बलिया से 8 किलोमीटर दूरी पर दो एलोपैथिक चिकित्सालय तथा एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्यरत हैं। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस गाँव में कोई चिकित्सालय खोलने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

पुलिस ऐक्ट की धारा सात के अन्तर्गत उप निरीक्षक पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही

*12—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय कितने और कौन-कौन उपनिरीक्षक पुलिस ऐसे हैं जिन पर प्राथमिक जाँच के बाद आरोप सिद्ध होने पर धारा 7 पुलिस ऐक्ट की कार्यवाही हो रही है लेकिन फिर भी उनको थाना इन्चार्ज बना दिया गया है? यदि हाँ, तो इसका आधार क्या है?

श्री राम नरेश यादव—

उत्तर प्रदेश में संलग्न सूची के अनुसार 23 उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस ऐसे हैं जिन पर प्राथमिक जाँच के बाद प्रथम दृष्टया आरोप बनने पर धारा-7 पुलिस ऐक्ट की कार्यवाही हो रही है लेकिन वे थानेदार की हैसियत से कार्यरत हैं। जनपद में उपलब्ध उप निरीक्षकों में तुलनात्मक उपयुक्तता के आधार पर थानाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 533 पर।)

नोट—नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

प्रतापगढ़ जिले के ग्राम बेरंहा मजरे कुसौली में कतिपय व्यक्तियों के घर जलाए जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*13—श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर थाने में दिनांक 25 अगस्त, 1977 को भैरों, जग्गू, राम अधार, धनी तथा दुर्गा, ग्राम निवासी कुसौली के मकानों को प्रातः 6 1/2 बजे दिन दहाड़े ही कुछ अभियुक्तों ने फूंक दिया। क्या यह भी सही है कि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई और अभियोगियों ने दिनांक 25 अगस्त, 1977 को आरक्षी अधीक्षक, प्रतापगढ़, को उक्त आशय का प्रार्थना-पत्र दिया? क्या प्रार्थना-पत्र में अभियोगियों ने अभियुक्तों को नामांकित किया है? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही हुई? क्या उक्त विषय पर मुख्य मन्त्री, आई0जी0, उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को उक्त आशय का प्रार्थना-पत्र दिया? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती कोदला पत्नी श्री भैरव कुर्मी, निवासी ग्राम बेरंहा मजरे कुसौली थाना सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ ने दिनांक 25 अगस्त, 1977 को पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को रघुराज सिंह आदि पाँच नामांकित व्यक्तियों के विरुद्ध उसी दिन प्रातः 6 बजे वादिनी, जग्गू गोड़िया तथा राम आधार कुर्मी के घर घेर कर मिट्टी का तेल डालकर जगह-जगह आग लगा देने के आरोप अंकित करते हुए प्रार्थना-पत्र दिया था। इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर कोतवाली प्रतापगढ़ में दिनांक 25 अगस्त, 1977 को धारा 436/5504 भारतीय दन्ड विधान की रिपोर्ट दर्ज की गई। चूंकि मामला थाना सांगीपुर का था अतः उक्त रिपोर्ट थाना सांगीपुर भेजी गई। विवेचना से पाया गया कि वादिनी ने अपने पति तथा चार अन्य व्यक्तियों जो मारपीट के एक मामले में अभियुक्त हैं, को उक्त मामले से बचाने के लिए स्वयं अपने पक्ष के किसी व्यक्ति से अपने तथा दो अन्य व्यक्तियों के छप्परों में मामूली आग लगवाकर झूठा आरोप लगाया है। अतः मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

अल्मोड़ा जिले में मैगनेसाइट खनन एवं उद्योग के कारण विस्थापितों का पुनर्वासन तथा झिरौली ग्राम के मकानों में दरार

*14—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में मैगनेसाइट खनन एवं उद्योग के कारण जो ग्राम वासी विस्थापित हो गए हैं उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

अल्मोड़ा में मैगनेसाइट के खनन एवं उद्योगों के कारण ग्रामवासी विस्थापित नहीं हुए हैं। परन्तु अल्मोड़ा मैगनेसाइट लि0 के लिए भूमि अर्जित किए जाने के कारण वे प्रभावित हुए हैं। उन्हें जिला नैनीताल के तराई भावर क्षेत्र में सीलिंग की अतिरिक्त भूमि पर बसाने का निर्णय लिया गया है।

*15—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सरकार को विदित है कि जनपद अल्मोड़ा, ग्राम झिरौली के पास में मैगनेसाइट के खनन के लिए 200 किलो बारूद (डाईनामाइट जलेटिन और नाइट्रट) के विस्फोट किए जाते हैं जिस कारण कि 90 प्रतिशत मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं? यदि हां, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या प्रयत्न किया गया है?

श्री राम प्रकाश (उद्योग मन्त्री)—

झिरौली ग्राम के निकट उपलब्ध मैगनेसाइट के खनन के लिए लभभग 100 किलोग्राम बारूद विस्फोट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ग्रामवासियों के मकान पुराने एवं जीर्ण अवस्था में हैं और कुछ मकानों में दरारें हैं। परन्तु यह कहना कठिन है कि मकानों में दरारें उनकी जीर्ण अवस्था के कारण है या विस्फोट के कारण।

खनन में विस्फोटक कार्य खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा निदेशित तरीकों से किया जाता है।

वन सांख्यकीय विभाग में कम्पाइलर की नियुक्ति में कथित अनियमितता

*16—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन साँख्यकीय विभाग में हुई अनियमित नियुक्तियों की ओर वन मन्त्री का ध्यान अगस्त, 1977 में सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा आकृष्ट किया गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी क्या कुछ कम्पाइलर की नियुक्ति भी अनियमित की गई है और उन्हें स्थाई कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों और पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री श्रीचन्द—

जी हाँ।

शासन स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने के बाद मुख्य अरण्यपाल को आवश्यक निर्देश सितम्बर, 1977 में जारी कर दिए गए। सेवा नियमावली न होने और विभिन्न पदों के लिए शैक्षिक अर्हता का अन्तिम रूप से निर्धारण न होने के कारण कम्पाइलर के पद पर की गयी तत्कालीन नियुक्तियो को उस समय की परिस्थितियों में अनियमित नहीं कहा जा सकता है। बारी आने पर उन्हें ज्येष्ठता के आधार पर स्थायी कर दिया गया है।

[दिनाँक 1 नवम्बर, 1977 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पुलिस दल एवं पी०ए०सी० के विरुद्ध मुकदमा न चलाए जाने सम्बन्धी आदेश

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार ने फरवरी, 1975 में कोई आदेश प्रसारित किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस दल और पी0 ए0 सी0 में कार्यरत किसी कर्मचारी के विरुद्ध, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस आदेश को वापस लेगी ताकि आपात-काल के दौरान किए गए पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध जनता सीधे न्यायालयों की शरण ले सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ, दन्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 45 की उपधारा (2) तथा धारा 197 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन दिनाँक 30 जनवरी, 1975 को जारी हुई अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में लगाए गए उत्तर प्रदेश पुलिस दल तथा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस, जहाँ कहीं भी वे सेवा कर रहे हों, को उनके विरुद्ध तंग की जाने वाली अवाँछित अभियोजन की कार्यवाही से संरक्षण प्रदान किया गया है।

चूंकि उक्त आदेश पुलिस के सदस्यों को अपने पदीय कर्त्तव्य निर्भय होकर निर्वहन करने के उद्देश्य से प्रसारित किए गए हैं और चूंकि शासन ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने आपातकाल में अपने कर्त्तव्यों की सीमा का उल्लंघन किया है, के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर रहा है, अत: कथित आदेशों को जनहित में वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री बाबूलाल विद्यार्थी तथा श्री गुन्जेश्वर प्रसाद—

[9वे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री पाटन दीन, निवासी ग्राम ड्योढ़ी, जिला फैजाबाद के घर में डकैती

*3—श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्राम ड्योढ़ी, थाना रौहानी, जिला फैजाबाद में दिनाँक 29 अगस्त, 1977 को एक व्यापारी के घर पर एक डकैती पड़ी जिसमें डकैत 3 (तीन) बोरी चाँदी के गहने उठा ले गए किन्तु आगे चलकर बोरी फट जाने के कारण एक बोरी गहने व मोहरें वहीं पर रह गए? क्या यह सही है कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में केवल सात सौ रुपए की डकैती प्रथम सूचना में लिखी? यदि हाँ, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं? क्या इसकी सी0 आई0 डी0 से जाँच कराने की कृपा करेगी?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 29 अगस्त, 1977 को ग्राम ड्योढ़ी, थाना रौनाही में किसी व्यापारी के घर पर डकैती की कोई घटना घटित नहीं हुई। बल्कि 13/14 अगस्त, 1977 को पाटनदीन, निवासी ग्राम ड्योढ़ी, थाना रौनाही के घर में डकैती पड़ी। इस सम्बन्ध में वादी की सूचना पर अपराध संख्या 155 धारा 395/397 भारतीय दन्ड विधान कायम हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई तीन बोरी गहने चोरी की बात नहीं कही गई है केवल वादी ने 690 रुपए के माल लूटे जाने की सूचना अंकित कराई है। विवेचना के बाद दिनाँक 24 अक्तूबर, 1977 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। सी0 आई0 डी0 जाँच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

रायबरेली जिले के ग्राम बेहटा निवासी, श्री राम किशुन को मारे-पीटे जाने सम्बन्धी मुकदमा

*4—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या गृह मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि अभी हाल में ग्राम बेहटा, थाना लालगंज, जिला राय बरेली के श्री राम किशुन हरिजन को उसी गाँव के ऊंची जातियों के लोगों ने बुरी तरह से पीटा जिससे उसके दोनों हाथ टूट गए और इससे वह सदैव के लिए अपंग हो गया? यदि हाँ, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं?

श्री राम नरेश यादव—

दिनाँक 25 अगस्त, 1977 को ग्राम बेहटा थाना लालगंज, जिला रायबरेली के श्री राम किशुन धोबी ने थाना लालगंज पर आकर यह रिपोर्ट अंकित कराई कि गांव के सुरेश सिंह उससे अपना धुला हुआ कपड़ा माँगने आया और वादी के यह कहने पर कि कपड़ा अभी तैयार नहीं है अभियुक्त सुरेश सिंह ने आवेश में आकर उसे गालियाँ दीं और लाठी से मारा जिससे वादी को चोटें आईं। इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा 323/504 भारतीय दन्ड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वादी राम किशुन को डाक्टरी मुआयने के लिए भेजा गया।

डाक्टरी मुआयने से राम किशुन के बाएं हाथ की कलाई में एक फ्रैक्चर की चोट गम्भीर पाई गई थी जो अब इलाज के बाद ठीक हो गई है और राम किशुन स्वस्थ हैं।

डाक्टरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त अभियोग धारा 323/325 भारतीय दन्ड विधान में परिवर्तित हुआ और विवेचना के बाद मुकदमें में आरोप-पत्र लगाया गया।

पर्वतीय जिलों में सड़कों के निर्माण कार्य को रोकने हेतु कथित आदेश

*5—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में निर्मित होने वाली अधिकांश सड़कों के कार्यों को रोक देने के आदेश अभी हाल में दिए गए हैं जिससे वहाँ की जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है ? यदि हाँ, तो निर्माण कार्य क्यों रोका गया है और फिर कब पुनः आरम्भ किया जायगा ?

श्री शोभन सिंह जीना—

पर्वतीय क्षेत्र के निर्माणाधीन मार्गों का निर्माण कार्य रोकने के लिए शासन के कोई आदेश नहीं हैं। कुछ भ्रमवश मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गये आदेशों पर इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए थे, जो उनके द्वारा स्वयं ही निरस्त कर दिए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्र में निर्माणाधीन मार्गों के निर्माण पर अब कोई रोक नहीं है।

प्रान्तीय सिविल सेवा सम्वर्ग की आई०ए०एस० सम्वर्ग में प्रोन्नति कोटा में वृद्धि

*6—श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोन्डा)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आई० ए० एस० में प्रान्तीय सिविल सेवा (प्रशासनिक) के अधिकारियों का कोटा 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 33 1/3 प्रतिशत कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो इस अनुपात में अभी तक नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ। भारत सरकार ने 5 जुलाई, 1977 से राज्य के आई० ए० एस० सम्वर्ग में प्रोन्नति कोटा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 1/3 प्रतिशत कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप प्रोन्नति कोटा में पदों की संख्या में हुई वृद्धि को भरे जाने की कार्यवाही नियमानुसार भारत सरकार एवं संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जा रही है।

राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद् की मान्यता सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*7—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद् के अधिकारियों की ओर से उपरोक्त संस्था को मान्यता देने हेतु कोई आवेदन-पत्र 1977 में दिया गया है ? यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव—

सूचना देना जनहित में नहीं है।

नैनीताल जिले की श्रीमती माया देवी, निवासिनी ग्राम गांधी नगर के साथ बलात्कार

*8—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 23 अगस्त, 1977 को पुलिस स्टेशन हल्द्वानी, जिला नैनीताल में किसी हरिजन युवती के साथ बलात्कार किये जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में जो व्यक्ति पकड़ा गया उसने कब बलात्कार किया और उसके कितने दिन बाद वह पकड़ा गया तथा इस देरी का कारण क्या था ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती माया देवी, पत्नी श्री रमेश हरिजन, निवासी गाँधीनगर, थाना हल्द्वानी जिला नैनीताल ने दिनाँक 23 अगस्त, 1977 को थाना हल्द्वानी पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई है कि दिनाँक 20 अगस्त, 1977 को समय 4 बजे शाम उसका ससुर खेमकरन जबरन उसके साथ बुरा काम करने लगा और उसके शोर मचाने पर अन्य लोगों ने उसे छुड़ाया। उक्त सूचना के आधार पर थाना हल्द्वानी पर धारा 376 भा0 दं0 वि0 का अपराध पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना की रिपोर्ट दिनाँक 23 अगस्त, 1977 को लिखाई गई जब कि घटना दिनाँक 20 अगस्त, 1977 को होना बताई गई। पुलिस द्वारा दिनाँक 23 अगस्त, 1977 को ही अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई परन्तु अभियुक्त अपने घर पर नहीं मिला, जिसके उपरान्त उसकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस द्वारा जारी रहा और उसे दिनाँक 28 अगस्त, 1977 को गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियोग की विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

फैजाबाद जिले में बिजली के टावर बनाने का कथित कारखाना

*9—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले की सदर तहसील में पिछली सरकार द्वारा एक बिजली का टावर बनाने का कारखाना तथा उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन की मदद से तीन बड़े उद्योग लगाने का निश्चय हुआ था और क्या यह सच है कि अब वर्तमान सरकार उसे फैजाबाद मन्डल से ही बाहर भेज रही है ? यदि हाँ, तो क्यों तथा इस बारे में पूरा विवरण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

बिजली के टावर बनाने का कारखाना लगाने का विचार नहीं था। उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन नामक कोई संस्था नहीं है, अतः उसके द्वारा उद्योग लगाने का प्रश्न नहीं उठता है।

गोण्डा जिले के नवाबगंज में बालक श्री जय मंगल सिंह की पानी में डूबने से मृत्यु

***10—श्री विष्णु प्रताप सिंह—**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि पुलिस स्टेशन नवाबगंज, जिला गोंडा के अन्तर्गत शुगर मिल नवाबगंज के किसी कर्मचारी के अबोध बालक की लाश पानी में वर्ष 1977 में बरामद हुई? क्या यह सही है कि एस0 आई0 पुलिस, नवाबगंज ने पंचनामा लिखाकर तो ले लिया परन्तु लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराया? यदि हाँ, तो लाश का पोस्टमार्टम न कराने का क्या कारण था?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 को थाना नवाबगंज के अन्तर्गत शुगर मिल नवाबगंज कालोनी के पश्चिम गड्ढे के पानी में श्री जय मंगल सिंह पुत्र राम रहत सिंह का शव बरामद हुआ था जिसका पंचनामा सब-इन्सपेक्टर, नवाबगंज द्वारा तैयार किया गया और शव को अन्तिम संस्कार हेतु श्री जयमंगल सिंह को सौंपा गया। पंचायत नामे की जाँच के दौरान यह पाया गया था कि मृत्यु पानी में डूबने के कारण हुई थी और इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं था। अतः शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था।

कारागारों के प्रशासन में सुधार सम्बन्धी घोषणा

***11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा यह घोषणा सितम्बर, 1977 के दूसरे सप्ताह में लखनऊ में की गयी है कि यदि "2 महीने के अन्दर वांछित सुधार जेलों में नहीं लाया गया तो सरकार कारागारों के उप महानिरीक्षकों तथा अतिरिक्त महा-निरीक्षकों के पदों को समाप्त करने के लिए विवश होगी"? यदि हां, तो वांछित सुधारों की रूप रेखा क्या है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। शासन इन अधिकारियों से यह अपेक्षा करता है कि इनके कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न कारागारों के प्रशासन में वही चुस्ती तथा स्वच्छता उनके द्वारा लाई जायगी जो शासन के अन्य अंगों में भी अपेक्षित है। इसके अलावा शासन द्वारा समय-समय पर जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं और अन्य योजनाएं अनुमोदित होती हैं उनका सही व प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हो। इस सम्बन्ध में इन अधिकारियों से विस्तार से मेरा व मेरे विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा विचार-विमर्श हो चुका है जिसके द्वारा इनको उचित मार्ग-दर्शन प्रदान कर दिया गया है।

सचिवालय के उर्दू अनुभाग के विशेष कार्याधिकारी के आचरण के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*12—श्री अठई राम तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय के उर्दू अनुभाग में विशेष कार्याधिकारी के विरुद्ध गम्भीर आचरण दोष तथा अनियमितताएं करने के सम्बन्ध में किसी प्रतियोगात्मक परीक्षा पास महिला उर्दू अनुवादक ने जून, 1977 में कोई शिकायती-पत्र दिया था जिस पर एक मन्त्री महोदय ने गोपनीय जांच कराने की संस्तुति भी की थी ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और इसका क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं कराई गई, तो क्या सम्बन्धित अधिकारी को स्थानान्तरित करके जांच कराई जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां।

एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसके बारे में गोपनीय जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जिले के ग्राम महरौरा में कान्सटेबिलों को मारे-पीटे जाने की घटना

*13—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि नवम्बर, 1976 में मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम महरौरा में 3 कांस्टेबिल, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उक्त ग्राम के अवांछनीय तत्वों द्वारा गम्भीर रूप से आहत कर दिए गए थे, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उक्त कोतवाली में दर्ज है तथा अभियोग अपराध सं0 178 धारा 147/332/333/307/224/225/374 भारतीय दण्ड विधान एवं 43 डी0 आई0 आर0 है ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष, विंध्याचल (मिर्जापुर) के आदेश के अनुसार उक्त थाने के तीन कांसटेबिल सर्वश्री राम अधार यादव, पुरुषोत्तम सिंह व बब्बन सिंह उक्त थाने पर अंकित धारा 392/420 भारतीय दण्ड विधान के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त श्री दौलत तथा उसकी पत्नी श्रीमती अतवरिया निवासी ग्राम महरौरा की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 6 नवम्बर, 1976 को उक्त ग्राम में गए थे।

उक्त कांस्टेबुलगण उपरोक्त अभियुक्तों को हिरासत में लेकर ग्राम महरौरा से थाने पर ले जा रहे थे कि इसी बीच रास्ते में उपरोक्त अभियुक्त श्री दौलत ने अपने गांव के प्रधान श्री अमरनाथ उर्फ बेचू तथा अपने भतीजे शिवलखन को देखकर पुलिस की हिरासत में से उन्हें छुड़ाए जाने की नीयत से शोर मचाया। फलस्वरूप उक्त ग्राम प्रधान तथा गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और एक राय होकर उक्त कांस्टेबुलों को घेर कर मारने लगे एवं गिरफ्तार किए गए उपरोक्त मुल्जिमान को पुलिस की हिरासत से छुड़ा ले गए।

इस सम्बन्ध में दिनांक 6 नवम्बर, 1976 को उक्त कांस्टेबुल श्री राम अधार यादव ने थाना विंध्याचल पर धारा 147/332/333/307/224/225/379 भारतीय दण्ड विधान

तथा 43 डी0आई0आर0 के अन्तर्गत 48 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के उपरान्त इस अभियोग में दिनांक 31 मार्च, 1977 को 48 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मुकदमा विचाराधीन न्यायालय है ।

*14—श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

जिला चुनाव इन्सपेक्टर श्री तिलक राज सूद, देहरादून के गायब होने की घटना

*15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व जिला चुनाव इन्सपेक्टर, देहरादून (श्री तिलकराज सूद) के आपात स्थिति में लापता होने की सूचना शासन को है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ? क्या यह सच है कि श्री सूद सतर्कता विभाग के इन्सपेक्टर द्वारा जुलाई, 1976 में बुलाए गए थे और तभी से लापता हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती सन्तोष कुमारी सूद, निवासिनी देहरादून ने अपने पति श्री तिलक राज सूद, निर्वाचन निरीक्षक, देहरादून के दिनांक 14 जुलाई, 1976 को शाम को पान खाने जाने के बाद फिर घर वापस न आने की रिपोर्ट दिनांक 21 जुलाई, 1976 को थाना कोतवाली, देहरादून में लिखाई। जिस पर दरियाफ्त हाल विवेचना प्रारम्भ की गयी। पुनः जिलाधिकारी, देहरादून को प्रस्तुत अपने दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र में श्रीमती सूद ने अंकित किया कि दिनांक 14 जुलाई, 1976 को उसके पति निर्वाचन कार्यालय के प्रधान लिपिक श्री राम स्वरूप दीक्षित के घर गए थे तथा उन्हें श्री दीक्षित के साथ निरीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान से मिलने जाना था और उसी समय से उसके पति घर वापस नहीं आए ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार सतर्कता अधिष्ठान के उप निरीक्षक के घर श्री सूद और श्री दीक्षित दिनांक 13 जुलाई, 1976 को गये थे ।

श्री सूद के लापता हो जाने के सम्बन्ध में अपराध अनुसन्धान विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जांच कराई जा रही है। जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही वास्तविक तथ्यों का पता चल सकेगा ।

*16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[18-10-77 को तारांकित प्रश्न संख्या 22 द्वारा उत्तरित]

बदायूं जिले के ग्राम केवलपुर तिपेड़ा निवासी श्री सिपाही सिंह की हत्या

*17—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बदायूं, थाना रजपुरा के ग्राम तिपेड़ा के 20 वर्षीय नवयुवक श्री सिपाही लाल, पुत्र श्री बाबू राम को दिनांक 20 सितम्बर, 1976 को नसबन्दी के सम्बन्ध में गए हुए सरकारी दल ने गोली मार कर हत्या कर दी ? यदि हां, तो सरकार बताएगी कि इस नवयुवक की हत्या के सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20 सितम्बर, 1976 को खण्ड विकास अधिकारी, रजपुरा, जिला बदायूं के नेतृत्व में नसबन्दी का प्रचार करने गए हुए दल पर ग्रामीणों द्वारा हमला करने के मध्य श्री सिपाही सिंह, पुत्र श्री बाबू, राम निवासी ग्राम केवलपुर तिपेड़ा, थाना रजपुरा, जिला बदायूं की किसी अज्ञात व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हुई।

उक्त घटना की अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा विस्तृत मैजिस्ट्रीरियल जांच कराई गयी। उनकी जांच से परिवार नियोजन के सम्बन्ध में गए हुए सरकारी दल द्वारा गोली चलाने से श्री सिपाही सिंह की मृत्यु होना, प्रमाणित नहीं हुआ है।

श्री सिपाही सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में दिनांक 20 सितम्बर, 1976 को थाना रजपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हुई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 147/148/302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए अभियोग की विवेचना से गोली चलाने वाले व्यक्ति का पता न चल पाने के कारण उक्त अभियोग में दिनांक 22 जुलाई, 1977 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय भेजी गयी जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 को न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी।

*18—श्री श्रीनारायण—

[8वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मुजफ्फरनगर के मेसर्स अभीपाल सेवाराम यूनाइटेड वीविंग फैक्टरी का निरस्त किया गया परमिट

*19—श्री बशीर अहमद (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री बाबू सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि मोहल्ला बिसातियान, कैराना, जिला मुजफ्फरनगर में स्थित फर्म मेसर्स अभीपाल सेवाराम यूनाइटेड वीविंग फैक्टरी के नाम से पावरलूम परमिट संख्या पी0एल0ए0 क्यू0/सी0/3802-4, दिनांक 6 मार्च, 1974 को रद्द कर दिया गया? क्या यह सही है कि वही परमिट 82/62, कोपरगंज, कानपुर स्थित किसी फर्म को जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो उसको उस परमिट को देने का आधार क्या था?

श्री राम प्रकाश—

जी हां, यह परमिट भारत सरकार वस्त्रायुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा निरस्त किया गया था। इसे पुनः किसी फर्म के नाम जारी नहीं किया गया।

हथकरघा निगम व यूपिका द्वारा गाज व बैण्डेज की सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति

*20—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी अस्पतालों को सप्लाई किए जाने के लिए बैन्डेज क्लाथ व गाज क्लाथ के लिए टेन्डर आमंत्रित करने की प्रथा, उद्योग निदेशालय द्वारा वर्ष 1977 से बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है और क्या यह सच है कि उक्त वस्तुओं की सप्लाई का एकाधिकार अब हथकरघा निगम तथा यूपिका को दे दिया गया है, वह भी पहले के सप्लाई करने वालों से ज्यादा दरों पर? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश—

जी हां, हथकरघा उद्योग के विकास, बुनकरों के उत्थान तथा सरकारी अस्पतालों को सही ढंग से हथकरघा निर्मित्त प्रश्न गत माल को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है कि गाज व बैन्डेज क्लाथ का दर-अनुबन्ध टैन्डर मागें बिना ही सीधे हथकरघा निदेशक से उनके द्वारा हथकरघा निगम व यूपिका की ओर से प्रस्तुत दरों, जिनका परीक्षण एतदर्थ गठित क्रय समिति करेगी, के आधार पर किया जायगा।

हथकरघा निगम व यूपिका को प्रासंगिक व्यय के देने में जो अतिरिक्त धनराशि व्यय होगी उससे दरों में कुछ वृद्धि तो होगी परन्तु सही माल की सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित होगी और अन्ततः शासन व बुनकर दोनों को लाभ होगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माणार्थ आय-व्ययक में धनराशि की व्यवस्था

*21—श्री इन्द्रमणि बड़ौनी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को मालूम है कि सन् 1977-78 के बजट में पर्वतीय जिलों के लिए 14 करोड़ का प्राविधान सड़कों के लिए रखा गया है? इसका जो आवंटन जिलेवार किया गया है इसमें कुछ पर्वतीय जिले आवंटन से वंचित रह गए हैं? यदि हां, तो वंचित जिले कौन हैं तथा इसका क्या कारण है और किसके द्वारा यह आवंटन हुआ?

श्री शोबन सिंह जीना—

वर्ष 1977-78 के आय-व्ययक में पर्वतीय क्षेत्र में सड़क, पुलों के निर्माणार्थ 14 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह प्राविधान आठों जिलों को उनकी आवश्यकतानुसार आवंटित किया गया है और कोई जिला वंचित नहीं रखा गया है।

मथुरा जिले के थाना गोवर्धन के अन्तर्गत पुलिस मुठभेड़ में श्री मिकवी व श्री मोती की मृत्यु

*22—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन में 6/7 फरवरी, 1976 को मिकवी पूरन नामक दो जाटवों की पुलिस द्वारा मुठभेड़ दिखाकर निर्मम हत्या कर दी गयी व इसी घटना की जांच जिलाधीश द्वारा परगनाधीश, मथुरा से करायी? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट आयी? यदि जांच रिपोर्ट पूरी नहीं की गयी, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6/7 फरवरी, 1976 को थाना क्षेत्र गोवर्धन, जिला मथुरा के अन्तर्गत मिकवी व मोती की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी। जिला मैजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा इस घटना की मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिए गए थे। सम्बन्धित मैजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण पर चले जाने व अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है। जांच शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं।

सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ में बहुखंडी आवास योजना पर व्यय की गयी धनराशि

*23—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद) तथा श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 3-सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ पर 64 बहुखन्डी आवास बनाने की योजना पर अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है? क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण एवं नगर नियोजन विभाग ने इस योजना के प्रारम्भ करने का विरोध किया था? यदि हां, तो उनके विरोध का कारण क्या था?

श्री राम नरेश यादव—

इस कार्य पर अब तक कुल 1,12,218 रुपया व्यय हुआ ह। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण एवं नगर नियोजन विभाग ने इस योजना के प्रारम्भ करने का विरोध नहीं किया था?

*24—श्री औसान सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

बुलन्दशहर की नव ओखला औद्योगिक विकास योजना

*25—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बुलन्दशहर जिले में "नया ओखला" नाम से एक औद्योगिक उप नगर बसाया जा रहा है? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है एवं 31 अगस्त, 1977 तक इस योजना की पूर्ण रूप-रेखा क्या है और उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई?

श्री राम प्रकाश—

जिला गाजियाबाद के परगना व तहसील दादरी में एक औद्योगिक व्यापारिक एवं आवासीय बस्ती विकसित की जा रही है।

उक्त क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3(1) के अन्तर्गत नव औखला विकास प्राधिकरण का गठन 17 अप्रैल, 1976 को किया गया।

नव ओखला औद्योगिक विकास परियोजना के अन्तर्गत लगभग 1000 एकड़ भूमि में औद्योगिक भू-खंडों को विकसित किया जा रहा है और शेडों का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 4000 एकड़ भूमि पर व्यापारिक एवं आवासीय क्षेत्र विकसित करने हेतु सड़क आदि का निर्माण हो रहा है।

उक्त परियोजना पर 31 अगस्त, 1977 तक लगभग 15,90,000 रु0 व्यय हुआ है।

नव ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र की विस्तृत योजना को अन्तिम रूप देने के लिए प्राधिकरण द्वारा गठित दश के प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक समिति विचार कर रही है और इस समिति की संस्तुति पर शासन द्वारा विचार किया जायगा।

प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू०पी० लि० द्वारा अलीगढ़ में औद्योगिक इकाई को दिया गया कथित ऋण

*26—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1975-76 में प्रदेशीय इन्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि०, ने अलीगढ़ की किसी औद्योगिक इकाई को 7 लाख रुपए से अधिक का कोई ऋण स्वीकृत किया था? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी इस इकाई के प्रबन्धकों की सूची तथा उसके द्वारा अब तक उत्पादित माल का ब्योरा बताने की कृपा करेंगे?

श्री राम प्रकाश—

जी नहीं।

*27—श्री रामदत्त जोशी—

[माननीय सदस्य ने प्रश्न वापस लिया।]

शाहजहांपुर के गांव दमुलिया के हरिजनों द्वारा मार-पीट से सम्बन्धित थाने में लिखाई गयी रिपोर्ट

*28—श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि ग्राम दमुलिया थाना परौर, जिला शाहजहांपुर के कई हरिजन परिवारों को उसी गांव के कुछ सशस्त्र गुन्डों ने गांव से अभी कुछ दिन पहले निकाल दिया है उसके पहले भी इस गिरोह ने हरिजनों को बुरी तरह प्रताड़ित किया जिसकी रिपोर्ट थाना परौर में दिनांक 12 मार्च, 1977 तथा 3 अप्रैल, 1977 को दर्ज कराई गई तथा अनेक प्रार्थनापत्र भी भेजे एवं गांव से निकालन के बाद दिनांक 19 सितम्बर, 1977 को तार तथा प्रार्थना-पत्र भेजे? यदि हां, तो इन असहाय हरिजनों की पुलिस ने तत्काल क्या मदद की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि ग्राम दमुलिया, थाना परौर, जिला शाहजहाँपुर के कुछ हरिजन परिवारों को उसी गाँव के कुछ सशस्त्र गुन्डों ने गाँव से निकाल दिया है।

दिनाँक 12 मार्च, 1977 को श्री हाकिम पुत्र श्री लिखा जाटव, निवासी दमुलिया ने थाना परौर पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि अमुक व्यक्तिगण उसे परेशान करते हैं तथा उसके बकरे की कीमत 30 रु० लग गई थी परन्तु अभियुक्त-गण उसे 20 रुपए में माँग रहे थे तथा उसके न देने पर अभियुक्तगण ने गाली गलौज की व वादी तथा उसके भाई के साथ मारपीट की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना परौर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 323/504 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त तीनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

दिनांक 3 अप्रैल, 1977 को श्रीमती रामश्री पत्नी श्री हाकिम कौम जाटव, निवासी ग्राम दमुलिया ने थाना परौर पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि

[श्री राम नरेश यादव]

अमुक तीन व्यक्तियों ने, जिसमें दो जाटव हैं, उसके घर में घुसकर उसे लाठी से मारा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना परौर पर धारा 452/323 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त तीनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

हरिजनों को गाँव से जबरदस्ती निकाले जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। श्री हाकिम पुत्र लिक्खा जाटव, निवासी ग्राम दमुलिया द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनाँक 10 अक्तूबर, 1977 को पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर को दिया गया है जिसमें यह शिकायत की गई है कि अमुक व्यक्ति जिसके विरुद्ध जिसने रिपोर्ट लिखाई थी, उसे जान से मारने की धमकी देता है एवं इस कारण वह गाँव छोड़कर दूसरी जगह चला गया है लेकिन उसके बच्चे उसी गाँव में रह रहे हैं। प्रार्थी व उसके परिवार की सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध करने हेतु आदेश दिए जा चुके हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा हरिजनों की रिपोर्टों पर वैधानिक कार्यवाही करके हरिजनों की पूरी सहायता की गई है तथा अभियुक्तों का चालान किया गया है।

फैजाबाद जिले में तारुन ब्लाक केन्द्र पर थाने की स्थापना की मांग

*29—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जिले में तारुन ब्लाक केन्द्र पर नए थाने का निर्माण शासन के समक्ष विचाराधीन है ? इस सन्दर्भ में क्या कोई जमीन अधिग्रहण की गयी है ? यदि हाँ, तो इस कार्य में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं। इस कार्य हेतु कोई जमीन अधिग्रहण नहीं की गई है।

लघु उद्योग निगम, कानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*30—श्री बाबू राम शुक्ल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में 10 सितम्बर, 1977 को संसद सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा उन्हें कोई ज्ञापन दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री ने सी0 आई0 डी0 द्वारा जाँच किए जाने के आदेश दिए हैं ?

श्री राम प्रकाश—

जी हाँ।

जी नहीं।

*31—श्री संगम लाल तथा श्री राम आसरे वर्मा—

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

बिजनौर जिले के स्योहारा के थानाध्यक्ष, श्री करम वीर सिंह की बहाली

*32—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष, स्योहारा, जिला बिजनौर को जुलाई, 1976 में लाइन हाजिर किया गया था और जुलाई, 1976 में ही बहाल करके थाना स्योहारा मे ही तैनात किया गया? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार बताएगी कि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के कितने आरोप थे तथा कितने मुकदमे उनके ऊपर दिनाँक 31 जनवरी, 1977 तक कायम किए गए?

श्री राम नरेश यादव—

थाना स्योहारा के तत्कालीन थानाध्यक्ष, श्री करमवीर सिंह को थाना स्योहारा से दिनाँक 20 जुलाई, 1976 को पुलिस लाइन बिजनौर, श्री अब्दुल वहीद अन्सारी द्वारा डी0 आई0 जी0, बरेली से की गई शिकायत के आधार पर स्थानान्तरित किया गया। इस शिकायत की जाँच पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा की गई जिन्होंने श्री करमवीर सिंह को निर्दोष पाया। उन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षत्र के आदेशानुसार पुनः स्योहारा तैनात कर दिया गया।

श्री करमवीर सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोपों के सम्बन्ध म दो मुकदमें कायम किए गए थे जिनमें से एक में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई तथा दूसरे की जाँच सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है।

*33—श्री राजन्द्र प्रसाद चौधरी—

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

फैजाबाद जिले के ग्राम जलालपुर निवासी श्री दस्तरी खां के घर में लूट-पाट

*34—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गृह मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि दिनाँक 9 जून, 1975 को जनपद फैजाबाद के थाना जलालपुर में अपराध नम्बर 138 पर एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 395 आई0 पी0 सी0 दर्ज करके एक मुकदमा कायम किया गया लेकिन उसकी तफतीश अभी तक समाप्त नहीं हो पाई है? यदि हाँ, तो पूरा विवरण क्या है और तफतीश पूरी करने में तथा न्यायालय में चार्ज-शीट भेजने में क्या कठिनाई है?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 9 जून, 1975 को जनपद फैजाबाद के थाना जलालपुर में वादी श्री दस्तरी खां पुत्र श्री बदलू खां, साकिन जलालपुर, जिला फैजाबाद की लिखित सूचना पर अपराध संख्या 138 अन्तर्गत धारा 395 भारतीय दण्ड विधान कायम हुआ। इसमें कहा गया था कि लगभग 200 व्यक्तियों ने मिलकर बादी के घर में लूट-पाट किया। इस सम्बन्ध में विवेचना दिनाँक 9 जून, 1975 को आरम्भ हुई तथा दिनाँक 27 सितम्बर, 1977 को विवेचना समाप्त कर के अन्तर्गत धारा 395/397 भारतीय दन्ड विधान में आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया।

*35—श्री गंगा सहाय यादव—

[12वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

आजमगढ़ जिले के ग्राम धौरहरा (कृपालपुर) में मार-पीट की घटना सम्बन्धी शिकायती पत्र

*36—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैंने जुलाई, 1977 में उनको इस आशय का एक शिकायती-पत्र जनपद आजमगढ़ की पुलिस के बारे में लिखा था कि दिनांक 20 जुलाई, 1977 को ग्राम सोफीगंज के कुछ लोगों द्वारा ग्राम धौरहरा (कृपालपुर), थाना मुहम्मदाबाद गोहना के गरीब लोगों को मारा गया था परन्तु सूचना देने पर सम्बन्धित पुलिस ने न तो सूचना दर्ज की और न उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की?

श्री राम नरेश यादव—

श्री विक्रम राम का शिकायती-पत्र जिसे माननीय विधायक ने अवलोकित किया था, प्राप्त हुआ था। जाँच की गई परन्तु आरोपों में सत्य नहीं पाए गए।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री सोहन लाल—

(10वें मंगलवार के लिए स्थगित।)

2—श्री रामदत्त जोशी—

(10वें मंलवार के लिए स्थगित।)

विधि परामर्शी विभाग के अधिकारियों का सेवा-काल

3—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या विधि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधि परामर्श विभाग में कितने ऐसे राजपत्रित कर्मचारी हैं जो इस विभाग में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं? इनमें से प्रत्येक के कार्यकाल की अवधि क्या है तथा इनमें से कितन डेपोटेशन पर इस विभाग में आए हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

विधि परामर्शी विभाग में उत्तर प्रदेश हायर जुडीशियल सर्विस के चार अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर, सचिवालय सेवा के छ: अधिकारी विशिष्ट नि:संवर्गीय पदों पर तथा सचिवालय सेवा के ही दो अन्य अधिकारी अनुभाग अधिकारी के पद पर ऐसे हैं जिनका कार्य काल पाँच वर्ष से अधिक हो गया है। प्रत्येक के कार्यकाल की अवधि संलग्नक में दी गयी है?

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 534-535 पर।)

पुलिस विभाग के अस्थायी उप निरीक्षक

4—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में इस समय कितने उप निरीक्षक, पुलिस सेवारत हैं? उनमें से कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं? कितने ऐसे उप निरीक्षक हैं जिन्हें सेवा करते 10 वर्ष से अधिक बीत गए हैं किन्तु अभी तक स्थायी नहीं हुए हैं?

श्री राम नरेश यादव--

उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में इस समय 4202 उप निरीक्षक पुलिस सेवारत हैं। उनमें से 3017 उप निरीक्षक स्थायी हैं और 1185 उप निरीक्षक अस्थायी हैं। 839 उप निरीक्षक ऐसे हैं जिन्हें सेवा करते 10 वर्ष से अधिक बीत गए हैं किन्तु अभी तक स्थायी नहीं हुए हैं।

मथुरा जिले के थाना सहपऊ में पंजीकृत अपराध तथा अभियुक्तों की शिनाख्त की कार्यवाही

5--श्री हुकुम चन्द्र तिवारी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथरा जनपद के अन्तर्गत थाना सहपऊ में दिनांक 23 सितम्बर, 1976 से 9 जुलाई, 1977 तक कितने भारतीय दन्ड संहिता के मुकदमे दर्ज हुए और कितनों में न्यायालय में आरोप-पत्र भेजे गए?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद मथुरा के थाना सहपऊ पर भारतीय दन्ड विधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कुल 121 अपराध पंजीकृत किए गए जिनमें से 16 अपराधों में आरोप-पत्र न्यायालय भेजे गए।

6--श्री हुकुम चन्द्र तिवारी--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23 सितम्बर, 1976 से 9 जुलाई, 1977 तक मथुरा जनपद के थाना सहपऊ की पुलिस द्वारा कितने वादों में अभियुक्तों की कार्यवाही शिनाख्त समय पर नहीं करवाई और क्यों?

श्री राम नरेश यादव--

प्रश्न गत अवधि में जनपद मथुरा के थाना सहपऊ की पुलिस द्वारा 6 अभियोगों में अभियुक्तों की कार्यवाही शिनाख्त समय से नहीं करवाई गई क्योंकि इन अभियोगों के अभियुक्त जिला कारागार आगरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर तथा एटा में बन्दी थे। इन अभियुक्तों का स्थानान्तरण उक्त जनपद की कारागारों से नहीं हुआ है कुछ का स्थानान्तरण विलम्ब से हुआ तथा कुछ जिला कारागार, अलीगढ़ से जमानत पर रिहा हुए।

7--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

[16वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नैनीताल जिले की चोरगलिया रोड निवासी हाजी नबी अहमद द्वारा थाने में लिखाई गई रिपोर्ट

8--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हाजी नबी अहमद, निवासी चोरगलिया रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में दिनांक 22 मई, 1977 को जो एफ0 आई0 आर0 पुलिस स्टेशन, हल्द्वानी में दर्ज करवाई है उस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की है?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना हल्द्वानी पर हाजी नबी अहमद, निवासी चोर-गलिया रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 22 मई, 1977 को इस आशय का दिया कि अमुक व्यक्तियों द्वारा तमंचे तथा छुरे की नोक पर जानमाल की धमकी देकर वादी से कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना हल्द्वानी पर धारा 386 भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। विवेचना से कोई ऐसा साक्ष्य नहीं उपलब्ध हुआ जिसके आधार पर विपक्षीगण का चालान किया जाता साथ ही मामला दीवानी से सम्बन्धित पाया गया अतः विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई।

9—श्री बाबू राम वर्मा—

[9 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बस्ती जिले के छावनी की पुलिस द्वारा बैजनाथ की धर्मशाला पर कब्जा

10—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात कालीन स्थिति के दौरान हर्रैया घाट, जिला बस्ती के बैजनाथ धर्मशाला पर, थाना छावनी के सिपाहियों ने जबरिया कब्जा कर लिया और उसे पुलिस चौकी के रूप में बदल दिया तथा उसे खाली करने के लिए जिला अधिकारियों ने आदेश दिया है ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का पालन करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार बस्ती जिले के कस्बा हर्रैया में पुलिस चौकी एक खपरैल के मकान में 15 रुपए प्रतिमाह किराए पर ली गई थी। मकान की जीर्ण शीर्ण दशा के कारण धर्मशाला के मालिक बैजनाथ प्रसाद की सहमति से चौकी धर्मशाले में स्थानान्तरित हो गई जो अब भी वहां कायम है।

जिलाधिकारी, बस्ती ने श्री बैजनाथ प्रसाद के प्रार्थना-पत्र पर उक्त धर्मशाला से पुलिस चौकी खाली कराने का शीघ्र प्रबन्ध किए जाने का आदेश दिया। पुलिस के अनुसार कस्बा हर्रैया में पुलिस चौकी हेतु कोई भी व्यक्ति मकान किराए पर देने हेतु तत्पर नहीं है फिर भी चौकी हेतु उपयुक्त भवन की तलाश की जा रही है।

11—श्री कृष्ण स्वरूप—

[8-10-77 को तारांकित प्रश्न संख्या 77 द्वारा उत्तरित।]

मसूरी चुनाव क्षेत्र, देहरादून में निर्मित पक्की सड़कें

12—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मसूरी चुनाव क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में इस समय तक कितने किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है।

श्री शोबन सिंह जीना—

देहरादून जिले में मसूरी चुनाव क्षेत्र का पहाड़ी क्षेत्र अलग से परिभाषित नहीं है। तथापि 1500 फीट से अधिक ऊंचे क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र मानत हुए मसूरी चुनाव क्षेत्र के ऐसे क्षेत्र में अब तक कुल 53·7 किलोमीटर पक्के मार्गों का निर्माण किया गया है।

टिहरी गढ़वाल जिले में सौन्द गड्ढा से बिजपुर तक नहर निर्माण की मांग

13—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विकास खन्ड के अन्तर्गत सौन्द गड्ढा से बिजपुर नहर के निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक इस नहर का निर्माण प्रारम्भ होगा?

श्री शोबन सिंह जीना—

जिला टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विकास खण्ड के अन्तर्गत सौन्द गड्ढा से बिजपुर नहर के निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

गोण्डा जिले में थानाध्यक्ष विहीन कथित थाने

14—श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जनपद में कितने थाने ऐसे है जिन पर फरवरी, 1977 से जुलाई, 1977 तक थाना इंचार्ज की नियुक्ति नहीं की गयी और इस अवधि में उन थानों में अलग-अलग कितने डकैतियों और चोरियों की घटनाएं हुईं? थानों में एस0 ओ0 की नियुक्ति न करने का क्या कारण था?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, जनपद गोन्डा में कोई थाना ऐसा नहीं है जहां फरवरी, 1977 से जुलाई, 1977 तक थानाध्यक्ष न रहा हो। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

कुमाऊं तथा गढ़वाल मण्डल से निकाला गया लीसा एवं उसकी आपूर्ति तथा रेट

15—श्री रामदत्त जोशी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग द्वारा 1975-76 और 1976-77 में कितना लीसा कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डलों से निकाला गया उसमें से कितना लीसा आई0 टी0 आर0, बरेली व पी0 सी0 एफ0 के कारखाने, हल्द्वानी को एलाट किया और एलाटमेंट के रेट क्या थे? इन्हीं मण्डलों में से जो लीसा नीलामी में बेचा गया उसके रेट सरकार को क्या प्राप्त हुए?

श्री श्रीचन्द—

वन विभाग द्वारा वर्ष 1975-76 और 1976-77 में क्रमश: 245669.785 क्विन्टल तथा 2,08,792.722 क्विन्टल लीसा कुमायं तथा गढ़वाल मण्डलों से निकाला गया। उसमें से वर्ष 1975-76 में 1,63,544 क्विन्टल तथा वर्ष 1976-77 में 1,51,000 क्विन्टल लीसा, आई0 टी0 आर0 बरेली को और वर्ष 1975-76 में 15,000 क्विन्टल तथा वर्ष 1976-77 में 3,000 क्विन्टल लीसा पी0 सी0 एफ0 के कारखाने हल्द्वानी

को एलाट किया गया। एल्लाटमेन्ट के रेट वर्ष 1975-76 में 164 रुपया तथा 5 रुपया जिला परिषद् का शेयर प्रति क्विन्टल तथा वर्ष 1976-77 में 157 रुपया व 5 रु0 जिला परिषद् का शेयर प्रति क्विन्टल थी। इन्हीं मन्डलों में जो लीसा नीलामी में बेचा गया उसके औसत रेट वर्ष 1975-76 में 184.29 रुपया तथा वर्ष 1976-77 में 167.79 रुपया प्रति विक्न्टल सरकार को प्राप्त हुआ।

16—श्री राम दत्त जोशी—

[9वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सचिवालय के अवर वर्ग सहायक की वेतन वृद्धि

17—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय लखनऊ में कितने ऐसे अवर वर्ग सहायक हैं जिनका वर्ष 1972 से वार्षिक बढ़ोत्तरी अभिलेखों के अभाव में नहीं लगाई जा सकी ?

श्री राम नरेश यादव—

केवल एक ही ऐसा मामला है जिसमें अभिलेखों के अपूर्ण होने के कारण वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जा सकी।

आजमगढ़ जिले के राजनैतिक मीसा बन्दियों की संख्या

18—श्री राम अधार—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि आपातकाल के दौरान प्रदेश के किस जनपद के सबसे अधिक राजनैतिक लोगों के विरुद्ध मीसा का प्रयोग किया गया था और जनपद आजमगढ़ में मीसा राजनैतिक बन्दियों की संख्या क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रदेश में जिला लखनऊ में सबसे अधिक राजनैतिक लोगों के विरुद्ध मीसा का प्रयोग किया गया था ? आजमगढ़ जनपद में राजनैतिक मीसा बन्दियों की संख्या 43 थी जिनमें 32 प्रतिबन्धित पार्टियों के सदस्य थे।

19—श्री इन्द्रमणी बड़ौनी—

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

गोण्डा जिले के पचपेड़वा थाने में हरिजनों द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट

20—श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 15 जुलाई, 1977 से 5 सितम्बर, 1977 तक थाना पचपेड़वा गोंडा में कितने मुकदमें गैर दस्त अन्दाजी, दस्त अन्दाजी हरिजनों द्वारा लिखाया गया कितने में गिरफ्तारी की गई कितने में फाइनल रिपोर्ट किस आधार पर लगाई गई ? क्या सरकार उन मुकदमों में गिरफ्तारी कराएगी जिनमें अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 15 जुलाई, 1977 से 5 सितम्बर, 1977 तक थाना पचपेड़वा में हरिजनों द्वारा 3 हस्तक्षेपीय व 8 अहस्तक्षेपीय मामलों की सूचनायें दर्ज कराई गई हैं? इन सभी मामलों में विवेचना की गई। विवेचना में 2 हस्तक्षेपीय मामले असत्य पाए जाने के कारण उनमें अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई तथा एक मामले में आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। आठ अहस्तक्षेपीय मामलों में से 7 मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय भेजे गए हैं। एक अहस्तक्षेपीय मामलों में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने तथा दोनों पक्षों द्वारा आपस में सुलह कर लेने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

21—श्री राज किशोर तिवारी—

[18-10-77 को तारांकित प्रश्न सख्या 40 द्वारा उत्तरित।]

आपातकाल के राजनैतिक मीसा बन्दियों को दी जाने वाली सुविधाएं

22—श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आपातकाल में जो लोग सत्याग्रह करके जेल गए थे और 6 महीने से कम जेल में थे, उन्हें भी सरकार कोई सुविधा देने जा रही है? यदि हाँ, तो क्या?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ। परिवहन विभाग ने प्रदेश में यात्री गाड़ियों के परमिट प्रदान करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी, अधिमानतः ड्राइवर, स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी या उनके आश्रित के साथ-साथ आपातस्थिति के दौरान मीसा के अधीन निरुद्ध राजनैतिक बन्दी या उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत का 'कोटा' निर्धारित किया है।

2—खाद्य तथा रसद विभाग ने ऐसे राजनैतिक मीसा या डिसिर बन्दी जो 6 माह से कम की कारावास भोगे हों और जिनकी कोई सहकारी संस्था हो तो उस सहकारी संस्था को सस्ते गल्ले की दूकान के आवंटन के सम्बन्ध में वरीयता दिए जाने की व्यवस्था की है।

आपातकाल में जेलों में मृत राजनैतिक बन्दी

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रदेश की किस-किस जेल में किस-किस तिथि को किन-किन राजनैतिक बन्दियों की मृत्यु हुई तथा उनके आश्रितों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी गयी?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

चलती रेलगाड़ियों में निरन्तर बढ़ते हुए अपराध से जनजीवन की असुरक्षा के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से शून्य प्रहर में निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

चलती गाड़ियों में निरन्तर बढ़ते हुए अपराध एवं उनको रोक पाने में शासन की विफलता ने जनजीवन में असुरक्षा, आतंक एवं भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। इलाहाबाद, अटरिया, मैलानी तथा महरावल स्टेशनों पर क्रमशः 9, 11, 12 तथा 15 अक्तूबर, 1977 को घटित घटनाओं की चर्चा इस आदरणीय सदन में हो चुकी है। इसके बाद 24 अक्तूबर को, मान्यवर, बुलन्दशहर से 7 मील दूर उत्तरी रलवे के चोला नामक स्टेशन को सशस्त्र डाकुओं ने पिस्तौल की नोक पर लूट लिया। सायंकाल डाकुओं ने दिन दहाड़े सहायक स्टेशन मास्टर की छाती पर पिस्तौल रख दी तथा चाभी छीन ली।

उसी दिन लखीमपुर जिले में रात्रि को एन0 ई0 रेलवे की 160 डाउन ट्रेन के एक डिब्बे को डाकुओं ने लूट लिया। लगभग 8 नवयुवक अच्छे कपड़े पहने पहले डिब्बे में घुस आए, छुरा दिखाकर पूरे डिब्बे के यात्रियों का सामान छीनकर रजागंज स्टेशन पर उतर गए। 10 दिनों के बीच लखनऊ मैलानी के बीच यह दूसरी घटना थी।

29 अक्तूबर को कानपुर बालामऊ पैसन्जर ट्रेन में सफीपुर तथा माखी स्टेशन के बीच 2 यात्रियों की निर्मम हत्या कर दी गई।

इसके विपरीत ट्रेन के रक्षक पुलिस जनों की दशा यह है कि कासगंज रेलवे-स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात आर0 पी0 एफ0 के एक सिपाही गोलाम लाल ने 23 अक्तूबर को जी0 आर0 पी0 के दरोगा श्री देवकी नन्दन मिश्र तथा एक सिपाही की सरकारी बन्दूक से हत्या कर दी। यात्री भी घायल हुए। एक यात्री के भी मरने की सूचना है। हत्या के कारण यह बताया गया है कि ड्यूटी पर सोते हुए सिपाही को दरोगा ने जगा दिया था।

मान्यवर, बड़े दुखी अन्तःकरण से मुझे यह सूचित करना है कि शासन इस दृष्टि से पूर्ण रूप से सजग प्रतीत नहीं होता। प्रदेश के माननीय मुख्य सचिव द्वारा पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि कड़ाई के साथ इन अपराधों की रोकथाम करें। परन्तु निर्देश मात्र उन्हीं ट्रेनों में यात्रा कर रहे अराजक तत्वों को पहचानने एवं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के बारे में है, जो कि लखनऊ आती हैं। आदेश का संक्षिप्त विवरण 24 अक्तूबर को प्रकाशित दैनिक "स्वतन्त्र भारत" में दिया है। मान्यवर, क्या अपराध उन्हीं ट्रेनों में हो रहे हैं, जो लखनऊ आती हैं।

मैं सरकार से पुनः आग्रह करूंगा कि वह ट्रेनों में बढ़ते अपराधों तथा डकैतियों की रोक-थाम के लिए कड़ा व्यवस्था करने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बलिया जिले में रतनपुरा–भीमपुरा मार्ग पर बने बड़े पुल एवं सड़क पर ढाई लाख रुपए के घोटाले के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मन्नूराम (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं लोक महत्व के प्रश्न को उठाने के पूर्व एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप अगर इसको रखना चाहते हैं, तो रखें। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मन्नू राम—

मैं लोक महत्व के प्रश्न को रखता हूं।

मान्यवर, दिनांक 26 अक्टूबर, 1977 को, बलिया के दो विधायक श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा मैं, शारदा सहायक परियोजना के अधिशासी अभियन्ता श्री भोजीलाल यादव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अधिशासी अभियन्ता तथा अन्य अवर. अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियरों के बेंच के साथ, रतनपुरा–भीमपुरा मार्ग (जिला बलिया) का निरीक्षण व जांच किया गया। इस सड़क पर डाले गए कंकड़ व पुल के निर्माण में लगभग पाँच लाख रुपया खर्च दिखलाया गया है। लेकिन उपरोक्त जाँच बेंच के जाँच के अनुसार कुल लागत अधिक से अधिक दो या ढाई लाख रुपए की हो सकती है। रतनपुरा में बने पुल को चौदह इंच भीतर तोड़ाई करने पर सीमेंट की जुड़ाई 1:10 व 1:12 का सीमेन्ट व बालू मिला। मौजूद ईंटों से 20 में से तीन अब्बल निकली। सड़क की बीच-बीच से खुदाई कर देखने में कंकड़ के स्थान पर दस आना गिट्टी व 6 आना कंकड़ निकला। सड़क पर कंकड़ कुटाई में दुरमुट का चलना जनता द्वारा कभी देखा नहीं गया। छठवीं फर्लांग में 100 व 300 मीटर सड़क अभी ज्यों की त्यों पड़ी है। बरसात में सड़क पर पानी बढ़ जाता है। इसकी सतह बहुत नींची है। रोडवेज की बस भीमपुर से वसौड़ा तक आकर रुकी है। न तो पुल पर सड़क बन पायी है न बीच में ही सड़क पूरी है। आवागमन ठप हो जाने से जनता में व्यापक हाहाकार व असंतोष फैल गया है। जांच की गई मिट्टी कंकड़ तथा सीमेन्ट बालू मेरे पास मौजूद है। मैं आपके सामने रख सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, मेरे पास देने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी को दे दिजिए।

श्री मन्नू राम—

रतनपुरा पुल के पास ही सड़क के किनारे से पांच फुट व दस फुट गहरी मिट्टी निकाल ली गई है। सिरसों पुल को महान खतरा है। इंजीनियर श्री यादव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मन्नू राम]

ने इसको देख कर महान आश्चर्य प्रकट किया। कुल जोड़ने घटाने के बाद और किये गये कार्य पर अधिकतम कीमत दिखाने पर भी करीब ढाई लाख रुपये का घुटाला इस प्रकार करने वाले ओवरसियर व अन्य उच्च अधिकारियों ने किया है। यह सब कार्य कांग्रेस शासन काल में किया गया है।

अस्तु मैं सरकार का ध्यान अपने मौजूदा सैम्पुल को विधान सभा में दिखलाते हुए अविलंब आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित करता हूं। और ऐसे ओवर सीयर तथा इंजीनियर के साथ कठोर कार्यवाही व सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच कराने की मांग करता हूं। एवं सड़क को दस रोज के अन्दर पूर्ण कराकर आवागमन को प्रशस्त कराने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने की मांग करता हूं

ग्राम अकबरपुर, जिला इलाहाबाद में सोए हुए 6 व्यक्तियों की हत्या तथा पुलिस की अकर्मण्यता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

माननीय, दिनांक 31 अक्तूबर, 1977 को ग्राम अकबरपुर, जिला इलाहाबाद में 6 व्यक्तियों को सोते समय निर्मम हत्या कर दी गई। इन आहत व्यक्तियों में 4 लड़के 18 वर्ष से कम के आयु के थे तथा एक अपाहिज था। यह सभी पिछड़े वर्ग के थे, सभी को योजना बद्ध रूप से सोते समय मार दिया गया।

पासी जाति के व्यक्तियों के अत्याचार से वे पीड़ित थं। इन पासियों के आतंक एवं अत्याचार से सम्पूर्ण क्षेत्र प्रताणित है। इसकी सूचना सम्बन्धित थाने को भी समय पर दी गयी, परन्तु कोई निरोधात्मक कदम नहीं उठाया गया।

जानकारी है कि कांग्रेस द्वारा हरिजनों एवं गैर हरिजनों के बीच वर्ग संघर्ष उत्पन्न कर अराजकता पैदा करने की साजिश के परिणाम स्वरूप हरिजनों को उकसाकर यह कांड कराया गया। सम्पूर्ण क्षेत्र में इस कारण भीषण उत्तेजना, आतंक एवं भय का वातावरण व्याप्त है।

माननीय, आपके माध्यय से मैं शासन का ध्यान इस मांग की ओर आकृष्ट करूंगा कि दोषी व्यक्तियों तथा विशेष रूप से उनको उकसाने वाले राजनेताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा की जाय।

बोनस के प्रश्न पर स्कूटर इंडिया में तालाबन्दी के कारण मजदूरों में असन्तोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से निवेदन है कि स्कूटर इन्डिया में एकाएक तालाबन्दी के घोषणा के कारण मजदूरों में वहां असन्तोष एवं रोष व्याप्त हो गया ...

एक सदस्य—

यह सब आपने ही तो कराया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम धर मिश्र—

यह सरकारी औद्योगिक संस्थान है, इसको बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा है। मजदूर अपने प्रतिनिधि मंडल द्वारा यह मांग कर रहे थे कि उन्हें बोनस दिया जाय जिसके लिए सरकार ने स्वयं कानून बना दिया है। (व्यवधान) में बैठ जाऊं, यही लोग बोल लें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)—

वह बीच-बीच में बोलते हैं, आप टोकते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं टोकता हूं। आप लोग शान्त रहिए।

श्री श्याम धर मिश्र—

ऐसी दशा में तालाबन्दी के आदेश को सरकार ने क्यों मान्यता दी है और क्यों मजदूर इस प्रकार बेकार हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में कृपया माननीय मन्त्री जी अपना वक्तव्य दें।

उन्नाव नगर में निकले छात्रों के जुलूस तथा श्री चन्द्रपाल सिंह विधायक के विरुद्ध अश्लील व अपमानजनक नारे लगाने तथा पुलिस की अकर्मण्यता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व के अधोलिखित विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

हमारे उन्नाव जनपद में गत 29 अक्तूबर, को उन्नाव नगर में छात्रों ने एक जुलूस निकाला और जनता पार्टी के विधायक श्री चन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध अपमानजनक व अश्लील नारे लगाए तथा उनकी अनुपस्थिति में कुछ अराजक तत्वों ने उनके सामान, रजाई, गद्दा, कुर्सी आदि ऊपर से नीचे फेंक तथा आग लगा दी तथा हुल्लड़ करते रहे। उन्नाव की पुलिस असहाय सी यह सब तमाशा देखती रही। आश्चर्य तो इस बात का है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। नगर में यह भी चर्चा है कि इस घटना के पीछे कांग्रेस का षड़यन्त्र है। इसी तरह की दूसरी घटना बालामऊ से कानपुर जाने वाली पैसेजर ट्रेन की है। जिसमें उन्नाव कचेहरी से घर वापिस जाते समय ट्रेन में ही दो व्यक्तियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई और हत्यारे मृतकों के अशलदे लेकर फरार हो जाने में सफल रहे। उन्नाव जिले में उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे अपराध क्रमों व अराजकता के कारण जनजीवन में भय एवं असुरक्षा की भावना घर कर गई है। अति लोक महत्व की इन सूचनाओं के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट... (व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, इन लोगों पर कांग्रेस का भूत सवार हो गया है। यह भूत इन लोगों को खा डालेगा। (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

कर अपेक्षा करता हूं कि वह अपनी उपेक्षात्मक नीति का परित्याग कर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करेगी ...

श्री श्यामधर मिश्र—

तभी यह लोग श्रीमन्, तान्त्रिक के पास जाते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

तथा उपरोक्त आंगजनी की सम्पूर्ण घटना के कारणों की निष्पक्ष व न्यायिक जांच कराने का कष्ट करेगी। ताकि जनता में व्याप्त असन्तोष की भावना दूर हो सके।

मुरादाबाद में ट्यूबवेल डिवीजन फर्स्ट में कुओं के बन्द पड़े रहने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, जिला मुरादाबाद के ट्यूबवेल डिवीजन फर्स्ट में लगभग 600 कुएं हैं। जिनमें से आधे कुओं के करीब कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण बन्द पड़े रहते हैं। ट्यूववेल आपरेटरों की रिपोर्ट पर रिपोर्ट करने के बावजूद भी सेक्शनल स्टाफ कोई ध्यान नहीं देता और जब से एक सब डिवीजन रामपुर में खोल दिया गया है उस वक्त से तो हर अधिकारी एक दूसरे पर टाल्मटोल ही करता रहता है। मिसाल के तौर पर सरकड़ा ग्रुप के ट्यूब वेल नं0 2 तथा 13 दो-दो महीने बन्द पड़े रहे जिनकी रिपोर्ट आपरेटर ने दिनांक 2 सितम्बर, 1977 को की थी, परन्तु कुयें अब तक चालू नहीं हो पाए हैं।

मुरादाबाद जिला सूखा ग्रस्त जनपद घोषित किया गया है और इस समय रवी की बुवाई के लिए पानी की घोर आवश्यकता है। परन्तु खेद की बात है कि इस डिवीजन के अधिकारी और कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों एकड़ भूमि में रबी की बुवाई नहीं हो सकेगी।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर माननीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(उद्योग मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री तुलसी प्रसाद—

[X X X X]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। यह व्यवस्था का नहीं, यह तो अव्यवस्था का प्रश्न है।

श्री तुलसी प्रसाद—

[X X X X]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। आप बैठ नहीं रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।)

वित्तीय निगम, कानपुर की वर्ष 1975–76 से सम्बन्धित 21वीं वार्षिक रिपोर्ट†

उद्योग उप मन्त्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर की वर्ष 1975-76 से सम्बन्धित 21वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन ऐक्ट, 1951 की धारा 38(3) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्तीय निगम, कानपुर का 1973–74 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन††

उद्योग उप मन्त्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर की वर्ष 1973-74 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन ऐक्ट, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लि० चुर्क, मिर्जापुर की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे, 1975–76†††

उद्योग उप मन्त्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड चुर्क, मिर्जापुर की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे 1975-76 कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 610-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश ब्वायलर अटेंडेण्ट्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976†

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, अपकी अनुमति के श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना सं0 1342 (वि)/36–3–1108–(बी)–74, दिनांक 16 नवम्बर, 1976 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश ब्यालर-अटेन्डेंट्स (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976, जो दिनांक 26 मार्च, 1977 को सदन के पटल पर रखी गयी थी और विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हुई, को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977†

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से खाद्य तथा रसद (अधिष्ठान अराजपत्रित) अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 अरा0–7276/29–अधि–2–4(1-1)–74, दिनांक 25 अगस्त, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश बाँट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।
††छापा नहीं गया।
†††छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की पंचम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1975–76†

उपमन्त्री, पर्वतीय विकास (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिडेट नैनीताल की पंचम वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1975-76, इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

सदस्यों की रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना मुझको देनी है।

अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ के वायरलेस मेसेज, दिनांक 17 अक्टूबर, 1977 जो इस सचिवालय में दिनांक 18 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री अजीत सिंह सेठी तथा श्री मन्जूर अहमद, सदस्य, विधान सभा (मेरठ) दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 के अपरान्ह 12 बजकर 48 मिनट पर जेल से छोड़े गए हैं। इन माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी आदि की सूचना सदन में 5 अक्तूबर, 1977 को दी गयी थी। इसकी सूचना बुलेटिन–9 द्वारा प्रसारित की गयी है।

2—मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, रायबरेली के पत्र दिनांक 13 अक्तूबर, 1977, जो इस सचिवालय में दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्रीमती सुनीता चौहान सदस्या, विधान सभा (राय बरेली) को दिनांक 10 अक्तूबर, 1977 को रिहा किया गया है। श्रीमती चौहान की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन–4 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

3—जिला मैजिस्ट्रेट/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली के रेडियोग्राम दिनांक 18 अक्तूबर, 1977, जो इस सचिवालय में दिनांक 19 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री अशफाक अहमद, सदस्य, विधान सभा (बरेली) को स्पेशल मैजिस्ट्रेट बरेली के न्यायालय द्वारा चेतावनी देने के उपरान्त दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 को रिहा किया गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन–9 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

4—जिला मैजिस्ट्रेट/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा तथा अधीक्षक, जिला कारागार आगरा के रेडियोग्राम, दिनांक 22 अक्तूबर, 1977, जो इस सचिवालय में दिनांक 24 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री सुरेन्द्र कुमार सिंघु सदस्य, विधान सभा (आगरा) को भारतीय दन्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत 15 दिन की सजा भोगने के उपरान्त दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 को कारागार से रिहा कर दिया गया है। भारतीय दन्ड विधान की धारा 395/336/436/147/323 के अन्तर्गत अपराध में उन्हें पहले ही जमानत प्रदान कर दी गयी थी। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन– 5, 8 व 9 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

---

†छापा नहीं गया।

5—अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहांपुर के रेडियो ग्राम दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 जो इस सचिवालय में दिनांक 24 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री सत्य पाल सिंह तथा श्री जगदीश सिंह सदस्य विधान सभा (शाहजहांपुर) को दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 को रिहा किया गया है । माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन–5 द्वारा प्रसारित की गयी थी ।

उक्त मद दो से पांच की सूचना बुलटिन-10 द्वारा प्रसारित की गई है।

6—जिला मजिस्ट्रेट बलिया के तार, दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 जो इस सचिवालय में दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ था, में यह सूचित किया गया था कि श्री शिव पूजा पाठक, सदस्य, विधान सभा, बलिया को न्यायालय द्वारा दो दिन की सजा देकर जो वे भोग चुके थे दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 को रिहा किया गया। चूंकि विधान सभा में उक्त नाम के कोई माननीय सदस्य नहीं हैं अत : जिला मजिस्ट्रेट बलिया को माननीय सदस्य के नाम की सही सूचना देने को कहा गया।

उक्त तार की डाक प्रति, जो इस सचिवालय में दिनांक 24 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुई थी, में माननीय सदस्य का नाम श्री बच्चा पाठक लिखा गया था। तदुपरान्त जिला मजिस्ट्रेट के तार, दिनांक 20 जनवरी, 1977 तथा उसकी डाक की प्रति जो इस सचिवालय में दिनांक 24 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुई, के अनुसार श्री बच्चा पाठक, सदस्य, विधान सभा, बलिया, को दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 को रिहा किया गया। चूंकि उक्त दोनों सूचनाओं में रिहाई के दिनांक के सम्बन्ध में विरोधाभास था इसलिए जिला मजिस्ट्रेट से पुन : सही जानकारी देने के लिए कहा गया। जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के तार दिनांक 31 अक्तूबर, 1977 जो इस सचिवालय में दिनांक 1 नवम्बर, 1977 को प्राप्त हुआ के अनुसार श्री बच्चा पाठक को दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 को रिहा किया गया। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना बुलेटिन-5 द्वारा प्रसारित की गयी थी ।

सदस्यों को वितरित होने वाली रिपोर्ट अंग्रेजी में होने तथा उस पर भूतपूर्व सरकार का स्लोगन लिखे होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज जो रिपोर्ट बांटी गयी है उसका मुख पृष्ठ अंग्रेजी में है। इसको हिन्दी में होना चाहिए । दूसरी चीज यह है कि इसके दूसरे पृष्ठ पर लिखा है— एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूर दृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन। यह तो खत्म हो गया है। ऐसी सरकार का पतन हो गया है। पूरी जनता ने इसको नकारा है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको निकलवाने के आदेश दें ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई बहस की बात नहीं है। यह अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में है। और जो माननीय शतरुद्ध प्रकाश का प्रश्न है कि पक्का इरादा और अनुशासन, उसकी आवश्यकता वर्तमान सरकार समझती है ।

दि प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्यों को डाक्टरी के लिए पंजीकृत कराने के सम्बन्ध में याचिका

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दि प्राइवेट मेडिकल प्रक्टिशनर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के सदस्यों को डाक्टरी करने के लिए पंजीकृत कराने के सम्बन्ध में श्री जगत नारायण सक्सेना, अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मुख्य मन्त्री एवं श्री एन० एल० गुप्त, उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गोपन अनुभाग-२ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री श्यामधर मिश्र ने माननीय मुख्य मन्त्री एवं श्री एन0 एल0 गुप्त, उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गोपन अनुभाग-2 के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने कानपुर में हुए 6 अक्तूबर, 1977 के प्रदर्शन के विषय को सदन में 14 अक्तूबर, 1977 को शून्य प्रहर में उठाया था। मेरे आदेशों के अनुसार इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की सूचना माननीय मुख्य मन्त्री के हस्ताक्षर से माननीय श्यामधर मिश्र को सात दिन के अन्दर भेज दी जानी चाहिए थी किन्तु सूचना माननीय मुख्य मन्त्री के हस्ताक्षर से न भेजी जाकर श्री एन0 एल0 गुप्त, उप सचिव, उत्तर प्रदेश, सरकार, गोपन अनुभाग-2 के हस्ताक्षर से भेजी गई।

मैंने 12 अक्तूबर, 1977 को यह स्पष्ट अनुरोध किया था कि सदन में जैसे प्रश्नों के उत्तर आते हैं और उस पर सम्बन्धित मन्त्रियों के हस्ताक्षर होते हैं उसी प्रकार शून्य प्रहर की सूचनाओं के उत्तर भी सम्बन्धित मन्त्रियों के हस्ताक्षर से आने चाहिए। वे किसी सचिव के द्वारा नहीं दिए जाने चाहिए। मैंने मुख्य मन्त्री से यह अनुरोध किया था कि वे अपने सभी मन्त्रियों को यह आदेश करें कि भविष्य में माननीय सदस्यों को, जो सदन के माध्यम से या मेरे कार्यालय के माध्यम से, भेजे गए पत्र के उत्तर भेजे जायं, उन पर माननीय मन्त्रियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस सम्बन्ध में दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 को मेरे सचिवालय द्वारा परिपत्र भी भेजा गया था। मालूम होता है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने अभी इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी नहीं किये हैं इसलिए इस सम्बन्ध में बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मैं इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को तो ग्राह्य नहीं करता हूं किन्तु माननीय मुख्य मन्त्री से पुन: अनुरोध करूंगा कि वे कृपया सभी मन्त्रियों को इस बात के आदेश करें कि भविष्य में शून्य प्रहर की सूचनाओं के उत्तर जो माननीय सदस्यों को भेजे जायें वे माननीय मन्त्रियों के ही हस्ताक्षर से भेजे जाने चाहिए। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि सभी अधिकारियों का ध्यान भी इस आदेश की ओर आकृष्ट कर दिया जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति न हो।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, एक बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मैंने जो आपसे निवेदन किया वह आज ही नहीं बल्कि पहले भी किया है। जो कि प्रोसीडिंग का भाग है। मैं आज तीसरी बार निवेदन कर रहा हूं। उस समय मैं भी उठा और कई माननीय सदस्य भी उठे थे। मान्यवर, शून्य प्रहर में उठाई गई सूचनाओं पर सात दिन के अन्दर तो जवाब नहीं मिलते यह बात तो है ही लेकिन इसके अलावा जो सूचनायें अन्तिम रूप से मिलती हैं उन पर सचिव, उप सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आपने इसी जगह बठकर स्पष्ट रूप से आदेश दिए थ कि उन पर माननीय मन्त्रियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आपकी आज्ञा का उलघंन न केवल माननीय मुख्य मन्त्री ने किया है बल्कि उप सचिव ने भी किया है इस लिए यह ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है चूंकि ऐसा पहले भी हुआ है अतः इसे प्रिविलेज कमेटी को दिया जाना चाहिए।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, शून्य प्रहर की पद्धति जिसको माननीय अध्यक्ष ने बहुत विचार करने के बाद निर्धारित की, इससे कामरोको प्रस्तावों की संख्या कम हो गई, नियम 51 के अन्तर्गत जो वाद-विवाद हुआ करते थे, वह भी बहुत कम हो गया है। अगर यह वाद-विवाद बना रहता है तो उसके लिए आवश्यक है हमारे माननीय विधायकगण, चाहे वे इस पक्ष के हों या उधर के हों, इनके पीछे उनकी जो भावनायें रहती हैं। तो इनके महत्व को देखते हुए जब तक मन्त्रियों के पास ड्राफ्ट नहीं आयेंगे, तब तक माननीय सदस्यों की भावनाओं का समादर इस सदन की मर्यादा को देखते हुए नहीं हो सकेगा। यह परम्परा आज कल बन गई है। माननीय सदस्य या मैं, नेता विरोधी दल की हैसियत से, माननीय मुख्य मन्त्री को जो पत्र लिखता हूं तो होता यह है कि हमारे पत्रों के उत्तर नहीं दिए जाते। इसकी जानकारी शायद मन्त्रिमन्डल को नहीं है। यह बात अभी भी चली आ रही है। एक परम्परा सी बन गई है। आज हम देख रहे हैं कि शून्य प्रहर की सूचनाओं का उत्तर उप सचिव दे, तो इस तरह से विशेषाधिकार की अवहेलना का दायित्व आप पर आ जाता है।

वैसे तो आप छोड़ दें यह आप के ऊपर है लेकिन क्या उपाय है? सदन 2-3 दिन के उपरान्त उठ जायगा, कितने ही प्रश्न हैं जिनके माननीय सदस्यों को उत्तर नहीं मिले हैं। तो कोई रिकार्ड अवश्य होना चाहिए जिससे यह मालूम हो सके कि कितने प्रश्न माननीय सदस्यों के आए, उन पर उत्तर आए या नहीं। जिन प्रश्नों के उत्तर माननीय मन्त्रियो द्वारा भेजे गए उनकी कापियां आपके पास भी होनी चाहिएं और आपको मालूम होना चाहिए कि क्या उत्तर दिए गए, इसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को भी होनी चाहिए ताकि वह देख सके और इस प्रकार सदन में प्रश्न कम हों। अगर कोई दूसरा प्रश्नकर्ता भी उससे अपने को सम्बद्ध करना चाह तो वह उन उत्तरों को देख सके। तो इसके लिए कोई रजिस्टर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

होना चाहिए जिससे प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जानकारी हो सके। वे जिले में नहीं जा सकते हैं तो इसलिए उनको उनकी जानकारी होना चाहिए ताकि अगर किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर जानकारी प्राप्त कर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो उससे उनको सहायता मिलेगी।

श्री श्यामधर मिश्र जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह महत्व का है और मैं चाहूंगा कि इस पर आप, जैसे भी हो, कार्यवाही करें।

*उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नता विरोधी दल न जो भावनाये व्यक्त की हैं उनका मैं आदर करता हूं। यह बात सही है कि माननीय सदस्य जिन विषयों को शून्य प्रहर में उठाते हैं उन पर न केवल मन्त्रियों के हस्ताक्षर से उत्तर मिलें, अपितु उन पर गम्भीरता से शासन विचार कर और यह माँग उनकी बहुत उचित है। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शासन सतर्क रहेगा और आगे इस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि इस प्रश्न पर माननीय मन्त्री ने आश्वासन दिया इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न तो नहीं बनता है और आज शाम को 5 1/4 बजे मैंने अपने कक्ष में माननीय नेता सदन माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी और माननीय नेता निर्दलीय दल की बैठक भी बुलायी है और प्रश्नों पर जिनको समय-समय पर माननीय सदस्यों ने उठाया है, उन पर विचार होगा। उद्योग मन्त्री जी ने जैसा आश्वस्त किया है वे इस बात का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उप-सचिव, मुख्य सचिव, और सचिव भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह सदन के सम्मान का प्रश्न है, वे कोई पत्र अपने हस्ताक्षर से न भेजें और वे माननीय मन्त्रियों का ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि यह एक औचित्य का प्रश्न है। इसलिए मुझे आशा है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होगी।

कारागार मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय देवबहादुरसिंह ने माननीय ओम प्रकाश सिंह, कारागार मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि 18 अक्तूबर सन् 1977 को मेरठ जिला जेल में अधिकारियों तथा कैदियों में संघर्ष के विषय पर सदन में वक्तव्य देते हुए माननीय कारागार मन्त्री, श्री ओम प्रकाश सिंह ने श्री मंजूर अहमद की चोटों के बारे में यह कहा कि उनकी सी0 एम0 ओ0 और अन्य डाक्टरों ने जाँच की और उन्हें मेडिकल कालेज में भेज कर उनका एक्स-रे भी किया गया और कोई फ्रेक्चर नहीं निकला। अतः पुनः एक्स-रे कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता। माननीय देव बहादुर सिंह जी का कहना है कि श्री मंजूर अहमद का पत्र, दिनाँक 30 अक्तूबर, 1977 नेता विरोधी दल के कार्यालय में 30 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने लिखा है कि "21 तारीख को एक्स-रे में उनकी पसलियाँ टूटी पाई गईं।" माननीय सदस्य का कहना है कि "माननीय कारागार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मन्त्री ने सत्य से परे वक्तव्य देकर सदन को गुमराह किया है और सदन का अपमान हुआ है।" यह उनका कहना है।

*न्याय एवं कारागार मन्त्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

मान्यवर, जो सूचना उस समय हमें प्राप्त हुई और जेल अधीक्षक की रिपोर्ट जो मिली थी और जो रेडियोग्राम डी0 एम0, मेरठ ने भेजा था उसके अनुसार यही है कि उन्हें कोई भी फ्रैक्चर उस समय, मेडिकल कालेज में पता चला कि नहीं है। उसका वर्जन कहें तो पढ़ दूं।

दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात मान्यवर, जब हमारे अधिकारियों ने सूचना दी उसके आधार पर हमने वक्तव्य दिया था, उसका रेकार्ड हमारे पास है। माननीय उपनेता विरोधी दल ने भी अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया था, जिसे मैं पढ़ दूं, दिनांक 19 अक्तूबर, 1977 की कार्यवाही का पृष्ठ 200 है—

"श्री श्यामधर मिश्र—श्रीमन्, मुझे तो बहुत असन्तोष है इस वक्तव्य से। मैं एक दो सवाल करना चाहता हूं। और इसमें आप देखें, मैंने एक प्रश्न जो दिया था कार्य स्थगन के रूप में मंजूर अहमद, एम0 एल0 ए0 को 8-8 चोटें आयीं, लिखा है। डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार 8 चोटें बतायी गयी हैं, हम लोगों को इत्तला है कि फ्रैक्चर तो नहीं है, लेकिन इसमें काफी गम्भीर चोटें आयी थीं।"

अब मेडिकल कालेज के एक्स-रे की ओरिजिनल रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन जो हमारे अधिकारियों ने सूचना दी थी उसको उपनेता विरोधी दल ने भी स्वीकार किया और जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है तो वह एक पत्र के आधार पर उठाया है। इसलिए यह विशेषाधिकार का प्रश्न तो बनता नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जब यह वाद-विवाद हो रहा था तो मैंने माननीय मन्त्री जी से प्रश्न किया था कि मुझे सूचना है कि उनको फ्रैक्चर है, तो उनका क्या एक्सरे किसी बाहर के अस्पताल में कराने को कृपा करेंगे? माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अब पुनः एक्स-रे कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो मैं कहता हूं कि मंत्री जी को सूचना थी कि उनको फ्रैक्चर है और वे जानबूझकर चाहते थे कि इसकी खबर सदन को न होने पाये। नहीं तो मेरी जो सूचना थी उसको वह मान लिये होते कि पुनः एक्स-रे कराने की व्यवस्था की जायगी तो एक प्रश्न किया गया, सुझाव दिया गया उसके उत्तर में आया कि एक्स-रे नहीं करायेंगे और चिट्ठी में लिखा है कि दूसरे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं एक्स-रे में रिपोर्ट आयी है कि पसलियां टूटी हुई हैं। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूं। यह विशेषाधिकार की अवहेलना का गम्भीर प्रश्न है, सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया। अत इसको समर्पित किया जाय, विशेषाधिकार समिति को।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल इस पर बहुत प्रकाश पड़ चुका है। मेरे सामने सारे तथ्य हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्रीजी का वक्तव्य हुआ 18 अक्तूबर को और यह रिपोर्ट जिसका जिक्र पत्र में किया गया है और जिसकी प्रतिलिपि मुझे भी मिली ह उसमें 21 अक्तूबर का जिक्र है। तो माननीय मन्त्री जी 18 अक्तूबर को 21 अक्तूबर की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

रिपोर्ट कैसे दे सकते थे ? आपने विशेषाधिकार के साथ में, जिस आधार पर यह प्रश्न उठाया उसकी प्रतिलिपि नहीं दी है और माननीय नता विरोधी दल तो स्वयं संसदीय प्रणाली के बड़े ज्ञाता हैं, वह जानते हैं कि विशेषाधिकार का प्रश्न तभी पैदा होता है जबकि कोई सदस्य या मन्त्री जानबूझ कर सदन को भ्रमित करे और अगर उनका वक्तव्य किसी रिपोर्ट पर आधारित है तो उन्होंने तो गुमराह नहीं किया। इसलिए इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

लेकिन मैं माननीय न्याय मन्त्री और कारागार मन्त्री से अपेक्षा करूंगा कि जिन अधिकारियों ने उनको यह सूचना दी कि उनकी हड्डियां नहीं टूटी हैं, उसकी जाँच कराकर अगर यह असत्य पायें तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें कि उन्होंने क्यों इस प्रकार की गलत सूचना दी।

क्योंकि 21 तारीख की रिपोर्ट में यह लिखा है कि उनकी पसलियां टूटीं। इसमें न्याय मन्त्री के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है तो आप इसकी जांच करायें कि रिपोर्ट जो आपको दी गयी, वह सत्य है या असत्य है। उसके आधार पर कार्यवाही करें। इसलिये मैं विशेषाधिकार के प्रश्न को ग्राह्य नहीं करता।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

एक व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न तो जो विषय विचाराधीन हो, उसके नियम के सम्बन्ध में होता है। आप मुझे बताइए कि किस नियम में व्यवस्था चाहते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

विशेषाधिकर का जो आपने निर्णय दिया उससे सम्बद्ध एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं व्यवस्था के प्रश्न के द्वारा . . .

श्री अध्यक्ष—

तो व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है। आप अपनी बात कहिए ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जैसा आपने स्वयं कहा कि जो सूचना माननीय मन्त्री जी को जिले से आई वह सूचना गलत थी, असत्य थी, उससे कुछ गड़बड़ी पैदा हो गयी ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह कहा कि माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य 18 तारीख का है और आप विशेषाधिकार का प्रश्न 21 तारीख की रिपोर्ट पर उठा रहे हैं। इसलिए वह तो 21 तारीख की सूचना 18 तारीख को दे ही नहीं सकते थे ।

श्री रियासत हुसैन—

विशेषाधिकार से सम्बद्ध नहीं है, वह तो हो गया। जब कोई भी सूचना इस सदन में माननीय मन्त्री जी द्वारा आती है तो जिले के अधिकारियों द्वारा ही आती है। यह सत्य भी होती है और असत्य भी होती है। तो मैं इस बात पर विशेषतौर से व्यवस्था चाहता हूं कि अगर कोई असत्य सूचना जिलाधिकारियों द्वारा माननीय मन्त्री जी द्वारा आई और वह इस माननीय सदन में रखी गयी तो उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

यह मैं व्यवस्था दे चुका हूं। मैंने कहा कि 18 तारीख को जो माननीय कारागार मन्त्री ने सूचना दी है उसमें कहा, उनकी हड्डियां नहीं टूटीं, जबकि उनका एक्स-रे कराया गया। तो मैं माननीय कारागार मन्त्री से अपेक्षा करता हूं कि इसकी सूचना हासिल करें, क्योंकि बाद में मालूम हुआ कि उनकी हड्डियां टूटी हैं। तो जाहिर है कि यह रिपोर्ट गलत है। तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उस समय उन अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार माननीय सदस्यों का स्वयं होगा। इसलिए मैं कारागार मन्त्री से अपेक्षा करता हूं कि वह रिपोर्ट मंगाएं कि सत्य क्या है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

आपका जो निर्णय है वह शिरोधार्य है। मैं केवल एक आग्रह करना चाहता हूं। माननीय श्री मन्जूर अहमद ने जो पत्र मुझे लिखा है, उसकी प्रतिलिपि मैंने भिजवा दी है। देव बहादुर जी के प्रस्ताव में भी लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि वह सदन की सेवा से भी वंचित हो गए हैं क्योंकि वह प्यारे लाल अस्पताल में फ्रैक्चर होने के कारण भर्ती हैं। तो मैं यह अवश्य चाहूंगा कि जो वक्तव्य इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी दें वह परसों तक अवश्य दे दें, क्योंकि सदन के एक सदस्य के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

आपने जांच के लिए कहा, इसलिए उस सम्बन्ध में मैं स्पष्टीकरण दे दूं। मैंजिस्टीरियल जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं। जो वक्तव्य हमने दिया था और जो रिपोर्ट डी0एम0 ने भेजी है वह मेडिकल कालेज के एक्स-रे के आधार पर थी। मैंने आदेश दे दिया है कि ओरिजिनल एक्स-रे प्लेट और रिपोर्ट भेज दी जाय। उसमें अगर कोई तथ्य छिपाया गया होगा तो जरूर कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष—

अध्यक्ष की तरफ से जो पहले भी आदेश दिया गया है करण संख्या 213 में कहा है, "सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जायगी, उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होगा। यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मन्त्री द्वारा सदन में ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मन्त्री सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे।" इसलिए इस पर अब बहस नहीं होगी। मैं आदेश दे चुका हूं। चूंकि एक माननीय सदस्य का प्रश्न है, अगर हड्डी टूटी है तो आज भी रिपोर्ट प्राप्त हो सकती है। अगर मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने अन्धकार में रखा, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।

दिनांक 26 सितम्बर, 1977 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में कृषि मन्त्री का शोधन वक्तव्य

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26 सितम्बर, 1977 को श्री हरिकेवल प्रसाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछ गए तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में श्री सुखपाल पाण्डेय, सदस्य,

[श्री राजेन्द्र सिंह]

विधान सभा के अनुपूरक प्रश्न तथा सदन में उस समय दिये गये उत्तर निम्न थे--

"श्री सुखपाल पाण्डेय--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1 लाख 32 हजार रुपये का जो यह मामला है उस सम्बन्ध में स्थानान्तरण करने के आदेश हो गए हैं तो किन परिस्थितियों में माननीय मन्त्री जी को रोकने के लिए बाध्य होना पड़ा ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

स्थानान्तरण कहां पर किया गया है स्पष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष--

स्थानान्तरण का आदेश हुआ है कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर नहीं, चार्जशीट दी गयी है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

स्थानान्तरण के आदेश को रोकने के लिए मन्त्री जी ने किस परिस्थिति में आदेश दिए ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

वह तो जिला कृषि अधिकारी हैं, उनका ट्रान्सफर नहीं किया गया ।"

जिला कृषि अधिकारी, रायबरेली के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सही स्थिति इस प्रकार है--

"स्थानान्तरण आदेश रोका नहीं गया। तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी का स्थानान्तरण कृषि निदेशक द्वारा 29 अक्तूबर, 1976 को भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर शारदा सहायक परियोजना, सुल्तानपुर में किया गया था, जहां उन्होंने दिनांक 20 नवम्बर, 1976 को योगदान कर लिया था।"

मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर की प्रति संलग्न है ।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 536–537 पर)

दिनांक 26 सितम्बर, 1977 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

गन्ना विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26 सितम्बर, 1977 को श्री नन्दराम द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 16 के सम्बन्ध में श्री नन्दराम ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो नान-सल्फर केन क्रेशर हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है, उसे समाप्त करेंगे ? मेरे जिले मुजफ्फरनगर की बात है कि जो गुड़ बनाते हैं उन पर इतना कर लगा दिया गया है जिससे वे परेशान हैं तो क्या मन्त्री जी उसे समाप्त करने की योजना बना रहे हैं ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "यह सरकार के विचाराधीन ह ।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है--"सल्फर व नान-सल्फर क्रेशर पर दो प्रकार का टैक्स लगाया जाता है--आबकारी शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) तथा गन्ना क्रय-कर--आबकारी शुल्क भारत सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है,

जिस पर राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। आबकारी शुल्क की बढ़ी हुई वर्तमान दरों में कमी कराने के सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। क्रय-कर की समाप्ति का कोई प्रश्न वर्तमान समय में सरकार के विचाराधीन नहीं है। मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 538 पर)

विभिन्न समितियों के सदस्यों के नाम निर्देशन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

वर्ष 1977–78 के लिए प्रतिनिहित विधायन समिति तथा विशेषाधिकार समिति के लिए नाम-निर्देशित किए गए माननीय सदस्यों की सूचना दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 को दी गयी थी। इसी वित्तीय वर्ष के लिए अन्य समितियों में जिन माननीय सदस्यों को नामांकित किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं :—

आश्वासन समिति

1—श्री जंगबहादुर सिंह पटेल, इलाहाबाद
2—श्री धर्मवीर सिंह, मेरठ
3—श्री प्यारे लाल, एटा
4—श्री विष्णु प्रताप सिंह, गोण्डा
5—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर
6—श्री उदयनाथ, वाराणसी
7—श्री भगवतीचरण निर्मोही, पौड़ी
8—श्री खान गुफरान जाहिदी, फतेहपुर
9—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, उन्नाव
10—श्री कल्पनाथ सिंह, गोरखपुर
11—श्रीमती रामरती देवी, फैजाबाद
12—श्री राम रतन सिंह, सीतापुर
13—श्री मन्जूर अली खां (उर्फ शन्नू खां), रामपुर
14—श्री गोविन्द सिंह नेगी, टेहरी गढ़वाल
15—श्री रियासत हुसैन, मुरादाबाद।

श्री रियासत हुसैन को उक्त समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

याचिका समिति

1—श्री जसवीर सिंह, एटा
2—श्री रामजनम, आजमगढ़
3—श्री मुकुन्दी सिंह, बिजनौर
4—श्री जगदीश सिंह, गोरखपुर
5—श्री हुर प्रताप सिंह, इलाहाबाद

[श्री अध्यक्ष]

6—श्री हरिकृष्ण श्रीवास्तव, कानपुर
7—श्री रवीन्द्र सिंह, गोरखपुर
8—श्री राम दयाल, मेरठ
9—श्री हरिचरण यादव एडवोकेट, सुल्तानपुर
10—श्री अजब सिंह, मुजफ्फरनगर
11—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी, मुरादाबाद
12—श्री एदल सिंह, बुलन्दशहर
13—श्री धर्मराज सिंह, हरदोई
14—श्री मकबूल अहमद, रामपुर।

श्री उपाध्यक्ष इसके सभापति होंगे।

नियम समिति

1—श्री मधुकर दिघे, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री,
2—श्री सत्य प्रकाश मालवीय, स्वायत्त शासन मन्त्री
3—श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', कानपुर
4—श्री अली असगर हुसैन, बदायूं
5—श्री राम दत्त जोशी, नैनीताल
6—श्री शिवानन्द नौटियाल गढ़वाल
7—श्री श्याम दत्त पालीवाल, आगरा
8—श्री बेनी प्रसाद वर्मा, बाराबंकी
9—श्री कन्हैया लाल गुप्ता, मथुरा
10—श्री राम अधार, आजमगढ़
11—श्री मोहन लाल अहेरवार, हमीरपुर
12—श्री कमला प्रसाद सिंह जौनपुर
13—श्रीमती कुदसिया बेगम, हरदोई।

इस नियम समिति के सभापति अध्यक्ष होंगे।
उपाध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे।

आवास मन्त्रणा एवं किचन समिति

1—श्रीमती विमला राकेश, सहारनपुर
2—श्री बाबू सिंह, अलीगढ़
3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, गोरखपुर
4—श्री फजलुल बारी उर्फ बन्ने भाई, गोण्डा
5—श्रीमती शशि प्रभा, प्रतापगढ़
6—श्री मन्ना लाल, खीरी
7—श्री सूरवीर सिंह, देहरादून
8—श्री सुन्दर लाल, उन्नाव

9—राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह, आगरा
10—श्री भारत सिंह चौहान, इटावा
11—श्री सुल्तान सिंह , मुरादाबाद
12—श्री राम देव यादव, रायबरेली
13—श्री राजेन्द्र सिंह यादव, फर्रुखाबाद
14—श्री ऊदल, वाराणसी ।

उपाध्यक्ष ही इसके सभापति होंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान पुस्तकालय समिति

1—श्री अवैद्यनाथ, गोरखपुर
2—श्री विजयराज सिंह, बुलन्दशहर
3—श्री ख्याली राम शास्त्री, मुरादाबाद
4—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा, सीतापुर
5—श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह, बस्ती
6—डा0 जवाहर लाल, इलाहाबाद
7—डा0 जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, सुल्तानपुर
8—श्री दीनानाथ सेवक, रायबरेली
9—श्री नारायण सिंह, मुजफ्फरनगर
10—श्रीमती पुष्पा तलवार, कानपुर नगर
11—श्री प्रताप सिंह, गढ़वाल
12—डा0 बाबू राम प्रभाती, पीलीभीत
13—डा0 भगवत दयाल, झांसी
14—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, बस्ती
15—श्री शतरुद्ध प्रकाश, वाराणसी
16—आचार्य धर्मदत्त वैद्य, बरेली
17—श्री दुर्ग विजय सिंह, आजमगढ़
18—श्री हामिद रजा खां, बरेली
19—श्री राम सजीवन, बाँदा।

उपाध्यक्ष इसके सभापति होंगे ।

संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति

1—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, फर्रुखाबाद
2—श्री शिवानन्द नौटियाल, चमोली
3—श्री लक्खी सिंह, मथुरा
4—श्री नारायण सिंह भैसोरा, पिथौरागढ़

[श्री अध्यक्ष]

5—श्री राजेन्द्र कुमार, सीतापुर
6—श्री राज मंगल पाण्डेय, देवरिया
7—श्री शम्भूनाथ चौधरी, बलिया
8—श्री रेवती रमण रस्तोगी, कानपुर
9—श्री कृपा शंकर आर्य, देवरिया
10—श्री राम जनम राय, गाजीपुर
11—श्री वीरेन्द्र पति यादव, मैनपुरी
12—श्री गुलाब सेहरा, आगरा
13—श्री मोहन लाल त्रिपाठी, रायबरेली ।

अध्यक्ष इसके सभापति और उपाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1977†

स्वायत्त शासन उप मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सत्य प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करता हूं ।

बाराणसी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत मुझको जो सूचना प्राप्त हुई है, उसम सर्वश्री शतरुद्ध प्रकाश, राम अधार, कृष्णा राय, रवीन्द्र सिंह, श्याम देव, मोती लाल देहलवी, रघुवर दयाल वर्मा, संगम लाल शुक्ल, विक्रमा राय, हरिकेवल प्रसाद, राम नरेश पाण्डेय, राजेन्द्र प्रसाद, सूर्य मुखी शर्मा, राम नारायण वर्मा, सुदामा प्रसाद गोस्वामी, ऊदल, सुन्दर लाल दीक्षित, श्याम धर मिश्र, रियासत हुसैन, जगन्नाथ प्रसाद, राम आसरे वर्मा ने कहा है कि दिनांक 23 अक्तूबर, 1977 को वाराणसी शहर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के प्रश्न पर दो सम्प्रदायों में झगड़ा होने के कारण 8 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 23 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक शहर में कर्फ्यू लगने के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है तथा 31 अक्तूबर, 1977 को पूरा शहर बन्द है ।

---

†दिनांक 1 नवम्बर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित किया गया ।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इस समय पूरे वाराणसी शहर की स्थिति असामान्य हो गयी है। आतंक, डर और हिंसक बर्ताव से वहाँ का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। 31 अक्तूबर को पूरा नगर बन्द रहा। 23 अक्तूबर से पूरे शहर में कर्फ्यू और धारा 144 लगी। देवनाथपुरा, मदनपुरा में 23 तारीख को गोली चली, पथराव हुआ, लाठी चली और आँसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मान्यवर, 43 राउन्ड पुलिस के द्वारा गोली चलायी गयी। जिसमें 40 राउण्ड 303, थिरी-नाट थिरी तथा 3 राउन्ड पिस्तौल और राइफल से गोलियाँ चलाई गयीं। 9 आदमी मरे हैं। 150 से ज्यादा घायल हैं। 300–350 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है।

मान्यवर, यह सिलसिला बन्द नहीं हुआ कि 30 तारीख को ऐतिहासिक नककटैया जो चेतगंज में हुआ करती है, मान्यवर, वाराणसी शहर सांस्कृतिक शहर है। विभिन्न संस्कृतियो की राजधानी है वाराणसी। जहाँ पर सांस्कृतिक झाँकियों के जरिए, परम्पराओं के जरिए, सद्भावना और आपसी प्रेम स्थापित किया जाता है। मुझे अफसोस है कि 30 तारीख को नककटैया को, जो केवल नककटैया ही नहीं है, उस पर प्रशासन ने रोक लगा दी। रोक क्यों लगाई गयी इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं थी लेकिन कहा गया कि इससे मुसलमानों को आपत्ति होगी। लेकिन वाराणसी के मुसलमानों ने एलान किया कि रामलीला और नककटैया होती है तो आपत्ति नहीं होगी। इससे साम्प्रदायिक भावना बढ़ेगी। बल्कि नककटैया नहीं निकलेगी तो आशंका हो जायगी। चाहे हिन्दू हों या चाहे मुसलमान हो, अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए जायेंगें, रोके जायेंगे तो साम्प्रदायिक एकता की सम्भावना कम हो जायगी। यह प्रशासन को बता दिया गया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वाराणसी में 30 तारीख को वाराणसी की सांस्कृतिक भावना को चोट पहुंचायी गयी। 31 तारीख को पूरा वाराणसी शहर बन्द रहा। किसी राजनैतिक पार्टी के आवाहन पर बन्द नहीं किया गया। जब वाराणसी की सांस्कृतिक भावना को चोट पहुंची तो वाराणसी की एक दूकान नहीं खुली। 144 लगी थी। हजारों लोगों न अपनी अभिव्यक्ति बहुत ही सांस्कृतिक ढंग से की। वहाँ का जनजीवन असामान्य कर दिया गया। तो यहाँ सदन में, नियम 56 के अन्तर्गत सदन का सारा काम स्थगित करके काम-रोको प्रस्ताव की मैं अनुज्ञा चाहूंगा कि आप आज्ञा दें ताकि वाराणसी की स्थिति पर विचार हो सके।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय शतरुद्ध प्रकाश को कि शासक दल के होते हुए उन्होंने काम-रोको प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। श्रीमन्, जो हालात वाराणसी में हुए हैं। इस साम्प्रदायिकता को लेकर, चाहे हिन्दू हों या चाहे मुसलमान हों सभी को दुखद लगा है। वहाँ न हिन्दू मरा है न मुसलमान मरा है, मान्यवर, वहाँ का इन्सान मरा है। वहाँ जाकर हम लोगों ने देखा, वहाँ 4 दिन हम स्वयं रहे। वहाँ की साम्प्रदायिकता की जिम्मेदारी मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम धर मिश्र]

किसी एक पर नहीं लगाता हूं। मैं तो यह कहता हूं कि इसकी पूरी जाँच हो जाय, इसकी जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पर पूरे ढंग से चर्चा होनी चाहिए। पूरी बहस होनी चाहिए। कोई काम नहीं होना चाहिए।

श्रीमन्, 21 तारीख को दुर्गा माई का दिवस था। 21 तारीख को पूरे प्रदेश में और वाराणसी में प्रतिमा प्रवाहित की जाती है, गैर बंगालियों की और 22 तारीख को बंगालियों की प्रवाहित की जाती है। तो वहाँ भी और अन्य जगहों पर प्रतिमा प्रवाहित की गयीं। केवल एक स्थान देवनाथ पुरा, श्रीमन्, जहाँ पहले सूचना थी, 22 तारीख को मालूम हो गया था, लेकिन 8 घंटे पंचायत होती रही। वहाँ डी0 एम0 और ए0डी0 एम0 तथा माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी वहाँ थे। पता नहीं कि उस पंचायत में क्या हुआ? मेरे पास अखबार की कटिंग है। वहाँ का जनवार्ता अखबार ह और गाँडीव जो मुख्य अखबार है उसकी कटिंग है। इन्होंने वक्तव्य दिया ह जिसको मैं थोड़े में कहूंगा, क्योंकि समय नहीं है विस्तार से कहने का। इन्होंने कहा कि यदि 8 घंटे न लगाया होता और केवल डी0 एम0 तथा एस0 पी0 बैठकर तय करते तो ठीक होता। हुआ क्या कि मुसलमानों को कह दिया कि यह रास्ता और हिन्दुओं से कह दिया कि यह रास्ता। दोनों से दूसरी-दूसरी बातें कहीं।

श्री अध्यक्ष—

आप विस्तार में जा रहे हैं। अब तो आप केवल इसकी ग्राह्यता के बारे में कहें।

श्री श्यामधर मिश्र—

लम्बे में नहीं तो थोड़े में आप सुनें।

23 तारीख को काण्ड हुआ। उस दिन प्रतिमा रोकी गयी। सब मुसलमानों ने नहीं रोका, बल्कि कुछ हिन्दू और कुछ मुसलमानों ने रोका। यह बात शासन को मालूम थी, लेकिन फिर भी वहाँ 23 को पुलिस फोर्स नहीं थी। क्यों नहीं थी? मैं जानता हूं कि 24 को भी पुलिस काफी नहीं थी। मैंने एक प्रश्न उठाया था रेवड़ी तालाब का, जिसका उत्तर नहीं आया था। आज एक प्रश्न के रूप में आया था। वह प्रश्न शून्य प्रहर में उठाया गया था। मैंने 6 तारीख को कलेक्टर को तार दिया था कि इसकी जाँच करें। लेकिन जब मन्त्रियों के जवाब नहीं मिलते तो कलेक्टर क्यों जवाब दें। आज तक शून्य प्रहर का जवाब नहीं मिला है। उससे भी यह संकट जुड़ जाता है। रेवड़ी तालाब में 24 को एक उपासना का स्थान है उसको जलाया गया। पुलिस फोर्स 23 को पूरी नहीं थी। हमारे पास प्रमाण है कि 23 को सेन्ट्रल रूम को और दशाश्वमेध घाट पर पुलिस भेजने को कहा क्योंकि वहाँ झगड़ा होने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला है और पुलिस नहीं भेजी। फिर वहाँ मन्त्री गये। नौ ग्रह गए। शाही जी, मुख्य मन्त्री जी, केन्द्र के मन्त्री तथा और कई मन्त्री लोग वहाँ गए। यदि राहत द तो हमें खुशी है। लेकिन बयान दिया और कहा कि काँग्रेस वालों ने किया है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप इस समय प्रश्न की ग्राह्यता पर विचार कर रहे हैं कि इसके तफसील में विचार करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

शतरुद्ध जी का एतराज सही है कि इसके मतलब अपने आप कार्य-स्थगित हो गया--प्रश्न की ग्राह्यता के पहले ही ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, यदि स्थगित कर दें तो आपको धन्यवाद देता हूं, उनको भी और आपको भी।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, इसको ग्राह्य करेंगे कि नहीं। काफी सुन लिया है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप इसके तथ्यों के डिटेल में न जायं ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, मेरे पास कटिंग है। कितना थोड़े में कहूं। हमारे पास वह योग्यता नहीं है जो माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी के पास है। इतनी बड़ी बात छोटे में कैसे कहूं। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मान्यवर, अखबार कहता है कि मदनपुरा फसाद का कारण है।

श्री अध्यक्ष---

आप इसकी डिटेल में जा रहे हैं। इसकी अनुमति मैं नहीं देता।

श्री श्यामधर मिश्र---

अगर आप कन्विन्स्ड हैं तो ठीक है। इसमें लिखा है. . ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री श्यामधर मिश्र---

अभी भी वहां कर्फ्यू जारी है। वहां टेन्शन है। माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने सही कहा कि नककटइया का उत्सव होता है और लाखों आदमी वहां जाते हैं। वहां उस दिन हड़ताल थी। किसी के कहने से नहीं, लोगों ने स्वयं की थी। मेरी मांग है श्रीमन्, आपके द्वारा कि यह आरोप कि कांग्रेस वाले गड़बड़ हैं या जनसंघ वाले गड़बड़ हैं तो इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पर यहां पूरी तरह से बहस होनी चाहिए ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, यह जो घटना बनारस में 23 तारीख को घटी है यह अपने आप में बहुत गम्भीर है। जैसा माननीय शतरुद्ध जी ने कहा 22 को ही वहां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन का प्रश्न था और कुछ विवाद था। जिसकी सूचना प्रशासन को भी थी। लेकिन प्रशासन ने उसकी रोकथाम के लिए दखल नहीं दिया और कोई व्यवस्था नहीं की और 24 घंटे लटकाये रखा। 23 तारीख को पांच छः बजे जब यह मामला वृहदरूप धारण कर लिया तब वहां प्रशासन के लोग दिखाई पड़े। तब तक टेन्शन काफी बढ़ चुका था और उसका नतीजा यह हुआ, जैसा शतरुद्ध जी ने कहा, 44 राउन्ड गोली चलानी पड़ी, अश्रु गैस चलानी

[श्री ऊदल]

पड़ी, दुकान लुटीं, सैकड़ों लोग बन्द हैं और घायल हैं। नौ व्यक्तियों के मरने की रिपोर्ट है, उनकी। सरकारी सूचना के अनुसार 8 व्यक्ति मरे हैं। करफ्यू वहां परसों तक था। वहां से मैं परसों आया था तो तब तक करफ्यू था। मेरे साथी कह रहे हैं कि अभी भी करफ्यू हैं। करफ्यू देवनागपुर और उसके अगल-बगल के मुहल्लों में लगाया गया। गोदौलिया और गिरजाघर चौराहों पर बैरीकेड लगा कर जो लोग दशाश्वमेध घाट आते हैं उनको रोका गया। मैं खुद गया तो मुझे भी एक हवलदार ने गोली मारने की धमकी दी। मैं डी0एम0 के पास गया और कहा कि तीन फर्लांग आगे बढ़ाकर करफ्यू लगाया हुआ है तो लोगों को आने-जाने में बड़ी असुविधा हो रही है। मेरे कहने के तीन घंटे बाद कुछ व्यवस्था की गयी।

जहां तक ग्राह्यता का प्रश्न है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बनारस एक सांस्कृतिक नगरी है और हजारों लाखों लोग बाहर से और विदेश से आते हैं। लेकिन उस नगरी का वातावरण प्रशासनिक जुल्म की वजह से बदतर हो जाय और लोगों का जीवन दुर्लभ हो जाय तो इसकी ग्राह्यता हो जाती है और वहां 9 व्यक्ति मर गए। सैकड़ों लोग घायल है। पांच सौ के करीब जेल में बन्द है। दुकानों को लूटा गया। कई मकान जलाए गए। इसलिए श्रीमन, ग्राह्यता इसकी हो जाती है और यह प्रश्न बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का बन जाता है। इसलिए आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने भी यह प्रस्ताव दिया है, माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने दिया है, बहुत से हमारे मित्रों ने दिया है, इसको श्रीमन्, आप स्वीकार करें और इस पर बहस कराने की कृपा करें।

(संसदीय कार्य मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)—

श्रीमन्, एक बात. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। आप तो जिद किया करते हैं। मैंने संसदीय कार्य मन्त्री जी को बुलाया है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

एक बात यह चाहता हूं कि . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

(श्री रियासत हुसैन के कुछ बोलने पर)

रियासत साहब आप मेरी इस पर मदद कीजिए। इसमें अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है। मैंने माननीय संसदीय. . . .

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम माननीय मुख्य मन्त्री जी को बुलाया जाय . . . .

श्री अध्यक्ष--

वह आयेंगे ।

श्री श्याम धर मिश्र--

वह बम्बई घूम रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कह रहा हूं, वह आयेंगें ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी गम्भीरता को स्वीकार करता हूं कि यह प्रश्न भारत के पूरे परिप्रेक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि यहां बहुत तादाद में ये दोनों सम्प्रदाय के लोग रहते हैं और भारत का सम्पूर्ण भविष्य इन दोनों जातियों के आपसी मेल मिलाप और उनके सम्बन्धों पर निर्भर करता है । अच्छा होता जो वाकई भारत का भला चाहते हैं और इन सम्प्रदायों में प्रेम का निर्माण कराना चाहते हैं उन प्रश्नों पर जिस तरह से विचार करने का उनका इरादा है उस प्रकार से विचार न करते । मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाने वाले लोगों से निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न जो भारत के भाग्य से जुड़ा हुआ है उसको विवाद का प्रश्न नहीं होना चाहिए । भारत के सभी लोगों को चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हों, शासन के हों चाहे बाहर के हों, इस प्रश्न को हल करना चाहिए । जहां तक शासन का सवाल है शासन यह चाहता है कि विभिन्न सम्प्रदाय के लोग जो भारत में रहते हैं उनमें आपस में मेल मिलाप से ही काम चलना चाहिए । यह दुर्भाग्य है इस देश का कि कुछ स्वार्थी तत्व, असामाजिक तत्व जिनके मुंह में इस बात का खून लग गया है कि आपस में भेद-भाव बढ़ाओ, तोड़ो और राज्य करो, वे इस प्रकार की नीति चला करके आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उनको निराशा ही पल्ले पड़ेगी । हम जो इस वक्त शासन में हैं जनता पार्टी के लोग, वे इस प्रकार की कोई बात पसन्द नहीं करते, न तो पहले कभी की है और न कभी आग करेंगे । जिन लोगों ने चिन्ता व्यक्त की है इस पूरे प्रश्न के सम्बन्ध में जो शासकीय दल के लोग हैं और विशेष तौर पर नेता विरोधी दल और उपनेता विरोधी दल और माननीय रियासत जी और ऊदल जी से कहूंगा कि इस प्रश्न को सुलझाने की दृष्टि से जो कुछ भी किया जा सकता है वह आपसी विचार विमर्श के द्वारा किया जा सकता है और शासन इसके लिए हर समय तैयार रहेगा । जहां तक क्या घटना हुई ? उस घटना का पहलू क्या था, किन कारणों से हुई ? ज्यादती हुई या नहीं फोर्स पूरा लगा या नहीं ? इन सभी प्रश्नों पर सूचना और वक्तव्य जो लोग चाहते हैं शासन पूरी सूचना सदन को दे सकता है और देगा ।

यह मैं विश्वस्त करना चाहता हूं । लेकिन पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे चर्चा का विषय न बनाया जाय । दो सम्प्रदायों के आपसी भेदभाव तथा झगड़े का प्रश्न न होता और दो व्यक्तियों के बीच का प्रश्न होता तो इस पर चर्चा हो जाती और उससे कोई बड़ा प्रश्न भी उत्पन्न न होता । जहां तक शासन का सवाल है शासन ने मजिस्ट्रीयल इंक्वायरी के आदेश दे दिये हैं और उस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री श्याम धर मिश्र--

बिलकुल बेकार है । जुडीशियल इंक्वायरी हो ।

[श्री मधुकर दिघे]—

इसके अलावा जो भी माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में सूचना देंगे उस आधार पर सारी सूचना एकत्रित करने के बाद उस सम्बन्ध में सदन के समक्ष वक्तव्य के द्वारा अथवा जैसा अध्यक्ष जी आदेश देंगे, समस्त वस्तुस्थिति प्रस्तुत कर दी जायगी।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, यह बड़े खेद का विषय है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने स्वयं देश भर के महत्व का माना ह और उन्होंने अपने प्रथम वाक्य में यह कहा और ठीक कहा कि यह न केवल वाराणसी का प्रश्न है बल्कि भारत भर की साम्प्रदायिक एकता का प्रश्न है और इस सदन के सभी पक्ष चाहते हैं कि इस प्रकार का तनाव न हो और एकता का वातावरण बना रहे। इस एकता के प्रश्न पर उत्तर देने के लिये आज मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री उपस्थित न हों यह खेद की बात है। वह इस समय बम्बई में नौ-सेना दिवस के सम्बन्ध में हैं जबकि इस सदन का कार्य सबसे महत्व का होता है। मैं नहीं जानता कि ऐसे वक्त पर भी मुख्य मन्त्री उपस्थित न रहें और संसदीय कार्य मन्त्री को अधिकृत किया गया। यह कहां तक उचित है जबकि उनको मालूम था कि आज इस सदन में यह प्रश्न आएगा। फिर इसका महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं शासक दल के कई सदस्यों ने इस काम-रोको प्रस्ताव की पहल की जबकि आप जानते हैं कि शासक दल कभी साधारण स्थिति में काम-रोको प्रस्ताव नहीं रखता। जो असाधारण स्थिति आज उत्पन्न हो गयी है, उसको न केवल शतरुद्ध प्रकाश जी ने जो शासक दल के हैं, रखने में पहल की बल्कि सदन के अन्य दलों के सदस्यों ने भी उसे रखा है और संसदीय कार्य मन्त्री ने स्वयं स्वीकार किया कि यह भारत भर के महत्व का प्रश्न है। शासक दल के सदस्य भी इसे इतना महत्व का समझते हैं कि आज काम इसके लिए रोका जाय और माननीय उप नेता, कांग्रेस दल ने भी इस सम्बन्ध में सदन के सामने तथ्य रखे। वह वाराणसी के रहने वाले हैं, वहां के सम्भ्रान्त नागरिक हैं और जन प्रतिनिधि भी हैं और उस जनपद की वैयक्तिक जानकारी भी उनको है। इसी तरह माननीय सदस्य शतरुद्ध प्रकाश भी सदस्य वाराणसी हैं और माननीय सदस्य ऊदल जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं वह भी वहां के निवासी हैं। तीनों ने इस प्रस्ताव को यहां पर रखा कि काम-रोक कर आज इस पर यहां चर्चा हो। लिहाजा चर्चा होना आवश्यक है।

इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि साम्प्रदायिक एकता का प्रश्न है। स्वप्न में भी कोई सदस्य इस सदन का यह नहीं चाहता कि साम्प्रदायिक तनाव बढ़े लेकिन अगर इस सदन के सदस्य उन आधारभूत कारणों पर चर्चा नहीं करेंगे जिनकी वजह से तनाव बढ़ा, कैसे उसे रोका जाय और क्या उसके लिए उपाय किए जायं तो यह अत्यन्त खेदजनक बात होगी। यह सबसे अधिक विचारणीय बात है कि सारे भारतवर्ष का वाराणसी एक सांस्कृतिक केन्द्र है लिहाजा इस पर विचार करना होगा कि कौन से सुझाव हैं जिनसे साम्प्रदायिक एकता मजबूत हो, कौन से तत्व हैं राजनीतिक या असामाजिक जिनके द्वारा यह साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा और उनके लिए क्या किया जाय। मैं अपने विद्वान संसदीय कार्य मन्त्री से क्षमा चाहूंगा, उनसे मैं असहमत हूं कि इतने बड़े भारतवर्ष के महत्व के प्रश्न पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया मैजिस्टीरियल जांच करा रहे हैं, यह कहां तक उचित है। और इतने ही बड़े महत्व के प्रश्न को शासन ने पहले भी स्वीकार किया था। लखनऊ में जो दंगे हुए थे, ऐसी ही परिस्थितियों में उसकी जांच के लिए रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को न्यायिक जांच के लिए नियुक्त किया गया था। जिस तरह से लखनऊ के सम्बन्ध में न्यायिक जांच के लिए आपने उसे स्वीकार किया था उसी तरह से इसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए। वाराणसी में जो घटना घटी है वह उससे कम लोक महत्व की नहीं है। उसकी भी उसी तरह से जांच होनी चाहिए कि उसके क्या कारण थे। इससे उस सम्प्रदाय को विश्वास हो जायगा और भविष्य के लिए मार्गदर्शन होगा कि गल्तियां किसकी हैं।

अभी हमारे माननीय सदस्यों में उसके सम्बन्ध में तथ्य बताए हैं, उसके सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूंगा किन्तु मैं भी बनारस गया था और मुझे मालूम हुआ कि शासन के एक उप मन्त्री जी भी बनारस में एक शान्ति समिति की बैठक में गए थे। सरकारी तौर पर उन्होंने कहा कि 6 घंटे तक कन्ट्रोल रूम में टेलीफोन पर बात करने की कोशिश करते रहे किन्तु बात न हुई। उन्होंने कहा कि चौक से बांस फाटक तक एक भी पुलिस का सिपाही नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि दो लाशे लावारिस पड़ी हुई थीं। यह उन्होंने अगली मीटिंग में कहा। मैं समझता हूं और अगर मैं भूलता नहीं हूं तो वे इस सदन के माननीय सदस्य लारी जी थे। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने क्या कहा। मुझे कई लोगों ने सूचना दी। उन्होंने ठीक कहा क्योंकि अगर वे सत्य बात नहीं रखते तो अधिकारी कैसे सचेत होंगे ?

तो मेरा आग्रह है कि तथ्यों की अवश्य जांच हो कि कौन जिम्मेदार है ताकि इसको आगे रोका जा सके और साथ ही साथ आगे क्या करना है इसके लिए भी मार्गदर्शन हो। इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी जो प्रक्रिया नियमावली है उसमें नियम 56 इसीलिए रखा हुआ है ताकि उसका प्रयोग हो। आखिर वह नियम 56 काहे के लिए हैं। उसका प्रयोग नहीं होना है तो वह बेकार है। कौन सी ऐसी परिस्थिति आएगी, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण विषय होगा जो इससे ज्यादा महत्व का हो और उस पर नियम 56 का पालन किया जाय। अत: में विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इसे आप नियम 56 के अन्तर्गत अवश्य लें। आपको पार्लियामेन्टरी ज्ञान है। इस पर शासकीय पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि के माननीय सदस्यों ने अपनी राय दे दी है कि इस विषय पर बहस होनी चाहिए। अत: मेरा निवेदन है कि इस पर आप 2 घंटे नियमानुसार चर्चा करने की हमें इजाजत दे दें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी लखनऊ और कानपुर के जो जख्म थे, वे भरे नहीं थे कि बनारस की दुखद घटना सामने आ गई। इसलिए इसकी ग्राह्यता का सवाल है। इसे आपको नियम 56 के अन्दर मंजूर करना चाहिए। कई बातें इससे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और कइयों में विरोधाभास भी है। मैं मिसाल के तौर पर 4-5 बातें ही आपके सामने रखूंगा। पुलिस और शासन की मूर्ति का रास्ता निश्चित नहीं कर पाई कि कौन से रास्ते से वह जानी चाहिए। 30-35 मूर्तियां तो शांति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

से निकल चुकी थीं किन्तु एक मूर्ति नहीं निकल सकी। एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 का कहना है कि उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी और एडीशनल आई0 जी0 का कहना है कि वह प्लान्ड था। इस समय जितने भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी वहाँ पर है वे सब नए-नए ह। 3-4 महीने उनकी पोस्टिंग हुए वहाँ पर हुए हैं। इस सबके क्या कारण थे? इसलिए श्रीमन्, नियम 56 के अन्तर्गत इसे अवश्य लिया जाना चाहिए। इससे अधिक अहम का और क्या मसला हो सकता है जिससे सदन का कार्य स्थगित करना पड़े और चर्चा का विषय हो। अत: इस माननीय सदन को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं और श्री वशीर अहमद, एम0 पी0, श्री मुहम्मद रफी खां, एम0 एल0 ए029 अक्तूबर को बनारस गए थे। वहाँ की हालत का जायजा लिया। हमने इंटीरियर में जाकर देखा जिन गलियों के अन्दर वारदातें हुई हैं उनको देखने के बाद यह नतीजा निकला कि यह मामला बहुत गम्भीर है और जो कुछ भी हुआ है वह प्री-प्लान्ड था क्योंकि 22 अक्तूबर को मूर्ति का जलूस निकलने जा रहा था। हमारी डी0 एम0 और एडीशनल आई0 जी0, वगैरह से बातचीत हुई। डी0 एम0 चूंकि वहाँ पर बंगाली हैं। दुर्गा की मूर्ति के सिलसिले में जिसको वह त्योहार के रूप में मनाते हैं वह उसमें इन्टरेस्टेड थे। सारा चार्ज चूंकि मि0 दास डी0 एम0 हैं उन पर आता है इसलिए कि अगर वह सही स्टेप लेते तो काम सही होता। भाई शतरुद्र प्रकाश जी के मुताल्लिक भी मुझे लोगों ने बताया कि उनका रोल बहुत सही था और वहाँ के मुसलमानों ने उनकी तारीफ भी की। मैं गुजारिश करूंगा कि यह मामला बहुत संजीदा है। 8-10 घंटे तक रोके रखने के बावजूद भी इसका कोई सही हल नहीं निकला और डी0 एम0 ने गलत ऐक्शन लिया।

श्री अध्यक्ष—

अब आप वर्क साहब इस मामले के मैरिट में जा रहे हैं।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

मैं मुकतसर यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में पुलिस ने खास तौर पर पी0 ए0 सी0 ने अधिक जायदती की है और वहाँ पर दो तीन मस्जिदों को डिमालिश कर दिया गया है। मुसलमानों में इससे बड़ा खौफ फैला हुआ है। बनारस बड़ी सांस्कृतिक जगह है जहाँ पर मुसलमान हमेशा रहे हैं और उन्होंने कभी इस किस्म का असन्तोष नहीं दिखाया है। लेकिन आज मैं यह चाहता हूं कि इस पर दफा 56 के तहत बहस होनी चाहिए। यह मामला बहुत गम्भीर है।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो प्रश्न नियम 56 में प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि बनारस के सम्बन्ध में वह बहुत गम्भीर प्रश्न है। अखबारों के जरिए से जो मैंने सुना है वह बहुत दुखद घटना है, मैं वहाँ नहीं गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो कहा है वह भी मैं समझता हूं कि सही बात है। यह सारे भारतवर्ष का मसला है एक जगह का मसला नहीं है।

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय श्याम धर जी मिश्र जो विरोधी दल के लोग हैं उनका तो यह काम है। होना भी चाहिए क्योंकि मैं भी जब विरोधी दल में था यही काम करता था। हर समय सरकार की जो कमियाँ हैं, उनको शासन की कमियों को देखना है। और उसको लाने के कौन से तरीके हो सकते हैं संसदीय पद्धति के द्वारा जो वह दूसरे तरीके अपना रहे हैं वह किसी से छिपे हुए नहीं हैं। मैं समझता हूं कि उनका यह काम है। उनकी जगह पर शासन पक्ष की तरफ से नियम 56 के अन्तर्गत जो रखा है। मैं समझता हूं कि मामला बहुत अहम है। इससे ज्यादा गम्भीर मसला नहीं हो सकता। पर इसे नियम 56 में नहीं लेना चाहिए इसको नियम 52 में या 51 में या दूसरे प्रश्नों के रूप में ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्यामधर जी जरा शान्ति से सुनें। तीन दिन यह सदन चलेगा यह बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्नों के जरियों से या दूसरे तरीके से माननीय मुख्य मन्त्री जी या संसदीय कार्य मन्त्री जी बयान देंगे।

मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की सरकार कहीं भी गोलियाँ नहीं चलाना चाहती इसके लिए वह बचनबद्ध है। हम किसी भी जगह पर गोलियां नहीं चलाना चाहते हैं और न चलवाने की कोशिश करना चाहते हैं। इसलिए यह नियम 56 का प्रश्न नहीं बन सकता है और न लेना चाहिए। मैं शतरुद्ध प्रकाश जी से भी कहूंगा कि वह इसका आग्रह न करें, सारा मामला सरकार की तरफ से जब आवेगा, तो उस समय उस पर पूरी गम्भीरता से विचार करें। जहाँ तक विरोधी दल की ओर से इस माँग का सम्बन्ध है, यह तो कहेंगे ही, इनका यह काम है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से भी कहूंगा कि वह इस मसले को न बढ़ावें और इसे यहीं खत्म करें।

उद्योग उपमन्त्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

मान्यवर, यह बनारस का मसला जो आज हमारे साथी श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने पेश किया है, उस विषय में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वह मेरे साथ 24 तारीख से ही थे। तीन-चार दिन मैं वहाँ रहा। नेता विरोधी दल जी चले गए, उन्होंने भी जाकर के कुछ दिनों बाद देखा था, लेकिन पता नहीं मेरी बातों को कहाँ से लेकर उन्होंने आपके सामने रखा। उनका कहना यह है कि 6 घंटे तक कन्ट्रोल रूम से कान्टेक्ट नहीं हो सका। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरी ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य मेरी आदत जानते होंगे कि जो कुछ असलियत होती है, उसे मैं छुपाता नहीं हूं। 23 तारीख को जब ये वाकिए हो गए, तो हम लोग 23 की रात्रि को ही वहाँ से चल पड़े। वहाँ से सद्भावना के लिए जो लोग जुटाए गए थे म्युनिसिपल हाल में, उनके सामने कमिश्नर साहब ने यह बयान दे दिया कि कन्ट्रोल रूम हमारा इतना विजी हो गया था, वहाँ इतने अधिक लोग फोन करने लगे कि अधिकारी परेशान हो गए कि किसी का जवाब नहीं दे सके। तो कुछ बातें ऐसी थीं, दो बातें ऐसी थीं, जो ऐसे समय पर नहीं होनी चाहिए थीं।

पहली बात तो मैंने आपको बता दी और दूसरी बात यह थी कि कहा गया कि अमन सभाएं हम मोहल्ले-मोहल्ले जाकर बनावेंगे। तो हमने इन दोनों बातों का विरोध किया और

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

मैंने कहा कि कान्ट्रोल रूम का प्रबन्ध इतना गलत है कि तीन-तीन घंटे 3-3 मिनिस्टर्स आपसे कान्टेक्ट करते रहे फोन से, लेकिन कान्टेक्ट नहीं हो सका तब हमको यहाँ आना पड़ा। और आपका कन्ट्रोल रूम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी तक उससे कान्टेक्ट कर सके, जिस गरीब का घर गिरा हो, आपसे सम्पर्क करें तो उसे तुरन्त अमल करें और तुरन्त मदद भेजें। तथा जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ पूर्ण शहर के लोगों की एक अमन कमेटी बना दी जाए और उन पर सारे शहर में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी जाए और उसी पर यह उत्तदायित्व डाल दिया जाए कि कोई ऐसी कहीं गन्दी बात न हो, जो इस पवित्र भूमि—आदर्श नगरी के लिए कलंक साबित हो। इस बात का मेरी असर भी लोगों पर काफी अच्छा रहा। लेकिन यह मेरा, मेरे प्रान्त का और उस नगरी का दुर्भाग्य था कि कुछ स्वार्थी लोग, जो अपने को देश का हमदर्द कहते हैं, अपना चेहरा छुपाए रहते हैं, उनमें से एक जवान उठा और उसने हमारी सारी करनी पर पानी फेर कर रख दिया। मान्यवर, मैं उसकी गम्भीरता से अलग नहीं हूं। शहर के इस वाकिए से मेरा ही नहीं, पूरे प्रदेश का और देश का और उस शहर के रहने वालों का सर आज शर्म से नीचा हो रहा है कि तीन लोक से न्यारी नगरी इस तरह से बर्बाद हुई। यह किसी के लिए अच्छा नहीं है। जिन लोगो का स्वार्थ ही सबसे ऊपर है, उन स्वार्थी लोगों ने यह किया, नेता विरोधी दल और श्यामधर जी चाहेंगे तो मैं उन्हें कक्ष में बता दूंगा बिलकुल नंगा रूप उस दल का आज चौराहे पर खड़ा हो गया है, जिसने यह कार्यवाही कराई। इस समय मैं उस प्वाइन्ट में जाना नहीं चाहता हूं और न कुछ कहना चाहता हूं। मैं केवल माननीय सदस्यों से यही कहूंगा कि यहाँ पर ऐसा वातावरण पैदा करके हम उसे बढ़ाने की ही कोशिश करेंगे।

यह सही है कि शासन और शासन के लोग—किसी की मंशा नहीं है कि इस तरह के गन्दे काम हों, इस तरह का कलंक हम पर लगे, या कहीं पर भी साम्प्रदायिकता की आग लगे या धधके। जिस किसी अधिकारी की गलती साबित होंगी, वह सख्त से सख्त सजा पाएगा और जो भी विरोधी पक्ष के लोग सुझाव देंगे, उस पर अमल दरामद यह सरकार करेगी उससे एक इंच हटेगी नहीं। कैसे सद्भावना का वातावरण बने, कैसे पुराना सौहार्द उस शहर में ही नहीं पूरे सूबे में लौटे इस पर शासन हर तरह से सोचेगा, और इसमें उनका सहयोग और उनकी राय लेने के लिए तैयार है। अगर इस पर दफा 56 के अन्तर्गत इस तरह की चर्चा की गयी तो कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे। अखबारों की जानकारी पूरी जानकारी नहीं है। मैंने रात के पाँच-छ: बजे तक, रातों को घूम-घूम कर देखा है। मेरे एक भाई ने कहा कि चार मस्जिदें बरबाद कर दी गयीं, हालांकि वह काफी लेट पहुंचे। मैं उस वक्त था। उसको देखा।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अपनी आँखों से देख कर आया हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

जब कुछ गुन्डे उस मसजिद के पटरे को निकाल कर सड़क पर, चौराहे पर रख कर जला रहे थे। पुरानी लाहौरी ईंट की दीवाल को पीछे से जा कर ढकेल दिया था।

श्री अध्यक्ष—

लारी साहब, आप इतनी तफसील में न जाइए।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

उसी तरह कोशिश की गयी कि मन्दिर की मूर्ति को तोड़ कर लाठी मार कर, पूरें शहर का वातावरण दूषित कर दिया जाय और पूरे शहर में लड़ाई का वातावरण पैदा कर दिया जाय। लेकिन मैं बनारस के नागरिकों को बधाई देता हूं कि सिवा चन्द मोहल्लों के देवतापुरा, सोनारपुरा और मदनपुरा तीन पुरों के अलावा कहीं भी हिन्दू या मुसलमानों में कहीं भी इस मामले को लेकर सेन्टीमेन्ट उभरा नहीं। सब लोग शान्ति बनाये रखने में मददगार रहे। उसके बाद उस इलाके में भी कोई वाकया नहीं हुआ। इन कारणों से आज तक करफ्यू चल रहा है। इस वातावरण को दूषित करने के बजाय हमको सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा यह महान् कर्त्तव्य है कि हम पूरे यू0 पी0 में इस तरह की आग भड़काने के बजाय इसको ठंडा करने को कोशिश करें, यही हमारा कर्त्तव्य है। और माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे।

श्री अध्यक्ष—

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। इस पर 40 मिनट से चर्चा हो रही है और वास्तव में मैंने चूंकि इतने माननीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किये थे, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए वस्तुतः एक प्रकार से मैंने कार्य को स्थगित ही कर दिया। 40 मिनट आप बोल चुके हैं। (व्यवधान) आप लोग शान्त रहिए, मैं बोल रहा हूं। नियम 57 के अनुसार मुझे इस पर अपना निर्णय देना चाहिए था कि मैं इसको ग्राह्य करता हूं या नहीं करता हूं। अगर मैं ग्राह्य भी करता तो इसका प्रभाव यह होता कि नियम 61 के अनुसार आज का कार्य स्थगित होने पर यह कार्य समाप्त होने की अवधि से एक घंटा पहले मैं इस पर वाद-विवाद का अवसर देता। यह मैंने तो स्वयं ही, बिना नियम 61 में आये हुए, आपकी भावनाओं का आदर करते हुए कार्य स्थगित करके 40 मिनट की चर्चा का आपको अवसर दिया।

(कुछ सदस्यों के पुनः खड़े होने पर)

(व्यवधान) आप बैठिए, सुनिए। आप शान्त रहिए। मैं बोल रहा हूं। अब मैं इजाजत नहीं दूंगा, आप लोग बैठिए।

जहां तक इसकी ग्राह्यता का सवाल है, नियम 58 के उपनियम (6) में यह है कि "प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, किन्तु इस आधार पर प्रस्ताव को ग्राह्य करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रत्याशित विषय पर चर्चा उचित समय के भीतर सदन

[श्री अध्यक्ष]

के समक्ष आने की सम्भावना है।" दिनाँक 24 अक्तूबर, 1977 को श्री राजेन्द्र कुमार ने मुझे एक अल्पसूचित प्रश्न दिया था। "क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 23 अक्तूबर, 1977 को वाराणसी में श्री दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के समय हुए दंगे का विवरण क्या है जिसमें कि 4 व्यक्तियों के मरने एवं अनेक व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है?" मैंने इसको स्वीकार किया है। (व्यवधान) आप शान्त रहिए। मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, अगर व्यवस्था दे देंगे तो हम कैसे कहेंगे?

श्री अध्यक्ष—

इस पर इतना विवाद हो चुका है।

श्री शतरूद्ध प्रकाश—

मान्यवर, एक निवेदन है। हमारा निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। मैं बोल रहा हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

व्यवस्था देने से पहले अगर सुन लें...

श्री अध्यक्ष—

इस पर अधिक वाद-विवाद की अनुमति नहीं दूंगा। इस पर 45 मिनट हो चुका है। (व्यवधान) आप बैठिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

इसकी ग्राह्यता होगी या नहीं होगी इस पर...

श्री अध्यक्ष—

इस सिलसिले में जैसा मैंने कहा, आपको अवसर भी नहीं मिलता और यदि मैं इसको ग्राह्य करता तो चार या साढ़े चार बजे इस पर अपनी बातें कहते। वह भी एक घंटे से अधिक का समय नहीं हो सकता था। तो मैंने पहले ही आपकी भावनाओं का आदर करते हुए अवसर दिया, आप सब लोगों ने मेरिट पर अपनी बातें कहीं। (व्यवधान) आप बैठिए, शान्त रहिए। आप बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। श्री लारी जी ने और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा। यह बड़ी दुखद घटना है। मैं इसको ग्राह्य करता हूं और नियम 51 के अनुसार माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी को इस पर वक्तव्य देने के लिए निर्देश देता हूं।

श्री ऊदल—

मैं इसका प्रतिरोध करता हूं और मैं सदन को छोड़ता हूं।

(श्री ऊदल कम्युनिस्ट दल के सदस्यों सहित सदन को त्याग कर चले गए।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं नियम 52 के अनुसार एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं और इसके बाद समय बढ़ा दिया जाएगा।

श्री श्याम धर मिश्र—

ढाई घन्टे तक हो सकती है। 40 मिनट तो केवल कुछ सदस्यों को अपने बिचार रखने में ही लग जावेंगे ?

(शोर)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री शतरूद्र प्रकाश—

यह बहुत ही गम्भीर मामला है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि यह बहुत ही गम्भीर सवाल है और गम्भीर रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। बनारस मे जो घटना हुई है वह बहुत ही गम्भीर है, उसको देखते हुए आप चर्चा करवायें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्वीकार किया है। हम देख लेंगे। डेढ़ घन्टे की चर्चा आज के लिए स्वीकार करता हूं, सदन के कार्य हो जाने के बाद। माननीय श्यामधर मिश्र के प्रस्ताव को मैंने मान लिया है और इस पर डेढ़ घन्टे की चर्चा होगी। यह प्रश्न पहले अल्पसूचित प्रश्न के रूप में आ चुका है और उसको मैंने अब ग्राह्य किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

2 घंटा कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा 2 घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

यह आज सम्भव नहीं है। 3 तारीख को कर दें।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया यह ध्यान रखें कि . . .

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात को आप सुन लीजिए, बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए।

[श्री अध्यक्ष]

कार्य-स्थगन का मतलब होता है कि स्था...दन उस पर विचार होगा। मैं नहीं चाहता कि इस पर कोई बाकायदा, प्रस्ताव आए। अगर कार्य-स्थगन के लिए मैं इसे स्वीकार करता तो इस पर आज विचार होना अनिवार्य था। इसलिए इस विषय में जो मैंने 2 तारीख के लिए स्वीकार किया था उसे और आज नियम 51 के अन्तर्गत उठाए जाने वाले प्रश्नों को मैं स्थगित करता हूं और तभी नियम 52 के अन्दर आज ही इस पर विचार होना सम्भव है। इसकी सूचना आपको प्राप्त करनी चाहिए।

एक सदस्य--

मान्यवर, मेरा भी एक प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष—

बाकी प्रश्नों को मैं अस्वीकार करता हूं। इसकी मैं अनुमति नहीं देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, आप इसे लें चाहे न लें, लेकिन बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, कानपुर टैक्सटाइल मिल इत्यादि के प्रश्नों को उठाने की आज्ञा दी जाए...

श्री अध्यक्ष—

एक उपवेशन में एक ही विषय लिया जा सकता है। आज मैंने इसको लिया है। बाकी प्रश्नों को कल ले लूंगा तभी उन पर पुनर्विचार हो सकेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप इसे कल के लिए ले लें।

श्री अध्यक्ष—

कल आप अगर इसे उठायेंगें तो पुनः विचार कर लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977†

*श्रम एवं आबकारी मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

श्यामधर जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं इस पर एक-दो मिनट बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

---

†दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, इसमें एक धारा है 28वीं धारा इसमें थोड़ा सा संशोधन इसलिए कर रहा हूं कि एक चीज स्पष्ट हो जाए कि जो आबकारी ली जाती है उसमें अगर कमी हो गई तो ऐसे रूल्स हैं कि अगर इन्स्पेक्शन पर कम भेजते हैं तो दूना फाइन किया जाता है, उसी की भाषा को स्पष्ट करना है और कुछ नहीं कहना है।

*श्री देव कुमार (जिल बाँदा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वास्तव में उसमें कुछ नहीं है और जिस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इसे पेश किया है, मुझे आशा थी कि आप कोई आमूल परिवर्तन करके नई नीति की घोषणा करने जा रहे हैं जबकि हमारे प्रधान मन्त्री जी नशाबन्दी अर्थात् प्रोहिविशन के लिए एक क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में यह संशोधन विधेयक लाना चाहिए था।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय सारे प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस प्रदेश में नशाबन्दी लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी क्योंकि प्रधान मन्त्री जी ने इसे लागू करने के लिए बड़ा जोर दिया है और इस प्रदेश की जनता भी यह जानना चाहती है कि बहुत से लोग जो पीने वाले हैं, उनके मन में अन्देशा है कि यह सरकार इस सम्बन्ध में क्या नीति निर्धारित करने जा रही है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस नाचीज

(इस समय 1 बजकर 52 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए)

संशोधन को वापस लेकर इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें और इसकी परिधि को बढ़ाने के लिए एक प्रवर समिति को नियुक्त करें जो इसमें आमूल परिवर्तन करे और माननीय प्रधान मन्त्री जी की जो नशाबन्दी की नीति है उसको स्पष्ट करें। इस सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य भी नहीं दिया है कि वे प्रधान मन्त्री जी को नीति के प्रश्न से कहाँ तक सहमत हैं। इस प्रदेश में बहुत से लोग यह चाहते हैं कि शासन इस बारे में अपनी नीति को स्पष्ट करें। इसलिए, मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी जब अपना उत्तर दें तो मेरे संशोधन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की प्रोहिबिशन के सिलसिले में क्या नीति है, उसको स्पष्ट करने की कृपा करें और मुझे आशा है कि यह सदन मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मुझे इस बात की थोड़ी खुशी है कि इस सदन में आबकारी का विषय बहस में कई बार आ गया। मैं इस वजह से कह रहा हूं जनता पार्टी और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

जनता पार्टी के चुने हुए प्रधान मन्त्री जिनकी इस विषय में स्पष्ट पालिसी है लेकिन उसको कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं जिनकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है नशाबन्दी के सिलसिले में जनता पार्टी की पालिसी लागू हो जाएगी या नहीं इसमें सन्देह पैदा हो गया है। पिछले दिनों में अखबारों में इसकी आम चर्चा छपी थी कि केन्द्रीय मन्त्रि-मन्डल के कुछ लोग स्वयं शराब पीते हैं और श्री सुब्रामनियम स्वामी ने, जो कि पार्लियामेन्ट के सदस्य हैं, स्पष्ट रूप से यह बात कही कि अगर माननीय मन्त्री लोग पीना नहीं छोड़ेंगे तो मैं उनके नाम अखबार में और प्रेस में दे दूंगा कि ये शराब पीते हैं। माननीय देव कुमार जी ने जो संशोधन पेश किया है उस सम्बन्ध में हम माननीय मन्त्री जी से उम्मीद करते हैं कि वे नशाबन्दी के बारे में उनकी क्या पालिसी है, अब तक वे किस हद तक इस मामले में आगे बढ़े हैं, बताने की कृपा करेंगे कि नशाबन्दी लागू होगी या नहीं ?

मान्यवर, बड़े दुःख की बात है कि जब हम जगह ब जगह देखते हैं और पिछली बार भी मैंने यहाँ पर एक प्रश्न उठाया था कि लखनऊ में ही नाक के नीचे एक दुकान के पास दीगर दुकान हैं। मुरादाबाद में गुरहट्टी चौराहे पर 3 शराब की दुकानें हैं, बीच में 4-4 गज का फासला है। 12-13 गज के फासले पर वहाँ हनुमान जी और शिवजी के मन्दिर हैं और रात को उन दुकानों से शराब लेकर लोग पीते हैं और मस्ती करते हैं। इसलिए इस प्रदेश की जनता देख रही है कि किस वक्त इस सरकार की नीति स्पष्ट हो पाएगी।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री रियासत हुसैन--

तो श्रीमन्, मैं यही कह रहा था कि ऐसा छोटा सा (संशोधन) विधेयक माननीय मन्त्री जी ने रखा है। बहुत मामूली सा है और उसमें जो संशोधन का रूप देव कुमार जी ने दिया है वह इस आशय के साथ दिया है कि इस सदन में चर्चा हो कि वह चीजें जो नशाबन्दी और शराब की वजह के इस सदन में बराबर आती रहती है वह एक बार फिर मन्त्री जी के सामने आ जायं। इस आशय के साथ क्या मन्त्री जी करने वाले हैं, उस पालिसी की घोषणा करें। उम्मीद है कि मन्त्री जी जब जवाब देंगे तो स्पष्ट पालिसी बतलायेंगे कि शराब-बन्दी करने के लिए वह क्या स्टेप लेने जा रहे हैं और उसको रोकने के लिए क्या स्टेजेज और पालिसी हैं इसको सदन के सामने स्पष्ट रूप से रखेगें। ऐसी आशा करते हुए जो देवकुमार जी का संशोधन है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावनाओं का मैं आदर करता हूं, लेकिन यह बहुत छोटा सा मेरा अमेंडिंग बिल है, संशोधन बिल है केवल एक धारा का। इस वजह के एक प्रवर समिति बनाना और एक्साइज ऐक्ट की हर धारा पर पुनर्विचार करना इस वक्त कतई असंगत होगा। इसलिए स्वीकार करना कठिन है।

श्री देवकुमार—

मान्यवर, आप के माध्यम से निवेदन किया था कि यह तो बतलायें कम से कम कि आपकी मंशा क्या है ? आप बन्द करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते ? कुछ कहें ?

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने कह दिया कि छोटे से बिल पर इस व्यापक प्रश्न को नहीं रखना चाहते।

श्री देव कुमार—

वह कुछ कह नहीं रहे हैं। इसलिए मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत रखना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया था एक्साइज ऐक्ट की धारा 28...

खंड 2

2—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 28 के संयुक्त प्रान्त पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाएगी, अर्थात्— अधिनियम सं० 4, 1910 में नयी धारा 28-क का बढ़ाया जाना

"28-क—(1) जहाँ किसी यवासवनी में, आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे आबकारी आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करे, परीक्षण करने पर स्टाक में स्प्रिट या बियर का परिमाण स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिमाण से अधिक पाया जाय, वहाँ यवासवक ऐसे अधिक परिमाण पर धारा 28 के अधीन निर्धारित सामान्य दर पर उत्पाद शुल्क का देनदार होगा।

कतिपय दशाओं में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का आरोपण।

(2) जहां ऐसे परीक्षण पर स्प्रिट या बियर का परिमाण स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिमाण से कम पाया जाय और यह कमी यवासवनी में वाष्पन, सलेज और अन्य प्रासंगिकता के कारण हुयी हानि को पूरा करने के लिए और बोतल में भरने और भन्डार में रखने से हुयी हानि को पूरा करने के लिए भी दी गयी छूट सीमा के दस प्रतिशत से अधिक हो जाय, वहाँ आबकारी आयुक्त

दस प्रतिशत से अधिक की ऐसी कमी के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क की साधारण दर के एक सौ प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण उत्पाद शुल्क की साधारण दर के अतिरिक्त कर सकता है।"

श्री अधिष्ठाता—

खंड 2 में चन्द्रपाल सिंह जी के संशोधन भी हैं। उनको आ जाने दीजिए। माननीय चन्द्रपाल सिंह, माननीय राम अधार (दोनों सदस्यों के अनुपस्थित होने पर) तो यह फिर उपस्थित नहीं किया जा रहा है। तब तो सीधा प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 3

वैधीकरण

3—मूल अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, आबकारी आयुक्त द्वारा, जितना परिमाण कम है उतने के सम्बन्ध में धारा 28-क में, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई गयी है, विनिर्दिष्ट अधिकतम दर से अनधिक दर पर आरोपित कोई उद्ग्रहण चाहे उसे जुर्माना या किसी अन्य नाम से वर्णित किया जाय, उक्त धारा 28-क के अधीन विधिमान्यतः आरोपित "अतिरिक्त उत्पाद शुल्क" समझा जाएगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता—

खंड 3 पर भी संशोधन है वही माननीय चन्द्रपाल सिंह जी का और राम अधार जी का। (दोनों का नाम पुकारने के पश्चात्) दोनों नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जाएगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियम 128 के प्रथम परन्तुक के निलम्बन के प्रस्ताव पर आपत्ति

(राजस्व मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव आप उपस्थित करने की अनुमति राजस्व मन्त्री जी को दे रहे हैं, यह प्रस्ताव यह कहता है कि प्रक्रिया नियमावली के नियम 311 के अन्तर्गत उन उपबन्धों को निलम्बित कर दिया जाय जो इस विधेयक के सन्दर्भ में आ रहे हैं। नियम 311 इस सदन द्वारा बनाया हुआ नियम है। आप देखें कि इसके द्वारा हम किस को निलम्बित करने जा रहे हैं? संविधान की धारा 199 के खंड 1 में (क) से ले कर (च) तक। यह वह प्राविधान है जो किसी धन विधेयक की परिभाषा के लिए लिखा गया है। धन विधेयक के लिए यह आवश्यक होता है कि उस पर राज्यपाल महोदय की सिफारिश प्राप्त की जाए। दूसरे इस विधेयक से एक विशेष स्थिति पैदा होने जा रही है जिसपर सारे सदन को विचार करना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, कोई भी धन विधेयक विधान परिषद् में उपस्थित नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष पीठ से दिया गया एक निर्णय जो निर्णय संख्या 75, पृष्ठ 411 पर है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि धन विधेयक प्रवर समिति में भेजा जा सकता है, संयुक्त प्रवर समिति में नहीं। 11 फरवरी, 1958 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1958 को संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को संशोधित करते हुए श्री उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी—

> "संयुक्त प्रवर समिति के बारे में माननीय भगवती सिंह विशारद ने एक संशोधन रखा और यह मनी बिल है, इसलिए यह उचित नहीं मालूम होता है कि अपर हाउस के जब सीमित अधिकार हैं तो संयुक्त प्रवर समिति का संशोधन एलाऊ किया जाय। इसलिए वह संयुक्त प्रवर समिति नहीं रहेगा, प्रवर समिति रहेगा।"

यह मान्यवर, निर्णय अध्यक्ष पीठ से दिया गया है। मनी बिल जो यहां से पास होकर जाएगा उसमें उसे संशोधन करने का अधिकार नहीं है, प्रस्ताव ही करने का अधिकार विधान परिषद् को है। अगर संयुक्त प्रवर समिति में यह विधेयक जाएगा तो उसका अर्थ यह होगा कि जो अधिकार संविधान के अन्तर्गत विधान परिषद् के सीमित हैं, उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

बढ़ाया जा रहा है। यह संविधान की भावना के विपरीत होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को न आने दें। संयुक्त प्रवर समिति की जगह प्रवर समिति किया जाए। इस पर आप कृपया व्यवस्था देने की कृपा करें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी, सदस्य गोरखपुर. को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। मैं स्वयं भी इस प्रश्न पर अध्ययन कर रहा था। प्राग्दर्शन में मुझे भी लगता है कि इस सम्बन्ध में अभी तक जो कार्यवाही हुई है वह अस्पष्ट है। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि वह विधान संगत और नियम संगत नहीं है। पहली बात तो यह है कि क्या यह विधेयक धन विधेयक है? श्रीमन्, धन विधेयक एक मान्य परिपाटी के अनुसार जो मानी हुई पद्धति है, उसके अनुसार विधेयक दो हिस्से में बाँटे जाते हैं, एक तो धन विधेयक है और दूसरा धन विधेयक जो नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

धन विधेयक और वित्त विधेयक में किस तरह से भेद करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अनुच्छेद 199 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (च) में उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित उपबन्धों वाले विधेयकों को उक्त नियम 128 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव कार्य-सूची 18 में माननीय राजस्व मन्त्री प्रस्तुत कर रहे हैं, वह नियमानुकूल और अब तक की हुई जो घोषणायें हैं, उसके अनुकूल नहीं हैं। तो श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि यह जो राजस्व संहिता विधेयक, 1977 है, यह धन विधेयक अभी तक घोषित नहीं हुआ है, राज्यपाल की संस्तुति तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा श्रीमन्, नियम 128 आप देखें। 148 के परन्तुक में लिखा हुआ है—"परन्तु यदि अनुच्छेद 199 के अर्थ में वह एक धन विधेयक हो तो विधेयक के अन्त में अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र निम्न प्रकार से अंकित होगा:

"मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अर्थ के अन्तर्गत एक धन विधेयक है। और दिनांक और अध्यक्ष। श्रीमन्, मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा है, कोई भी प्रमाण-पत्र आपका लगा हुआ नहीं है। इस नियमावली को फिर से पढ़ दूं।" परन्तु यदि अनुच्छद 199 के अर्थ में वह एक धन विधेयक हो तो विधेयक के अन्त म अध्यक्ष का प्रमाण-पत्र निम्न प्रकार से अंकित होगा:

"मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अर्थ के अन्तर्गत एक धन विधेयक है। दिनांक और अध्यक्ष। श्रीमन्, इस विधेयक के अन्त में कोई भी सर्टिफिकेट आपकी इस तारीख में नहीं लगी हुई है। इसका अर्थ यह है कि यह धन विधेयक नहीं घोषित हुआ है और अध्यक्ष महोदय का कोई सर्टिफिकेट नियम 148 के अन्तर्गत नहीं है और जब धन विधेयक नहीं है, तो यह नियम लागू नहीं है, जिस नियम के अनुसार यह माननीय राजस्व मन्त्री जी इस प्रस्ताव को ला रहे हैं। नियम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

128 में साफ लिखा हुआ है कि केवल 128 के उप-नियम (ग) के लिए यह लागू है और जो उपनियम (ग) है, वह (घ) में स्पष्ट लिखा हुआ है। (घ) में यह लिखा ह—उस पर राय जानने के प्रयोजन से परिचालित किया जाय: परन्तु उपनियम (ग) के अन्तर्गत निर्देश का प्रस्ताव ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा जिसमें अनुच्छेद 199 के खंड (1) के उपखंड (क) से (च) में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिए उपबन्ध हो: परन्तु माननीय राजस्व मन्त्री जी क्या कह रहे हैं? उनका कहना यह है कि यह विधेयक इस परिधि में आता है अनुच्छेद 199 में यानी धन विधेयक है। यदि धन विधेयक है, तो उन्होंने धन विधेयक घोषित कराने के लिए क्या कार्यवाही की? क्या राज्यपाल की सिफारिश ली?

(इस समय 2 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

क्या उन्होंने आपसे सर्टीफिकेट प्राप्त किया और यदि प्राप्त किया तो क्या कारण है कि वह सर्टीफिकेट नियम के अनुसार विधेयक के अन्त मे प्रकाशित नहीं हुआ। दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि नियम के अनुसार इस विधेयक के अन्त मे वित्तीय ज्ञापन लगा हुआ है। श्रीमन्, उद्देश्य और कारण के साथ वित्तीय ज्ञापन लगा हुआ है कि इसमे कितना वित्तीय खर्च होगा। यह इसमें देखना जरूरी है। तो उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है :—

"उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 के अधिनियमित हो जाने की दशा में कोई अतिरिक्त व्यय अवश्यम्भावी नहीं है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित विभिन्न राजस्व अधिनियमों को निरसित करके काश्तकारों के भौमिक अधिकारों को विनियमित तथा नियन्त्रित करने के लिये प्रस्तावित राजस्व संहिता द्वारा व्यवस्था की जा रही है। अतः इसके क्रियान्वयन के जिये न तो किसी अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी और न किसी नये पद सृजित करने की। वर्तमान स्टाफ द्वारा ही इनके क्रियान्वयन की कार्यवाही की जावेगी। इसके द्वारा काश्तकारों के अधिकार, आगम अथवा स्वत्व अर्जित करने की कार्यवाही नही की जा रही है, अतः किसी राशि के भुगतान का मामला भी अन्तर्ग्रस्त नहीं है।"

तो कोई खर्च है नहीं, और व्यय नहीं है और धन विधेयक की मांग नहीं की गयी है। तो फिर इस प्रकार के निलम्बन का प्रश्न है तो क्यों उठाया जा रहा है? दूसरी बात यह है कि मान लिया जाय कि यह धन विधेयक है और इसको धन विधेयक घोषित करने की बात सोची जा सकती है। अगर यह धन विधेयक है तो फिर नियम और संविधान के विरुद्ध हम लोग क्यों जा रहे हैं फिर तो प्रवर समिति ही बनानी चाहिए। क्यों कि संविधान की अपेक्षा है कि जो धन विधेयक हों उन पर केवल यह सदन विचार करे और उस सदन में इस पर विचार नहीं हो सकता है। धन विधेयक वहां जाता ही नहीं है। दूसरे सदन का मैं बड़ा आदर करता हूं। जितना हमें दूसरे सदन से मार्ग दर्शन मिला है उसका हम स्वागत करते हैं। उसकी एक अपनी गरिमा है, स्थान है और हर प्रकार से हमें दूसरे सदन का आदर करना चाहिए। लेकिन धन विधेयक के मामले में संसार में हर जगह जहां पर पार्लियामेन्टरी पद्धति है वहां दूसरे सदन की कुछ मर्यादायें धन विधेयक के बारे में है। जैसे ग्रान्ट्स पर दूसरे सदन में विवाद नहीं होगा। ग्रान्ट्स पर वोटिंग इसी सदन

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

में होती है। एप्रोप्रिएशन बिल पर वहां वोटिंग होती है। लेकिन जो ग्रान्ट्स हैं उन पर केवल यहां पर वोटिंग होगी। क्योंकि जनता के लिए सीधा रिसपांसिविल यह सदन है। वोटर के लिए इसी सदन का दायित्व माना जाता है। इस लिए धन विधेयक और जो टैक्स लगाने वाले मामले या ग्रान्ट्स के मामले हैं, संविधान में, यहां के लिए ही नहीं बल्कि संसद के लिए रखे गए हैं। इसलिए आज शासन संविधान के विपरीत नहीं जा सकता। पार्लियामेन्टरी पद्धति जो सर्वमान्य है, हमारे प्रेसीडेन्शियल फार्म आफ गवर्नमेंट नहीं है। पार्लियामेन्टरी फार्म आफ गवर्नमेंट है। तो इस में लोवर हाउस और अपर हाउस की जो मर्यादायें हैं उन पर चलना होगा।

तो मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव लाया गया है, विचार करके शायद नहीं लाया गया है। माननीय मन्त्री जी को इसको वापस लेना चाहिए या प्रवर समिति को भेजना चाहिए। यह विधेयक महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को देखते हुए हमारी ओर से श्री देव बहादुर सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है कि पब्लिक ओपीनियन भी प्राप्त की जाय। तो यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है, मैं आग्रह करूंगा कि अपने प्रस्ताव को संशोधित करें या वापस लें।

यह अच्छी बात है कि यह विधेयक लाया जा रहा है और हमने भी इसकी चेष्टा की थी। श्रीमन्, रेवेन्यू कोर्ट बनाने में राजस्व मन्त्री बधाई के पात्र हैं। लेकिन हमारी मेहनत भी इसमें शामिल है जिसको कांग्रेस सरकार ने की है। उनका भी मस्तिष्क लगा है और हमारा भी दिमाग इसमें जुड़ा है। मिलजुल कर यह बनाया गया है। लेकिन हम इसको देखेंगे कि आपने इसमें कितना परिवर्तन किया है किन्तु संविधान के अनुकूल हो यह भी बहुत आवश्यक है। इसलिए श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसमें आप व्यवस्था दें जिससे नियमों का पालन हो सके।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, नेता विरोधी दल संसदीय कार्य प्रणाली के विद्वान हैं। मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है इसमें और जो दूसरे बिल इस प्रकार के होते हैं उसमें थोड़ा फर्क उनको करना चाहिए और यह होता है। यदि मनी बिल होता तब तो इसमें राष्ट्रपति की आज्ञा या राज्यपाल की आज्ञा का प्रश्न खड़ा होता।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया है।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, यदि संसद में आता तो राष्ट्रपति और यहां है तो राज्यपाल। चूंकि यह फाइनेन्शियल बिल है इसलिए इसमें कोई आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार के संसद में जो विभिन्न अवसरों पर निर्णय हो चुके मैं उनकी जानकारी यहां कर देना चाहता हूं। धन विधेयक को पेश करने के लिए मैं संसदीय कार्य प्रणाली तथा व्यवहार महेश्वर नाथ कौल तथा श्यामलाल शकधर की किताब के 498 पेज से पढ़ रहा हूं --

धन विधेयक के पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, लेकिन जहां कोई विधेयक अनुच्छेद 110 के उपखंड (क) से (च) में निर्दिष्ट मामलों में से किसी

मामले के आनुषंगिक विषय के सम्बन्ध में हो तो उस विधेयक के पेश किए जाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, यहां पर मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि यह मनी बिल होता तो अनुच्छेद 199 खंड 1 के (क) से (च) के विषय में जो होना चाहिए वह होता और संयुक्त प्रवर समिति के पास जाता। चूंकि यह फाइनेन्शियल बिल है और यह निर्दिष्ट हो सकता है संयुक्त प्रवर समिति को इसलिए ही यह प्रस्ताव राजस्व मन्त्री जी को लाने की आवश्यकता पड़ी। जो माननीय नेता विरोधी दल गलती कर रहे हैं वह इसी मामले को लकर कर रहे हैं। मान्यवर, यह मनी बिल नहीं है यह तो फाइनेन्शियल बिल है। इसमें निर्दिष्ट किया गया है और उस सम्बन्ध में जब व्यवस्था होगी? तब यह मनी बिल हो सकता है। इसके इस समय कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इसमें तो नियमों की व्यवस्था है। इसलिए यह फाइनेन्शिल कमिटमेंट का बिल है और मनी बिल नहीं है। इसलिए इस नियम के निलम्बन को लाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी के साथ-साथ जो संसद में हो चुका है, उसको मैं 500 पेज से पढ़कर बता देना चाहता हूं —

श्रेणी 'क' के अन्तर्गत आने वाला वित्तीय विधेयक केवल लोक सभा में ही पेश किया जा सकता है और उसके पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। यदि ऐसा विधेयक इस सिफारिश के बिना पेश कर दिया जाए तो उसे वापस लेना पड़ता है परन्तु आवश्यक सिफारिश मिल जाने पर इसे फिर पेश किया जा सकता है। सामान्यतया ऐसे विधेयक को सदनों की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता है। लेकिन विशेष दशाओं में लोक सभा सम्बद्ध नियम के निलम्बन का प्रस्ताव पास करके ऐसे विधेयकों को संयुक्त समिति को सौंप सकती है।

इस सिलसिले में मैं मान्यवर, एक उदाहरण का जिक्र कर देना चाहता हूं जो 500 पेज के नीचे नं0 4 पर है —उदाहरण के लिए निम्नलिखित वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में नियम 74 के पहले परन्तुक को निलम्बित कर दिया गया और उसके बाद उन विधेयकों को दोनों सदनों की संयुक्त समितियों को सौंप दिया गया। राज्य पुनर्गठन विधेयक, 1956, दिल्ली नगर निगम विधेयक, 1957; व्यापारिक पोत विधेयक, 1958; कम्पनी विधेयक; 1959; त्रिपुरा लगान तथा भूमि सुधार विधेयक, 1957 आदि। अभी जो राजस्व मन्त्री जी ने प्रस्ताव किया है इसकी खास मंशा यही है कि चूंकि यह मनी बिल नहीं है, फाइनेन्शियल बिल है और बगैर इस प्रस्ताव के सदन के समक्ष लाए और बगैर इस नियम को निलम्बित किये यह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमटी के सामने नहीं जा सकता इसलिए यह प्रस्ताव रखा गया है। मैं समझता हूं माननीय नेता विरोधी दल इससे सेटिसफाई हो जायेंगे और अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ फाइनेन्स बिल नाम का कोई प्राविधान नहीं है। फाइनेन्शियल बिल होता है जब टैक्स लगाए जाते हैं। जब बजट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पेश होता है तो वित्त मन्त्री केन्द्र में बजट के साथ ही फाइनेन्स बिल पेश करते हैं। माननीय संसदीय कार्यमन्त्री और वित्त मन्त्री भी हैं। उन्हें याद होगा कि जब उन्होंने बजट पेश किया तो कोई फाइनेन्स बिल पेश नहीं किया और न हमारे नियमों में फाइनेन्स बिल का कोई प्राविधान है। अगर ऐसा सम्भव है तो फिर इस प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है। बिना प्रस्ताव के भी संयुक्त प्रवर समिति को जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

नियम 128 देखें जिसमें यह है कि उसे ऐसे अनुदेशों के सहित जो कि आवश्यक समझ जायें, सदन की प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय। या उसे एसे अनुदेशों के सहित जो कि आवश्यक समझे जायं, संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय। या उस पर राय जानने के प्रयोजन से परिचालित किया जाय, परन्तु उपनियम (ग) के अन्तर्गत निर्देश का प्रस्ताव ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में नहीं किया जायगा जिसमें अनुच्छेद 199 के खंड (1) के उप खंड (क) से (च) में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिए उपबन्ध हो। इसका मतलब यह है कि संविधान की जो 199 धारा है यदि उससे कोई भी विधेयक प्रभावित है, उसमें उस सम्बन्ध में कोई प्राविधान है तो उसको संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसलिए राजस्व मन्त्री जी यह चाहते हैं कि यह संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। उसका मुख्य कारण क्या है, अगर धारा 199 को देखें तो उसमें लिखा है :

For the purpose of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters.

यानी इस खंड के अनुसार उसको भी मनी बिल समझा जायगा यदि उसमें केवल नीचे लिखी कोई बात हो, जैसे :

the imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax

किसी कर को लगाना, उसका निरस्त करना, उसमें कमी करना, उसमें परिवर्तन करना, नियंत्रण करना आदि-आदि। अब यह जो प्रस्तावित विधेयक है उसमें अन्य बातों के अलावा कर-निर्धारण के प्रस्ताव हैं। उसके अध्याय 11 को देखें--राजस्व का निर्धारण और बन्दोबस्त, इसके खंड 159 (1) को देखें : किसी भूमिधर द्वारा धृत समस्त भूमि का चाहे वह कहीं पर स्थित हो और उसका उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए किया जाय भू-राजस्व निर्धारित किया जायगा और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायगा। यानि यह टैक्सेशन इम्पोजिशन है। परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भूमि को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझें, ऐसे दायित्व से पूर्णत : या अंशत : छूट दे सकती है, यानि रिमिशन दे सकती है। फिर किसी भूमि पर अध्यासन की दीर्घकालीनता से वह भूमि भू-राजस्व के भुगतान के दायित्व से नियुक्त न होगी। फिर आगे उपधारा (4) में लिखा है उपधारा (1) से (3) में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित भूमि को भू-राजस्व के भुगतान से छूट रहेगी अर्थात् जितनी भूमि पर मुधार से भिन्न भवन हो, खलिहान, कब्रिस्तान और शमशान आदि। तो अब 159 और अध्याय 11 व 12

के संविधान के अनुच्छेद 199(1) (क) की परिधि में आते हैं, और जब परिधि में आते हैं तो जिस नियम के मैंने उल्लेख किया—128 के प्रथम परन्तुक के अनुसार फिर प्रतिबन्धित हो जाते हैं। वह (ग) के अनुसार संयुक्त प्रवर समिति को नहीं जा सकता। इसलिए माननीय राजस्व मन्त्री जी ने (ग) के अन्दर प्राविधान का प्रयोग करने के लिए और इस बिल की महत्ता को समझते हुए संयुक्त प्रवर समिति का निश्चय किया है। उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि उक्त नियम का निलम्बन किया जाय। इसलिए प्रक्रिया नियमावली के नियम 311 के अनुसार माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वह विधिवत् है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है इसलिए मैं निश्चय करता हूं कि यह प्रस्ताव विधिवत् है और इसमें कोई असंगति नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह रूलिंग भी दे दें कि यह मनी बिल है या नहीं है, धन विधेयक...

श्री अध्यक्ष—

मनी बिल नहीं है लेकिन यह वित्तीय बिल है। वित्तीय बिल का मतलब होता है, जैसा मैंने कहा अभी, संविधान का अनुच्छेद 199 आप देखें। करों का इम्पोजीशन, रिमिशन, उसमें परिवर्तन आदि आ जाते हैं और उसको हमारी नियमावली प्रतिबन्धित करती है। आप तो स्वयं सहमत हैं कि इसको संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तथा चूंकि संयुक्त प्रवर समिति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह नियमावली का नियम 128 का परन्तुक बाधक होता था, इसलिए इस नियम का निलम्बन किया गया है और उसे मैं विधिवत् ठीक समझता हूं।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के नियम 128 के प्रथम परन्तुक के निलम्बन का प्रस्ताव

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 311 के अन्तर्गत मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि प्रक्रिया नियमावली के नियम 128 के प्रथम परन्तुक को उस अंश तक, जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि अनुच्छेद 199 के खंड (1) के उपखंड (क) से (च) में उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित उपबन्धों वाले विधेयकों को उक्त नियम 128 के उपनियम (ग) के अन्तर्गत संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव नहीं किया जायगा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 के सम्बन्ध में निलम्बित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 311 के अन्तर्गत मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि प्रक्रिया नियमावली के नियम 128 के प्रथम परन्तुक को उस अंश तक, जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि अनुच्छेद 199 के खंड (1) के उपखंड (क) से (च) में

श्रीअध्यक्ष]

उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित उपबन्धों वाले विधेयकों को उक्त नियम 128 के उप नियम (ग) के अन्तर्गत संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव नहीं किया जायगा, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 के सम्बन्ध में निलम्बित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 †

*राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जो विधेयक मैं इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वह एक बड़ा एतिहासिक तथा प्रदेश की जनता के लाभ के लिए सिद्ध होगा। आज जो स्थिति है जहां तक माल के कानून का सम्बन्ध है वह बहुत पेचीदा तथा खर्चीला हो गया है जिससे जनसाधारण तथा किसान को समझना कठिन है। जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह गावों का विकास करना चाहती है और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार कर प्रदेश को सम्पन्न करना चाहती है। जिस प्रकार का कानून प्रदेश में माल सम्बन्धी चल रहा है उसमें इतने संशोधन हुए हैं जिससे वह इतना पेचीदा हो गया है कि जनसाधारण को समझना कठिन हो गया है।

इसके अतिरिक्त लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट जिसमें अधिकारियों की नियुक्त का प्रश्न है लेकिन उनके क्या कर्तव्य हैं यह जमींदारी एबोलीशन अधिनियम में रखे गए हैं। इसी प्रकार दाखिल खारिज के मुकदमें लैन्ड रेवन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत होते हैं लेकिन अगर उन्हीं के सम्बन्ध में अधिकारों का हम डिक्लेरेशन चाहते हैं तो जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत जाना पड़ता है। इस सम्बन्ध में जो कानून हैं उसमें इतने अधिनियमों का जिक्र।

(इस समय 2 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

है अगर उनको समझना है तो सारे अधिनियम पढ़े जायं तभी उसके माने निकाले जा सकते हैं।

तो यह निर्विवाद है कि आज प्रदेश में बड़ी भारी आवश्यकता थी कि एक ऐसा सरल और सुलझ अधिनियम लाया जाय और जितने अधिनियम अभी तक बने हैं उनको संकलित करके, सरल बना कर जनसाधारण के समझने लायक बना दिया जाय ताकि जिनके लिए कानून बनाया गया है वह उसे समझ सकें। हमने इसके लिए यह प्राविधान

---

†दिनांक 8 अक्तूबर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित किया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदा भक्त सिंह]

किया है कि मौके पर जाकर सम्बन्धित केस सुलझा दिया जाय और जो स्पष्ट मामले हैं उनमें वह दौड़ भाग से बच जायं जिससे हम गरीबों को बचाना चाहते हैं। अगर किसी प्रकार समझौता न हो सके तो यह प्राविधान कर दिया है कि जब मुकदमा होगा वहीं वाद के रूप में हो जायगा और जो फैसला होगा वह आखिरी फैसला सा बन जायगा। उसकी अपील वह कर सकता है। अभी तक दाखिल खारिज का मुकदमा कोई जीत गया तो बोर्ड आफ रेवेन्यू तक लड़ सकता था, चार पांच वर्ष तक हजारों रुपए खर्च करके और अगर सफलता मिलती है तो वे पुनः एक रेव्यूलेशन सूट दायर करके फिर से प्रारम्भ से मामला चला देते। वे यह समझते हैं कि हम परेशानी उठाते हैं इसलिए बोर्ड आफ रेवेन्यू में जाकर हमको अधिकार प्राप्त हो जायेंगे। इसलिए हमने इस विधेयक में प्राविधान किया है कि ऐसे वादों के जो भी फैसले हों वे अन्तिम फैसले हो जायं।

इसके अतिरिक्त कई मामले हैं जिनको सरलता से निपटाने का प्राविधान इसमें किया गया है। जो खादर की भूमि थी उसके भी अधिकार हमने स्पष्ट कर दिए हैं कि किन मुकदमों को माल की अदालत में और किनको दीवानी अदालतों में चलना चाहिए ताकि गरीब लोगों का धन ऐसे मसलों पर खर्च न हो। यह एक ऐसा विधेयक है जिसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि विवाद नहीं होना चाहिए। चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों। सब यही चाहते हैं कि कानून सरल और सुलभ हो तथा लोगों के समझने लायक हो। उसमें जो पेचीदगियां हैं वे दूर हों तथा मुकदमें कम किए जायं। इस विधेयक में यही प्राविधान किया गया है।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक को लाकर उत्तर प्रदेश अपने प्रथम कर्तव्य को पूरा कर रहा है। हम यह भी चाहते हैं कि विरोधी दल के लोग अथवा किसी भी दल के लोग जो इस मसले में रुचि रखते हों उनके हम सुझाव लें और इसमें जो भी खामियां दिखाई दें उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में रखना चाहते हैं। इससे सभी लोगों के मत आ जायेंगे और उनको अपनी बात रखने का मौका मिल जाएगा। इसी दृष्टिकोण से, जैसा कि मैंने निवेदन किया, हम इसे प्रवर समति में ले जाना चाहते हैं ताकि वहां पर सारी बातों की छानबीन हो और तब यह विधेयक सदन के सामने आये। इसलिए मैं यह आशा करता हूं कि यह विधेयक दोनों पक्षों की इच्छा के अनुकूल है। हम आपके सुझाव मानने के लिए तैयार हैं। अतः मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, इस प्रस्ताव पर मेरा संशोधन यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 को जनमत संग्रह के लिए 6 मास तक परिचालित किया जाय। मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने तथा माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि आज बड़े ही कष्ट साधन के बाद यह नया विधेयक सदन के सामने आया है और माननीय मन्त्री जी ने अपने संक्षिप्त भाषण में यह बताया कि इससे वादकारियों का जो लिटिगेशन है वह भी कम हो जायेगा। मैं उनके इस प्रस्ताव की प्रशंसा तो करता हूं कि इसे संयुक्त प्रवर समिति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

में भेज दिया जाय लेकिन इससे न्याय नहीं हो पाएगा क्योंकि इस नए विधेयक में शायद 15 पुराने विधेयकों को निरस्त कर नया विधेयक बनाया जा रहा है। मान्यवर, आपको जानकारी है कि पुराने विधेयक जो निरस्त हो जाते हैं उनमें प्रसिद्ध विधेयक जमींदारी उन्मूलन विधेयक है और रेवेन्यू ऐक्ट है। जमींदारी एबोलिशन विधेयक को बनाने में माननीय चौधरी चरण सिंह जी इस समय केन्द्र में गृह मन्त्री हैं की जवानी लगी। वह विधेयक मुख्य रूप में जमींदारी एबोलिशन के लिए बना और वह लैन्ड रिफार्म बिल था और नया विधेयक जो हमारे सामने हैं। इसमे भूमि सुधार की व्यवस्था नहीं है। इसमें मान्यवर, इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं है जो कि सदन के सामने लाया जा रहा है। हमारा कहना है कि हम आशा करते थे कि इस विधेयक के द्वारा अन्तर्द्वन्द समाप्त होगा और साथ ही साथ किसानों का फायदा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे यह नहीं होगा इससे लिटिगेशन के द्वार खुल जायेंगे और इतने झगड़ों की बाढ़ पैदा होगी कि कुछ नहीं कहा जा सकता है।

मैं संक्षिप्त में सुझाव दूंगा क्योंकि हम समझते थे कि आप जो बिल बना रहे हैं इसमें नया दृष्टिकोण भूमि सुधार के बारे में आएगा। हमारे यहाँ तीन तरह के विवाद हैं। एक तो फौजदारी का उसको आई0 पी0 सी0 कवर करता है। उसमें यह व्यवस्था है कि जुर्म करने पर क्या सजा दी जाती है। दूसरे सी आर0 पी0 सी0 में यह व्यवस्था है कि सजा कैसे दी जाएगी। इसी तरह से सी0 पी0 सी0 में जो दीवानी के वाद हैं उनका क्या निर्णय होगा वह व्यवस्था है। जो सिविल प्रोसीजर कोड है इस सम्बन्ध में व्यवस्था है कि इन विवादों का निर्देशन क्या होगा। तो मान्यवर, इसमें व्यवस्था नहीं है कि प्रोसीजर क्या होगा। मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा माननीय नेता विरोधी दल यहाँ पर नहीं हैं, जब आप यह बिल बनाने बैठे थे और आप कंप्रीहेंसिव ऐक्ट बनाना चाहते हैं, तो यह बात देखते।

दो मुख्य विवादों के निर्णय के लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है। सी0 आर0 पी0 सी0 में फौजदारी मुकदमें और सी0 पी0 सी0 में सिविल के मुकदमे क्या इसकी आपने कोई व्यवस्था बनाई है जिससे जमीन के मुकदमें तय हो सकें। जब एक कंप्रीहेंसिव ऐक्ट आप बनाना चाहते हैं तो वह विधेयक ऐसा होता जिससे किसानों को फायदा होता, उसकी समस्याओं का समाधान होता। मैं एक छोटा सा किसान हूं, उनकी दिक्कतों को जानता हूं। यह जो उनके झगड़े हैं उनके हल का जवाब आपके इस विधेयक में नहीं है, बल्कि झगड़ों को और पेचीदा करने की कोशिश इसमें की गई है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि संयुक्त प्रवर समिति भी इसमें न्याय नहीं कर सकेगी। हमें इस सम्बन्ध में उन वादकारियों की राय लेनी चाहिए जिनके सामने यह समस्या आती है; उन वकीलों की राय लेनी चाहिए जिनके समाने कानूनी दिक्कतें आतीं हैं, उन जजों की राय लेनी चाहिए जो इन मुकदमों का निर्णय करते हैं, उन पोलिटिकल जूरिस्ट की राय लेनी चाहिए जो इन उलझनों को जानते हैं। इन सब से राय लेनी चाहिए कि किस तरह इसका समाधान होगा। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करें और मेरे प्रस्ताव से सहमत होंगे कि इसे जनता की राय लेने के लिए भेज दिया जाय।

मेरा एक दूसरा मान्यवर, निवेदन है कि जब आप बिल बनाने बैठे थे तो इन सब बातों पर विचार करते। जो फौजदारी के मुकदमें होते हैं उसमें हमारी इंडिपेंट जुडिशियरी है। यह न्याय की मान्यता है कि न्याय पक्ष स्वतंत्र होना चाहिए वह एक्जीक्यूटिव से स्वतंत्र होना चाहिए। 302 में मुकदमा चलेगा उसमें अलग से सेशन जज तय करेगा। अपील उसकी हाई कोर्ट जाएगी, कोई सवाल सरकार का सरकारी पक्ष का प्रभावित करने का नहीं है। दीवानी का कोई मुकदमा होगा तो मुंसिफी में जाएगा और मुंसिफ से लेकर हाई कोर्ट तक स्वतन्त्र जूडिशियरी है, स्वतन्त्र न्यायालय है। आपने क्या किया है? अधिष्ठाता महोदय, आपको देखकर डर लगता है, कोई समय की पाबन्दी तो नहीं है मेरे लिए?

श्री अधिष्ठाता--

अभी बोलिए आप।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

इसमें क्या व्यवस्था है, म्यूटेशन की प्रोसीडिंग में दो मुख्य अधिकारी हैं। एक तहसीलदार जिसका पहले निर्णय होगा, तो क्या किसी तहसीलदार में इतनी हिम्मत है कि कोई एम0 एल0 ए0 उससे किसी निर्णय के पक्ष में कहे और वह उसके विपरीत चला जाए, न्याय का पक्ष लेकर निर्णय दे दे। तो वह क्या न्याय गरीब किसानों को दे सकेगा, इसकी हम सब भली प्रकार कल्पना कर सकते हैं। अब उसके बाद जिसके यहां मामला जाएगा, वह कौन है--एडिशनल कमिश्नर और मैं कहना चाहता हूं कि वह निकृष्ट लोगों में, निकृष्ट अधिकारियों में से एक होता है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि जिसकी बैड एन्ट्री होती है, निकम्मा अफसर होता है वह एडिशनल कमिश्नर बना दिया जाता है और वही इसमें अपीलेंट अधिकारी होगा, आपकी व्यवस्था के अनुसार। चीफ मिनिस्टर जाएगा तो उसे उसकी सलामी करनी पड़ेगी, तो वह तो पूरी तरह से सरकारी आदमी है, उससे न्याय की और निष्पक्ष होकर कार्य करने की आशा कैसे की जा सकती है?

मेरा निवेदन है कि जब आप नया ऐक्ट बनाने जा रहे हैं, कम्प्रेहेंसिव लाना चाहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है कि रेवेन्यू मुंसिफ बना दिए जायं या फिर सिविल मुंसिफ को ही ये डिस्प्यूट्स दे दिए जायं अथवा सी0 ओ0, रेवेन्यू बना दिए जायं। कोई भी व्यवस्था हो, लेकिन यह निश्चित मत है कि रेवेन्यू के मामले एक्जीक्यूटिव अधिकारों से निकालने चाहिए। यह क्या हुआ कि जो पटवारी ने लिख दिया वह हो गया, इसमें हजारों लाखों रुपए की जमीनों का महत्वपूर्ण मामला सम्बद्ध होता है, अत: इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। बूढ़ा मरने को है, उसका अंगूठा रखवा लिया, एक मैंने रखवा लिया और एक दूसरे ने रखवा लिया और तहसीलदार ने यकीन करके सारी जमीन दे दी। तो यह मामले तो तहसीलदार या एडिशनल कमिश्नर के यहां से उनके तरीके से, उनकी प्रक्रिया से और जिस प्रकार के ये लोग हैं, उससे निष्पक्ष रूप से तय होने से रहे। कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, जो निष्पक्ष रूप से देखे और उस पर सही निर्णय ले। पता नहीं इस दिशा में कितना प्रयत्न नारायण दत्त तिवारी जी ने किया, जो वह इसका श्रेय लेना चाहते हैं। यह विधेयक मोस्ट अनइफीशिएन्ट ब्यूरोक्रेसी द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ है, यदि इसे माननीय मन्त्री जी ने ड्राफ्ट किया होता तो, भले ही इससे कुछ ठीक होता। इसमें किसी भी प्राब्लम का हल नहीं है।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

अब विवादों को हल करने के लिए जो सबसे मुख्य मशीनरी है, उस पर आत्म निर्भर करना चाहते हैं, उसके तो लिमीटेशन को भी आपने बाँध दिया है दाखिल-खारिज के मामले में। इसका मतलब यह है कि पोलेटिकल मैनुपुलेशन के लोग अपने पक्ष में निर्णय ले लिया करेंगे। तो मेरा आशय यह है कि माल के लिटीगेशन, रेवेन्यू के लिटीगेशन इससे निकल कर स्वतन्त्र न्यायालय में जायं और इसलिए इसे आप संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बजाय जनमत संग्रह के लिए परिचालित करें। उसमें विभिन्न पक्षों को आप सुनें और आपके पास सारी जनता और एक्सपर्ट्स की राय होगी, तो उनकी रोशनी में आप काफी अच्छा और कम्प्रेहेंसिव विधेयक बना सकेंगे।

यह भी एक बात देखने की है कि हर मन्त्रालय की अलग-अलग नीति होती है। अभी हमारे पंचायत मन्त्री ने एक पंचायत कमीशन बनाने की बात कही है। पंचायत ऐक्ट के भी बहुत से ऐसे विवाद हैं— एल0 एम0 सी0 और ग्राम-पंचायत की व्यवस्था है, जिनसे आपका साबका पड़ता है। एल0 एम0 सी0 का काम कैसे चले, इसका सम्बन्ध आपसे भी है। उसकी भी अपनी राय हो सकती है, उसकी राय इस विधेयक के लिए भी लाभकारी हो सकती है, तो अच्छा हो कि आप उस कमीशन के सुझावों की प्रतीक्षा कर सकें। उसको आप देखेंगे तो आपको यह भी मालूम होगा कि उसकी सिफारिशें आपके फायदे के लिए हैं।

एक कोढ़ इसमें है। वह है आपका बोर्ड आफ रेवेन्यू। यह बोर्ड आफ रेवेन्यू सबसे पहले 1901 में स्थापित हुआ था तब से चल रहा है। जो भी आदमी अपने वाद को ले कर बोर्ड आफ रेवेन्यू में जाता है, वह रिट म जरूर जाता है। पहले वह बोर्ड आफ रेवेन्यू में लड़ें फिर उसके बाद रिट में लड़ें। शायद जब रिट जुरिस्डिक्शन हाईकोर्ट का नहीं था, तब उससे पहले बोर्ड आफ रेवेन्यू इसलिए सारा का सारा चल रहा हो। जब माननीय मन्त्री एक काम्प्रीहेन्सिव बिल लाने के लिए बैठें तो कम से कम बोर्ड आफ रेवेन्यू से छुट्टी दें। बोर्ड आफ रेवेन्यू की कोई हैसियत नहीं है, उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले की कोई हैसियत नहीं है, उसके निर्णय की कोई हैसियत नहीं है। मेरे जिले के 99 प्रतिशत वाद, मेरी नजर में है, रिट में जरूर जाते हैं। तो गरीब आदमी को क्यों दर-दर घुमाते फिरते हैं? गरीब आदमी है, अपने कागजों को लेकर पहले बोर्ड में जाता है, फिर हाई कोर्ट जाता है। उसके सर के सारे बाल इसी में उड़ जायेंगे। कहाँ ताकत रह जायगी जमीन को जोतने बोने की? बोर्ड आफ रेवेन्यू को आपको अवालिश कर देना चाहिए। सीधे अपील हाई कोर्ट में प्रोवाइड कीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? इन बेचारे लिटगेंट किसानों को राहत होगी। इससे पूर्व माननीय नारायण दत्त तिवारी के समय मेहनत करने वाले लोगों ने जो मेहनत की है और मन्त्री जी ने जो प्रयत्न किया है, जरा सोचें बोर्ड आफ रेवेन्यू की क्या आवश्यकता है।

इसमें दो जगह डेफिनीशंस दी हैं। सेक्शन 4 जो है डेफिनीशंस के लिए है। सेक्शन 3 एप्लीकेशन के लिए है।

श्री अधिष्ठाता---

आप संक्षिप्त करें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर---

मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं। जितना आवश्यक है उतना समय तो लेना ही होगा। इसमें धारा 23 की उपधारा (23) में यह है---"अन्य सभी शब्दों और पदों के जो उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 में प्रयुक्त है और इस संहिता में भी प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।" इसका अर्थ यह है कि जो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनकी परिभाषा इस ऐक्ट में है और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में भी थी, उनका कहना है कि उनके सम्बन्ध में इनमें कोई डेफिनीशन नहीं है, जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में जा कर देखें इसका अर्थ यह होगा कि जमींदारी एबोलिशन में जो परिभाषायें नहीं हैं उनको पहले के ऐक्ट में देखें। मैं चाहता हूं कि एक सेल्फ कन्टेन्ड ऐक्ट होना चाहिए। कोई ऐसा ऐक्ट नहीं मिलेगा जिसमें सभी चीजें हों। ऐक्ट रिपील्ड हो गया, लेकिन दूसरे ऐक्ट में लिख दिया जाता है कि उसको देखें। इस प्रकार से जो ऐक्ट रिपील्ड हो गया उसको भी पढ़ना पड़ता है।

तो मान्यवर यह चाहिए कि हम ऐक्ट को सेल्फ कन्टेन्ड करें। जो डिफनीशन्स रह गयी हैं उनको भी इसमें रखें। सेक्शन 3 है। यह बहुत ही इन्टरेस्टिंग प्राविजन है। इसमें ऐसा है कि गांव की परिभाषा दी गयी है। गांव का तात्पर्य किसी संहत या अन्यथा स्थानीय क्षेत्र से है जो सम्बद्ध जिले के राजस्व अभिलेख में ग्राम के रूप में अभिलिखित हो और उसमें वह क्षेत्र भी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ग्राम घोषित करें। आज तक गाँव के बाद परगना और परगना के बाद तहसील होती थी। आपके मन्त्री जी ने इसको बदल दिया है! पहले तहसील होगी और फिर परगना होगा। मैं नहीं जानता कि इसको चेन्ज करने की क्या आवश्यकता पड़ गयी। शेर शाह सूरी का बनाया हुआ यह बन्दोबस्त है। आप तहसील को नीचे ले आए और परगना को ऊपर कर दिया। माननीय मन्त्री जी भारतीय संस्कृति के अधिक प्रेमी हैं और उन्हें शेर शाह सूरी का बन्दोवस्त पसन्द नहीं आया, उन्हें कुछ मिल गया होगा, इसलिए ऐसा कर दिया। एक तो यह हो सकता है कि तहसीलदार परगनाधिकारी के नीचे आता है और परगना तहसील के नीचे आता है। इसलिए हो सकता है कि माननीय मन्त्री जी ने इसको कर दिया हो। अगर इस कारण किया गया हो तो परगनाधिकारी का नाम अतिरिक्त जिलाधिकारी रखा जा सकता था। मेरी समझ में नहीं आया कि कौनसी आवश्यकता पड़ गयी इन शब्दों को बदलने की। जो सैकड़ों और हजारों वर्षों से लोगों के संस्कार पड़े हुए हैं उनको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप जल्दी करें। समय की कमी है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर---

एक प्राविजन कन्सालीडेशन ऐक्ट में था कि जब चकबन्दी हो जाएगी तो बहुत से डिस्प्यूट्स रास्तों के चालू हो जाते थे। तो उनको सुलझाने के लिए सेक्शन 33

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

और 34 में यह अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया था कि वहां उनको सुलझावे और जो रास्ते समाप्त हो गए हैं उनको बनवावें। यह प्राविजन समाप्त कर दिया गया है और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं की गयी है कि रास्ते कैसे दिलवाये जायें।

अंत में मैं एक निवेदन और करके अपनी बात समाप्त करूंगा वह यह है कि इसमें आपने एक प्राविजन दिया है जिसमें लिखा है कि तहसील अधिकारी जिला अधिकारी के मातहत रहेंगे। इतना ही नहीं कोई भी अधिकारी अगर कमिश्नर है तो उसके मातहत सभी जिलाधिकारी रहेंगे। इस तरह से ये सभी अधिकारी अपने-अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो कमिश्नर रहेगा तो वह अगर चाहेगा तो लेखपाल के अधिकार का भी प्रयोग कर सकेगा।

इस तरह से जो म्यूटेशन की प्रोसीडिंग होगी उसमें अगर मैं कमिश्नर साहब के पास चला जाऊं और कह दूं कि लेखपाल गड़बड़ी कर रहा है तो पांडेय जी की जमीन को मैं अपने नाम लिखा लूं। तो उनको भी ऐसा करने का अधिकार है। आज तक लैन्ड रेवेन्य में इस तरह के अधिकारी नहीं थे। तो इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रवर समिति में जाने से इस बिल के साथ न्याय नहीं हो सकेगा अत: इसे जनमत जानने के लिए भेजा जाए जिसके बाद माननीय मन्त्री जी एक कॉम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट तैयार कर ऐक्ट को सदन के सामने रखें।

(श्री देव बहादुर सिंह का नाम पुकारे जाने पर).

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी सोहन वीर सिंह तोमर जी ने जो जनमत संग्रह के लिए प्रस्ताव रखा है उसके बाद दूसरा प्रस्ताव मेरा था प्रवर समिति में भेजन का तो मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो आपने देव बहादुर सिंह जी को कैसे बुला लिया ?

श्री अधिष्ठाता —

आपका नाम दूसरे नम्बर पर है। आप अपनी बात कहें। आप बोलिए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हाँ, मैं बोलूंगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो 3 माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

अधिष्ठाता जी, माननीय सोहनवीर सिंह तोमर ने इस विधयक को जनमत संग्रह के लिए भेजने का प्रस्ताव किया है। मेरा प्रस्ताव यह है कि इसको सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। इसके पीछे एक भावना यह थी कि विधान परिषद् के लोगों को इस विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य की हैसियत से विचार विमर्श करने का अवसर नहीं प्राप्त होना चाहिए था क्योंकि विधान परिषद् के अधिकार इस मामले में काफी सीमित हैं। अत: यह अधिकार उन्हें प्राप्त ही नहीं हो रहा था। लेकिन माननीय अध्यक्ष की

आज्ञा शिरोधार्य है। अब माननीय मन्त्री जी का प्रस्ताव है कि इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय। श्री सोहन वीर सिंह तोमर जी का प्रस्ताव है कि इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाय और मेरा प्रस्ताव है कि इसको सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने यह प्रस्ताव बहुत सोच समझ कर सदन में पेश किया है। इस विधेयक के माध्यम से लगान निर्धारित करने की छूट देना या नया बन्दोबस्त लागू करने के सिलसिले में नियम बनाने का अधिकार है यह सब ऐसा मामला है जो सीधे-सीधे जनता से सम्बन्ध रखता है और इस मामले में जैसा मैंने पहले कहा कि टैक्सेशन का जहाँ तक सवाल है उसमें मात्र इस सदन का हक है कि वह इन बातों पर विचार कर सके। विधान परिषद् तो प्रस्ताव में अपने संशोधन दे सकती है, खण्डों पर या और किसी अंश पर, उसे घटाने या बढ़ाने के सम्बन्ध में लेकिन इस प्रकार का अधिकार उसे प्राप्त नहीं था। अब जैसा कि माननीय मन्त्री जी का प्रस्ताव है, उसके अनुसार उनको भी यह अधिकार प्राप्त होगा।

मान्यवर, बड़ा पेचीदा सवाल है इस सदन के सामने। क्या हम इस सदन के सदस्य, जो अधिकार हमको संविधान के द्वारा प्राप्त हैं, उनके बारे में हम विधान परिषद् के सदस्यों को भी अधिकार दें, जिनके अधिकार बहुत सीमित हैं। यह मोटी बात है हमारे प्रस्ताव से उपस्थित होती है और दूसरा सवाल यह है कि विधान सभा सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा है। इनको जनता की कठिनाइयों का अच्छी तरह से ज्ञान है। यह सीधे जनता की भावनाओं को रखने का काम इस सदन में करती है, दूसरे लोग इस बात से वंचित रह जाते हैं। मान्यवर, अगर श्री सोहन वीर सिंह जी का प्रस्ताव मान लिया जाय, जनमत संग्रह का तो यह कैसे होगा। उन्होंने इसके लिए कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं बताई कि वह किस प्रकार से कराया जायगा। अगर उस सम्बन्ध में कुछ प्रक्रिया अपने प्रस्ताव में उन्होंने दी होती तो उस पर विचार हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। माननीय मन्त्री जी इस प्रस्ताव के चलते इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन में विवश हैं। मेरे विचार में इस सदन के ही सदस्यों की समिति बनाकर इस पर विचार हो। मेरी अपनी मनःस्थिति यह है जिस पर यह प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा दी है।

अब मैं कुछ मूलभूत बातों पर आता हूं जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल की बात आई, राजस्व परिषद् और राजस्व अधिकारियों की बात इस विधेयक में उठायी गयी है। इनके बारे में यह भी कहा गया कि एक कमिश्नर होगा। राजस्व परिषद् में कमिश्नर हो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है, इन दोनों को रखना क्यों आवश्यक है। मैं कमिश्नर को तो रखने का घनघोर विरोधी हूं और यह भी निवेदन कर दूं कि राजस्व विभाग में आई0ए0एस0 कैडर का अधिकारी भेजा जाता है जो सर्वाधिक रद्दी साबित हुआ है सरकार की दृष्टि में और वहाँ जाकर वह किसका फैसला करता है, हम किसानों की तकदीर का फैसला करता है। जो सरकार की दृष्टि में रद्दी से रद्दी होता है उसको ही यह अवसर मिलता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्व परिषद् कुछ लोगों को अच्छा वेतन, अच्छी सुविधा और काम नदारद, देने के लिए जगह बनाई गई है? कोई यतीमखाना बनाया गया है? नहीं श्रीमन्, अगर उनसे काम लेना है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके लिए फिर एक निश्चित व्यवस्था इसमें करनी होगी और अगर राजस्व परिषद् को चलाना ही है किसी तरह

[श्री कल्पनाथ सिंह]

तो मेरा यह भी कहना है कि राजस्व परिषद् में जो न्याय विभाग है उसको अलग करिए और रेवेन्यू और प्रशासनिक विभाग को अलग करिए। अगर दोनों को अलग-अलग नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा अन्याय उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ होगा। यह बिल सीधा-सीधा किसानों से ताल्लुक रखता है। परगनाधिकारी के फैसले की अपील कमिश्नर को जायगी और कमिश्नर के फैसले की अपील राजस्व परिषद् को। ऐसा भी मौका आ सकता है कि जिस पर कमिश्नर ने एक समय कमिश्नर की हैसियत से फैसला किया हो उसी को रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से वह पहुंच जाय सुनवाई के लिए। यह ठीक है कि वह उसको ट्रान्सफर कर सकता है कि मैंने इसी हैसियत से फैसला दिया है, इस पर मैं फैसला नहीं दूंगा। यह कर सकता है लेकिन यह प्राविधान जहां का तहाँ मौजूद है, इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता है।

यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह बात कही गयी है कि रेवेन्यू बोर्ड के कुछ न्यायिक मेम्बर होंगे। जो नए सदस्य होंगे उनके बारे में यह बात क्यों नहीं साफ-साफ कह दी जाती कि उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के माध्यम से होगी और योग्यताएं हाई कोर्ट के जज की होंगी। उनके लिए भी लागू होना चाहिए कि उनकी नियुक्तियाँ हाई कोर्ट के जजों की तरह होंगी और कोई कन्ट्रोल उस पर सरकार या रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन या सेक्रेटरी का नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे कि रेवेन्यू बोर्ड का बहुत ज्यादा काम है, वह ही सारी व्यवस्था चलाता है। अगर सारी व्यवस्था चलाता है तो रेवेन्यू सेक्रेटरी यहाँ क्या करता है? कौन काम है उसके जिम्मे? लेकिन मेरा एक निवेदन है और सेक्रेटरी और रेवेन्यू अधिकारियों के बीच का रेवेन्यू बोर्ड का नाता तोड़िए और जो एक बहुत बड़ा बोझ जनता की गाढ़ी कमाई पर पड़ता है। इस रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों और सारा पैराफरनेलिया के व्यय से जनता को राहत दी जा सकती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कमिश्नर का पद भी समाप्त किया जाय। लोग कहेंगे कि परगनाधिकारी की अपील कहाँ होगी? मैं कहना चाहता हूं कि परगनाधिकारी के फैसले की अपील जज के यहाँ और जज के फैसले की अपील हाई कोर्ट में कीजिए। यह सीधे सीधे सफाई हो जाने दीजिए। लेकिन इस बिल के चलते इस बात की सफाई नहीं होने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्य इन बातों पर सोचें।

यह बात तो थी बोर्ड आफ रेवेन्यू के सिलसिले में। श्रीमन्, आप अधिकार दे रहे हैं ग्राम्य अधिकारों के सिलसिले में। अधिकार दे रहे हैं नया बन्दोबस्त करने के सिलसिले में आप अधिकार दे रहे हैं सर्वेक्षण कराने और नए रिकार्ड कराने, रेकार्ड आपरेशन कराने के सिलसिले में। मैं जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रेकार्ड आपरेशन इस प्रदेश में इन अधिकारियों के जरिए और उनके चलते इसके पूर्व हुआ है, अगर उसी प्रकार का रेकार्ड आपरेशन आज भी होना है तो मैं तोबा करता हूं ऐसे रेकार्ड आपरेशन से। बहराइच जिले के लोग, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ जिले के लोग, इतने जिलों को आप जानते हैं, रेकार्ड आपरेशन जहाँ हुआ है मैं कह सकता हूं कि वह रेकार्ड आपरेशन का काम नहीं, वहाँ के लोगों की लूट हुई है। यह मेरा एक निवेदन है।

मेरा दूसरा निवेदन यह भी है कि अगर इस बन्दोबस्त के चलते जो आप कराने जा रहे हैं इस विधेयक के लागू करने के बाद मैं फिर नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि जो विधेयक आप ला रहे हैं और जो ऐक्ट बनाने जा रहे हैं, जो अधिकार देने जा रहे हैं, तो अब तक बन्दोबस्त करने का एक तरीका था, जिस पर बन्दोबस्त होता था और किस्म जमीन तय होने के बाद सारी बातें होती थीं। आपने क्या प्राविधान रखा है किस्म जमीन के सिलसिले में? जहाँ ऐसी चीजें आती हों वहाँ सीधा-साधा प्राविधान होना चाहिए। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें पावर प्रतिनिधि विधायन के जरिए से सरकार को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए भी इसको जाँचना, देखना आवश्यक है कि अगर प्रतिनिधि विधायन करके सरकार में वह अधिकार दे देती है तो सरकार 6 महीने पहले तो कानून लागू करके प्रदेश में अपना काम चला लेती है और 6 महीने के अन्दर और कभी-कभी साल भर के अन्दर जब वह सदन की टेबिल पर वह प्रतिनिहित विधायन का हवाला देकर रख दिया जाता है, तो उस पर चर्चा करने की छूट कितनी मिलती है? किन बातों पर चर्चा होती है? नहीं हो पाती। कारण सीधा-साधा है कि सरकारी बिजनेस ही इतना ज्यादा होता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर कोई एतराज किया जाता है तो उस पर कोई वक्त नहीं मिलता।

मैं जरा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक मामला आपके सामन रखूंगा जो आज ही एजेंडे पर है। वह है "श्रम मन्त्री जी, श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना सं0 1342 (वि)/ 36-3--1108(बी)-74, दिनाँक 16 नवम्बर, 1976 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश ब्वायलर अटेंडेण्ट (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976, जो दिनाँक 26 मार्च, 1977 को सदन के पटल पर रखी गयी थी और विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हुई. . ." तब वह आज रखी जा रही है। यह सदन कम से कम जुलाई से चल रहा है और जुलाई से अगर रखी गयी होती तो इसकी पूरी जानकारी लोगों को होती, लेकिन आज रखा जा रहा है जब मुश्किल से दो या तीन दिन इस सदन के चलने की सम्भावना और है।

श्री अधिष्ठाता—

आप संक्षिप्त करें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप जितना समय दें. . . .

श्री अधिष्ठाता—

5 मिनट में समाप्त करें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अच्छी बात है। घड़ी को देखकर बात करूंगा। मैं निवेदन कर रहा था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्राविधान जो सर्वाधिक किया गया है, मैं उसके खिलाफ हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको ठीक से देख कर इस सदन के माननीय सदस्य जहाँ तक हो सके इस ऐक्ट में प्राविधान कर सकें।

श्रीमन्, एक और निवेदन करना चाहता हूं, शायद समय की कमी के कारण बात भूल जायं, लेकिन उसको देखते हुए यह बात कह देना चाहता हूं कि यह अधिनियम बन रहा है 19 अधिनियमों को समाप्त करके जो अधिनियम सदन के द्वारा बनाए गए थे।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

मेरा यह निवेदन है कि अगर प्रवर समिति को यह सुपुर्द हो जायगा और उसके स्कोप को बढ़ाने की गुन्जाइश भी रहेगी तो 19 अधिनियमों में से जो भी अच्छी बात लोगों को दिखाई देगी वह प्राविधान भी इस विधेयक में कर दिया जा सकता है। इसलिए भी आवश्यक है।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को आप देखें, तो जिन भावनाओं को माननीय राजस्व मन्त्री जी ने इस सदन में व्यक्त किया है मैं पूरे हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सामयिक विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है। इससे प्रदेश की जनता का बड़ा लाभ होने वाला है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक अच्छा अवसर आप के हाथ आया है, जो काम आप कर रहे हैं उसको आप इस प्रकार करिए कि प्रदेश के किसान आपको और जनता पार्टी को याद करें कि जनता पार्टी के शासन में किसानों को ये-ये राहत मिलीं और अब तक जितनी दिक्कतें उनके लिए पैदा की गयी थीं वह सारी दिक्कतें दूर कर दी गयीं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो उद्देश्य और कारण की बात थी उसमें एक चीज वहीं आ कर पहुंच जाती है कि जब हम किसानों को सुविधा देने के लिए, उनको सरलता-पूर्वक कानून समझने और उसको व्यवहार में लाने के लिए यह विधेयक लाना चाहते हैं और प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसको ठीक करने के लिए विधेयक लाना चाहते हैं तो जाहिर है कि इन बातों पर ठीक से विचार किया जाय और जब उन बातों पर विचार करने की आवश्यकता होगी तो मेरा एक निवेदन है पुनः कि उसमें इस प्रदेश में नए बन्दोबस्त के जरिए टैक्स लगाने का सवाल पैदा हो रहा है तो उसमें यह सम्भावना बढ़ सकती है कि भू-राजस्व की बढ़ोत्तरी भी उस बन्दोबस्त के माध्यम से हो सकती है। कितनी सीमा तक के किसानों का भू-राजस्व बढ़ेगा और कितनी सीमा तक के किसानों का भू-राजस्व नहीं बढ़ेगा यह भी इस विधेयक में साफ होना चाहिए।

इसी सदन में 3.18 एकड़ तक के किसानों की, पक्के 5 बीघे तक के किसानों की मालगुजारी माफ की गयी है और हमारे घोषणा-पत्र में अलाभकर जोतों पर से लगान माफ करने की बात थी जिसके मुताबिक सवा 6 एकड़ तक के किसानों का लगान माफ किया जायगा। अगर एक किस्म में उनका लगान नहीं माफ हो सका तो अगर 5 बीघा तक के किसानों का लगान माफ करना चाहते हैं और 10 बीघा तक के किसानों का लगान माफ नहीं कर सके तो इस विधेयक में साफ किया जाय कि 10 बीघे तक के किसानों के लगान में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की जायगी।

एक और मामला है। आपने जमीन्दारी एबालिशन में वायदा कर रखा है कि 40 साल तक लगान नहीं बढ़ेगा। इसके बाद अगर आप बन्दोबस्त करा कर लगान की बढ़ोत्तरी का प्राविधान उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं तो क्या हश्र होगा। इसमें भूमिधर भी दो प्रकार के होंगे। जो पहले सीरदार कहलाते थे उनका नाम अब भूमिधर किया जा रहा है। प्रत्येक भूमिधर की एक श्रेणी क्यों नहीं? दो श्रेणियाँ क्यों? आप कहेंगे कि एक भूमिधर को खेत बेचने का अधिकार होगा और दूसरे को नहीं। एसा क्यों? जब आपने उसको भूमिधरी राइट दे ही दिया तो उसके बाद आधे मन से यह काम क्यों हो?

इस प्रदेश के सारे भूमिधर एक से माने जायं और उनमें जो दो श्रेणियां बताई गयी हैं उसकी जगह एक प्रकार के भूमिधर रखे जायं।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। गाँव में यह देखने में आता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आबादी में जो भी जबरदस्त होता है वह कब्जा किए रहता है, न तो गाँव का प्रधान कुछ कर पाता है और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। आबादी के चलते अगर थानों में लिखाई गयी रिपोर्ट के आधार पर चलने वाले मुकदमों को आप देखेंगे तो पायेंगे कि उनमें अधिकतर मुकदमें ऐसे होंगे जिनकी जड़ में यह जमीन ही होंगी या पुरानी रंजिश होगी उस आबादी की जड़ में। तो मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में उसके लिए भी कुछ प्राविधान किया जाना चाहिए।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है और उस पर माननीय तोमर जी ने जो संशोधन पेश किया है उससे मैं अपने को भी आबद्ध करता हूं। मैं इसके लिए माननीय राजस्व मन्त्री जी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने जितने भी राजस्व सम्बन्धी विधेयक थे उन सभी को संकलित करके एक राजस्व संहिता विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया है। माननीय मन्त्री जी ने प्रस्ताव किया है कि इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय। मैं समझता हूं कि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। आवश्यकता इस बात की है कि इसको ग्रामीण अंचल में भी प्रचालित किया जाय। जिन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, उन लोगों की भावना भी हमें पता होना चाहिए। उनके सुझाव भी इसमें संकलित जब होंगे तभी यह विधेयक उत्कृष्ट रूप में आ सकेगा।

प्रश्न यह है कि कैसे परिचालित हो। इसके लिए यह हो सकता है कि इसको गाँव सभाओं और क्षेत्र समितियों में भेजा जाय। वहाँ इस पर विचार हो सकता है और उनके सुझाव आ सकते हैं। यह कोई मुश्किल काम नहीं है।

इसमें अगर अधिकतम जोत सीमा विधेयक और चकबन्दी वाले विधेयक को भी शामिल कर लिया जाता तो अधिक अच्छा होता। उन दोनों को बिलकुल छोड़ दिया गया है। उनका समावेश भी इसमें किया जाना चाहिए। जहाँ भी सड़क बनाई जाय या नहर निकले या सामूहिक कार्य के लिए जमीन ली जाय, उसका समावेश चकबन्दी में कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता यह भी है कि इसको इसमें समावेश किया जाय।

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 भी एक है। आज उसकी स्थिति क्या है? उसको भी संशोधित करके इसमें लाना चाहिए। संयुक्त प्रान्त शरणार्थियों को बसाने का भी एक विधेयक पहले बना था। 1948 में एक विधेयक बाढ़ सहायता सम्बन्धी भी बना था। इन सबका समावेश इसमें बहुत आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, इसकी जो धाराएं और उप धाराएं हैं देखें, तो सबसे पहले जैसा कि हमारे और माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है, राजस्व परिषद् की बात मैं कहता हूं, इस सदन में कई बार यह मत प्रकट किया गया है कि राजस्व परिषद् की कोई आवश्यकता नहीं है। जब एक अधिनियम बन रहा है, तो मैं राजस्व मन्त्री जी से माँग करूंगा कि राजस्व परिषद् को समाप्त कर दिया जाय। जब यह प्रवर समिति में जायगा, उसमें इस पर भी विचार हो जायगा, जिस रूप में प्रवर समिति भेजना चाहे, उस पर फिर

[श्री देव बहादुर सिंह]

विचार होगा, इसको और अच्छा बनाने के लिए कि इसमें और क्या अच्छाइयां होनी चाहिए पृष्ठ 13 के अध्याय आठ में गाँव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा भूमि और अन्य सम्पत्तियों का प्रबन्ध दिया हुआ है। उसी के साथ-साथ जो ग्राम आबादी की बात कही गई है, जहाँ पर ग्राम समाज का नियन्त्रण है, उत्तर प्रदेश के सारे गाँव ऐसे नहीं हैं जिसमें ग्राम समाज लागू हो, ग्राम आबादी की जो भूमि है, वह ग्राम समाज के नियम के अनुसार संचालित किया जाय। ऐसा न करके माननीय मन्त्री जी ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 का परिक्षेत्र बढ़ा दिया है।

यह तो ऐसा कानून है जिसमें जैसे सरकार जहाँ समझे किसी आबादी में कि सरकार की भूमि है, वहाँ इस कानून को लागू करके जहाँ पर गरीब अपनी झोपड़ी डालता है या अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का निर्माण करता है, तो इस कानून के तहत उस पर कार्यवाही की जाती है, उस पर हजारों रुपया जुर्माना किया जाता है। तो 19 ऐक्ट जैसे निरस्त किए गये हैं, एक इस ऐक्ट को भी निरस्त किया जाय, तो ग्रामीण जनता को जो सताने की बात है वह भी समाप्त हो जायगी। नैनीताल जिले में मान्यवर, जहाँ पर ग्राम समाज लागू नहीं किया गया है, वहाँ पर दिक्कत यह आ रही है कि वहाँ पर चकबन्दी नहीं की जा रही है। जहाँ पर ग्राम समाज नहीं बना है या लागू नहीं किया गया है, वहाँ पर ग्राम समाज लागू किया जाय।

हमारे जिले नैनीताल में भूमिधर दो प्रकार के हो गए, एक तो वह जो अपनी जमीन हस्तान्तरित कर सकते हैं और दूसरे वे जो अपनी जमीन हस्तान्तरित नहीं कर सकते हैं भूमिधर ने अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन उसकी अमल-दरामद आज तक नहीं हुई। जब यह कानून आ रहा है हमारे सामने तो यह निवेदन करूंगा कि उसकी भी छानबीन करें, कानून में कहीं भी भूल हुई है। उसका भी सुधार हो जाय। उत्तराधिकार का खण्ड इसमें माननीय मन्त्री जी ने दिया है। जो जमीन्दारी अबालीशन ऐक्ट में दिया गया है, वहाँ ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। हमें एक ऐसी मिसाल मिली। एक आदमी के नाम 15 एकड़ भूमि थी। उसके एक लड़का और उसकी बीबी थी। उसका देहावसान हो जाता है, वह भूमि उसके लड़के के नाम हो जाती है। लड़के की मृत्यु 6 महीने बाद हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद भूमि उसकी बीबी के नाम हो जाती है। उसकी बीबी अपने मायके चली जाती है और अब उसकी माँ अनाथ होकर रह जाती है, तो इस अधिनियम में उसका भी समावेश होना चाहिए कि अगर कोई स्त्री के पुत्र के नाम जमीन है और उसका देहावसान हो जाता है, तो उसकी बीबी के साथ-साथ जब माँ के नाम कुछ भी भूमि न हों, तो उसे भी कुछ अंश मिले। मैं सोचता हूं कि यह सब प्रवर समिति के सामने आ जायगा तो माननीय मन्त्री जी सम्भवतः इसको भी अंगीकार करने की कृपा करेंगे।

इसके अलावा और जो छोटे-छोटे विवाद हैं जैसे जमीन्दारी एबोलीशन ऐक्ट की बात है या टीनेंसी ऐक्ट जिसको माननीय मन्त्री जी ने निरस्त कर दिया उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाय जिससे

भावनाएं जो हैं और जो कठिनाइयां है वह सामने आ जायं और तब उसके बाद एक अधिनियम इस सदन के सामने लायें तो मैं समझता हूं कि जो मन्त्री जी का उद्देश्य है वह पूरा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मैं जो माननीय सदस्य कल्पनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राजस्व संहिता का एक नया विधेयक लाया जायगा। लेकिन मैं राजस्व मन्त्री की इस राय से असहमति रखता हूं कि यह विधेयक पूर्णतया जनता पार्टी की भावनाओं के अनुकूल है। श्रीमन्, अभी माननीय सदस्य उदित नारायण शर्मा जी थे, कतिपय त्रुटियों के बारे में मुझसे चर्चा हो रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक, मैं जब राजस्व मन्त्री था, तभी कुछ धाराएं हमारे सामने बन गयी थीं। लगता ऐसा है कि यह विधेयक वर्षों पूर्व से जो सरकारें आयी हैं उनके समक्ष विचाराधीन रहा है और आज माननीय मन्त्री जी को अवसर प्राप्त हुआ है इस विधेयक को सदन के सम्मुख रखने का। श्रीमन्, मैं सम्पूर्ण विधेयक को पढ़ गया। पढ़ने के बाद मेरी निश्चित राय यह हुई कि यह उस व्यक्ति का बनाया हुआ है जिसके जेहन में अंग्रेजी भाषा बैठी हुई है। अंग्रेजी भाषा बैठेगी तो निश्चित रूप से उसमें काफी त्रुटियां होगी। इसका एक उदाहरण आप देखें। धारा–7 में लिखा है :—

'कोई भी व्यक्ति परिषद् का सदस्य नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक 'न कि' तो 'न कि' क्या है। इस प्रकार की अनेक त्रुटियाँ हैं। मालूम होता है कि विचार अंग्रेजी का और कलम हिन्दी की। इसमें अनेकों त्रुटियाँ हैं। मैं चाहूंगा कि यह विधेयक जब प्रवर समिति में जायगा जिसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। माननीय मन्त्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें परिधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है। तो जब यह प्रवर समिति में जायगा तो इसकी त्रुटियाँ दूर हो जायेंगी।

मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग इस सदन में गाँधी जी और लोहिया जी का नाम रोज लिया करते हैं। डाक्टर लोहिया कलेक्टर के पद को समाप्त करने के पक्ष में थे। उन्होंने इसके लिए देश भर का दौरा किया था। उनका कहना था कि यह पद समाप्त कर दिया जाय, क्योंकि अंग्रेजी भाषा और कलेक्टर की भाषा सामन्ती युग, अंग्रेजों की देन है। श्रीमन्, इसके अलावा मैंने विधेयक की धाराओं पर गौर किया। परिभाषा त्रुटिपूर्ण है इससे किसानों का मकसद हल होने वाला नहीं है। पहली परिभाषा जो है उस को देख लें। आबादी या ग्राम आबादी की जो परिभाषा दी गयी है इसके अतिरिक्त कुटुम्ब की जो परिभाषा दी गयी है तो सीलिंग में कुछ और इस ऐक्ट में कुछ और दी गयी है। इसके अलावा मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सीमा निर्धारित करने की बात है, उत्तर प्रदेश में तमाम नदियाँ बहती हैं। एक गाँव और दूसरे गाँव के बीच में बहती हैं, लेकिन सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। आपने इस ऐक्ट में इसको मान लिया है तो निश्चित कोई स्थायी सीमा जो दो राज्यों के रूप में करते हैं उसी तरह अपने वहाँ नदियों के इर्द-गिर्द के जो गाँव हैं उनमें स्थायी सीमा बनाने का इस विधेयक में प्राविधान किया जाय अन्यथा इस समस्या का हल नहीं होने वाला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

मान्यवर, जो मन्त्री जी ने कहा कि सुपरवाइजर को हक दिया, तहसीलदार को दिया, डिप्टी कलेक्टर को कुछ दे दिया लेकिन सुपरवाइजर कानूनगो यदि गलत तरीके से उत्तराधिकार का आदेश कर देता है और तहसीलदार गलत तौर से समझौता करके उत्तराधिकार और दाखिल-खारिज का आदेश कर देता है तो उसके खिलाफ अपील करने का कोई प्राविधान इसमें नहीं है ।

मान्यवर, इसमें जहां बंटवारे का उल्लेख किया गया है उसमें ऐसा लगता है कि यह एक प्रकार का मजाक हो गया है। उसमें कहा गया है । मन्त्री जी देख लें और 115 को आप पढ़ लें। पहले तो जमीन्दारी एबोलीशन में होल्डिंग थी उसको जोत कर दिया। 115-(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी जोत के विभाजन की अनुमति नहीं दी जायगी, यदि उसके परिणामस्वरूप वह कोई टुकड़ा बन जाय। मान्यवर, यह तो होता ही है । हर सूरत में विभाजन तो होगा ही। इस तरह से इसमें गम्भीर त्रुटियां हैं जिनके निवारण का हल जल्दी से नहीं होगा ।

मान्यवर, अब सीरदार कई जगह लिख दिया - तीन केटागेरी हैं—भूमिधर समर्पण आसामी समर्पण और समर्पण के कतिपय मामलों में गांव सभा का कब्जा समझा जाना। इस तरह कई जगह आपने सीरदार शब्द का उल्लेख किया है जबकि उसका कोई भौमिक अधिकार वाला नहीं है। इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 219 जो जमींदारी एबोलीशन की धारा 341 रखा है उसमें था कि सीर क्रिया संहिता, लिमिटेशन ऐक्ट, कोर्ट फीस ऐक्ट और इसके अलावा आर्बीट्रेशन ऐक्ट वह लागू होते हैं। मन्त्री जी ने इसमें केवल 2 को बनाया है—एक तो सीर प्रक्रिया संहिता और दूसरे लिमिटेशन ऐक्ट है। लेकिन यदि कोर्ट फीस ऐक्ट और आर्बीट्रेशन ऐक्ट नहीं होंगे तो लोग कैसे वाद प्रस्तुत करने की दरखवास्त देंगे। इस प्रकार यदि संविधान के नियम लागू नहीं होंगे तो विधेयक में असंगति हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सदन जो कि महत्वपूर्ण सदन है इसलिए यहां एक अच्छे तरीके से इस पर विचार होना चाहिए और यदि सदन की कमेटी चाहे तो जनता पार्टी की भावनाओं के अनुकूल दूसरा विधेयक भी ला दे जो क्रान्तिकारी हो। इसमें देखेंगे कि नदियों का रुख बदलता रहता है। बलिया में बड़ी नदियां गिरती हैं। उत्तर प्रदेश की बाढ़ वहां पहुंचती है तो उसको राजस्व से मुक्त कर देते हैं लेकिन हजारों एकड़ जमीन जो नदियों के कटान से बालू हो जाती है जिसमें कुछ नहीं होता वह राजस्व से मुक्त नहीं है । इसी तरह अंग्रेजों की पद्धति के अनुसार लगान जो वसूल की जाती है वह एक आदमी से अधिकारी वसूल करते हैं। अधिकारी क्या करते हैं। बड़े से घूस ले लेते हैं और छोटे-छोटे गरीब किसान को पकड़ते हैं और जेल भेज देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप संक्षिप्त करें। समय कम है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं खत्म ही कर रहा हूं। इसलिए अगर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व रहे तो किसान अपने अंश को देने का उत्तरदायी होगा और अधिकारियों की दाल नहीं गलेगी। इसी तरह से

अभी तो यह था कि तामीला चस्पा होता था लेकिन अब यह कर दिया घर में छोड़ देगा चाहे उसको भूमि मिले या न मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर पूरी तरह से विचार हो और यदि आवश्यक हो तो नई स्थिति के अनुसार इसको क्रान्तिकारी विधेयक बनाया जाय। फिर यह विधान परिषद में जायगा जहां पर उस पर विचार होगा। कई बार विचार होने के बाद जो विधेयक बनेगा वह ज्यादा अच्छा होगा और किसानों के हित में होगा जो कि जनता पार्टी की आकांक्षा है। अब तक यह होता रहा है कि बार-बार संशोधन होते रहे हैं और यह सब जल्दबाजी का कारण रहा है। इसलिए मन्त्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैंने भी एक संशोधन दिया था लेकिन वह माननीय मन्त्री जी की तरफ से ही हो गया। मैं समझता था कि 19 विधेयकों को समाप्त करने के बाद, रिपील करने के बाद एक ऐक्ट आ रहा है तो यह कोई क्रान्तिकारी और मौजूदा हालात के मुताबिक होगा लेकिन मुझे यह देखकर निराशा हुई कि यह भी पुराने ढर्रे पर जोकि अंग्रेजों के जमाने में कानून बने हुए थे उस पर ही है। जैसाकि अभी चौधरी साहब ने कहा न तो इसमें डा० लोहिया की बात का ही समावेश है और न ही कोई क्रान्तिकारी कानून जमीन के मुताल्लिक इसमें आ रहा है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि प्रवर समिति के सुपुर्द इसको किया जाय। मैं दो-चार बातें कहना चाहता हूं जिससे यह मालूम हो जाय कि यह पुराने ढर्रे पर ही है। परगने को कायम रखने की क्या जरूरत है जबकि तहसील होगी? परगनाधिकारी तो परगनाधिकारी हो गया लेकिन कलेक्टर का नाम कलेक्टर ही रहा, वह जिलाधिकारी क्यों न इस्तेमाल हो? जब इसका नाम परगनाधिकारी हो सकता है तो यह जिलाधिकारी हो सकता था।

इसके अलावा जहां लैण्ड रेवेन्यू का मसला है तो इसमें यह कहीं नहीं है कि जो लैण्ड रेवेन्यू होगा वह समाजवादी व्यवस्था के अनुसार ग्रेडेड लैण्ड टैक्स होगा। हम लगातार उसके लिए कहते रहे हैं। भूमि की जो हद हो उसके मुताबिक होना चाहिए। अलाभकर जोतों पर से मुक्त होना चाहिए और बड़ी-बड़ी जोतों पर उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए।

ट्रान्सफर की बात है। शिड्यूल्ड कास्ट की ट्रान्सफर की परमीशन नहीं होगी। इस ऐक्ट में कहीं नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट का डिक्लेरेशन कहां होगा कि वह शिड्यूल्ड कास्ट है। मिसाल के तौर पर राम सिंह शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी है तो न तो कहीं बयान हल्फी है कोई भी ऐसा प्रोवीजन नहीं है। अंकुश नहीं है जिससे राम सिंह वल्द हरी सिंह जो शिड्यूल्ड कास्ट हैं उसकी भूमि का ट्रान्सफर न हो।

पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात इसमें बहुत जगह की गयी है। पब्लिक इंट्रेस्ट में पेड़ काटने की इजाजत दी जायगी। इसके माने यह हुए कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में लेखपाल चाहे, नायब तहसीलदार चाहे तो पेड़ काटने की इजाजत दे सकता ह अगर वह नहीं चाहता है तो कह सकता है पब्लिक इन्ट्रेस्ट नहीं है। इसमें यह भी किया गया है कि शमशान और कब्रिस्तान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

इस्तेमाल होंगे, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो मौजूदा स्थिति है जहां कब्रिस्तान होंगे उनको कब्रिस्तान न माना गया तो इस प्रकार लिटिगेशन के लिए रास्ता खुल गया कि कब्रिस्तान है या नहीं। इसी तरीके से बाजारों के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं किया गया।

इसी तरीके से सक्सेशन के बारे में भी कई जगह विरोधाभास है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों को देखते हैं तो आज 19 कानूनों को समावेश करके एक कानून बनने जा रहा है लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। इस अध्यादेश का चक-बन्दी और सीलिंग भी एक पार्ट हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। अब इसके लिए अलग से होगा। श्रीमन्, धारा 52 में सरकारी नोटीफिकेशन कई साल तक नहीं होता। लेकिन वह इस पर लागू नहीं होता। वह भी इसका पार्ट बना दिया जाता, तो ज्यादा उचित और अच्छा होता। श्रीमन्, सन् 1970-71 से सारे राजस्व मन्त्री, सारे मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं कि एक रेवेन्यू बोर्ड ऐक्ट आयेगा, बहुत ही रिवोल्यूशनरी, बहुत अच्छा कम्प्रे-हेन्सिव बिल आएगा लेकिन देखने में यह ऐसा नहीं है। वही पुराने सांचे में ढला हुआ है। श्रीमन्, एक शेर याद आता है :—

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का,
जब चीरा तो एक कतराए खूं न निकला।"

इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इसे तफसील के साथ देखने के लिए चारों तरफ से इसमें कमेन्टरी, क्रिटिसिज्म करने के लिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं समझता हूं इस में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे बोर्ड आफ रेवेन्यू का इश्यू है, कमीश्नर की पोस्ट हो या न हो, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से यह जरूरी हो जाता है कि यह प्रवर समिति में जाय। इसलिए मैं जो प्रस्ताव माननीय मन्त्री जी ने रखा है कि प्रवर समिति में जा ही रहा है इसमें यह गुजारिश करूंगा कि प्रवर समिति में ज्यादे से ज्यादे समय इस बिल को मिलना चाहिए और बहस करके फाइनल तरीके से माननीय सदन के समक्ष आए और फिर यह बिल फाइनली पारित हो।

*श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए और इस बात की मांग की कि इस पर और व्यापक विचार कर लिया जाय, जनमत देख लिया जाय और कुछ ऐसे क्रान्तिकारी सुझाव आ सकते हैं जिन से व्यवस्था में और परिवर्तन हो सकते हैं। मेरी इच्छा मान्यवर, यह अवश्य है कि कई बाधाएं हैं लेकिन फिर भी जहां तक गांवों और किसानों का सवाल है खुले दिल से उनकी सेवा करना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि ऐसा विधेयक आए, ऐसा अधिनियम बने जिसमें सभी प्रकार के सुझाव आ सकें और जितने भी आवश्यक परिवर्तन सम्भव हों और जितनी भी मदद सम्भव हो, वह दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो जो यह प्रस्ताव आया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 को जनमत संग्रह के लिए छः मास तक परिचालित किया जाये, मुझे इसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें समय बहुत अधिक डाला गया है और अगर 6 मास का समय इसको दिया जाता है तो जिस मंशा से हम कार्य करना चाहते हैं उसमें कुछ कठिनाई पड़ेगी। इसलिए अगर माननीय सदस्य मेरे सुझाव को स्वीकार कर लें कि जनमत संग्रह के लिए केवल तीन मास के लिए इसे परिचालित किया जाय तो मैं इस पर सहमत हो जाऊंगा कि इसे जनमत संग्रह के लिए परिचालित कर दिया जाय। मैं सभी प्रकार के मत जानना चाहता हूं और सुझाव लेना चाहता हूं। एक व्यापक रूप से, राजनीति से अलग रह कर निष्पक्ष रूप से किसानों का भला किस प्रकार हो सकता है वैसा विधेयक लाना चाहता हूं। अगर माननीय सदस्य मेरे सुझाव से सहमत हैं तो मैं इस संशोधन को स्वीकार कर लूंगा।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मैं सहमत हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं इसमें विधिवत् संशोधन रखना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर का जनमत संग्रह के लिए जो प्रस्ताव है उसमें 6 मास के स्थान पर तीन मास कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत संशोधन में 6 मास के स्थान पर तीन मास कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं अब अपना प्रवर समिति में भेजने वाला संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि श्री कल्पनाथ सिंह को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं श्री सोहनवीर सिंह तोमर के संशोधित संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 को जनमत संग्रह के लिए तीन मास तक परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

श्री सोहनवीर सिंह तोमर का संशोधन स्वीकार हो जाने पर माननीय राजस्व मन्त्री के प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रश्न प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं रहती है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष ने सभी सूचनाएं अस्वीकार कर दी हैं।

कानपुर के दैनिक 'आज' व 'जागरण' के मालिकों व व्यवस्थापकों द्वारा अपने कर्मचारियों के शोषण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों को इस वक्तव्य की प्रतिलिपि नहीं मिली है।

श्री अधिष्ठाता—

मिलनी चाहिए। विलम्ब से प्राप्त हुई। माननीय मन्त्री जी आगे ध्यान रखें।

*श्रम मन्त्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—

दैनिक "आज", कानपुर—इस प्रतिष्ठान में कुल 143 कर्मचारी नियोजित हैं जिनमें पत्रकार कर्मचारी 24 तथा गैर पत्रकार कर्मचारी 119 हैं।

यहाँ के श्रमिकों द्वारा अगस्त, 1977 के प्रथम पक्ष में यह सूचित किया गया कि सेवायोजकों ने सर्वश्री पन्नालाल, अशोक कुमार द्विवेदी, छोटे लाल व राजेन्द्र कुमार को प्रतिष्ठान के बाहर निकाल दिया क्योंकि यह लोग एक श्रमिक संघ बनाना चाहते थे। उक्त श्रमिकों को निकाले जाने के फलस्वरूप उक्त प्रतिष्ठान के 36 कम्पोजीटरों ने 18 अगस्त, 1977 को हड़ताल कर दी परन्तु अन्य कर्मचारी कार्य करते रहे। श्रम विभाग के हस्तक्षेप के फलस्वरूप उक्त श्रमिकों में से 33 श्रमिकों को सेवायोजकों ने 23 अगस्त, 1977 को कार्य पर ले लिया तथा उन्होंने सूचित किया कि अन्य तीन श्रमिक अपने कार्य पर उपस्थित हो जायें। सर्वश्री पन्ना लाल, अशोक कुमार तथा छोटे लाल समय पर उपस्थित नहीं हुए, अतः 22 अगस्त, 1977 से उक्त श्रमिकों को निलम्बित कर दिया गया है इनके सम्बन्ध में जाँच कार्यवाही, 14 अक्तूबर, 1977 को समाप्त हो गयी है लेकिन अन्तिम निर्णय अभी तक सेवायोजकों ने नहीं लिया है।

जहाँ तक पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों को अन्तरिम राहत दिए जाने के सम्बन्ध में जाँच किए गए शासनादेश दिनाँक 11 अप्रैल, 1977 के कार्यान्वयन का प्रश्न है, प्रबन्धकों द्वारा यह सूचना दी गई है कि उनके वाराणसी प्रतिष्ठान में इस सम्बन्ध में जो समझौता हुआ है उसी को कानपुर के प्रतिष्ठान में श्रमिकों की सहमति से लागू कर दिया गया है। जाँच पर पता चला है कि इस प्रकार का कोई समझौता कानपुर में नहीं हुआ है। सेवायोजकों का यह कथन है कि कर्मचारियों की सहमति इस सम्बन्ध में है।

वाराणसी में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार अन्तरिम राहत का 50 प्रतिशत पत्रकार तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों को अगस्त, 1977 से दिया जा रहा है। अप्रैल, 1977 से जुलाई, 1977 तक का बकाया भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायगा। "आज" प्रतिनिधियों द्वारा यह सूचित किया कि अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में जारी किए गए शासना-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश दिनाँक 1 अप्रैल, 1977 के विरुद्ध ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसाइटी, दिल्ली तथा अन्य समाचार-पत्रों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी थी तथा यह दोनों पक्षों में निश्चय हुआ था कि जब तक उक्त याचिका पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक 50 प्रतिशत अन्तरिम सहायता प्रतिष्ठान देती रहेगी तथा उक्त याचिका में अन्तिम निर्णय होने के बाद उसी के अनुसार भुगतान किया जायगा। इस प्रकार कानपुर के प्रतिष्ठान में अगस्त, 1977 से 52 रु0 पत्रकार कर्मचारियों को तथा 25 रु0 गैर-पत्रकार कर्मचारियों को दिया जा रहा है।

दैनिक "जागरण" कानपुर---दैनिक जागरण, कानपुर एक-हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र है, जिसका प्रकाशन मेसर्स जागरण प्रकाशन प्राइवेट लिमिडेड, कानपुर द्वारा किया जाता है। इसमें कुल 226 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 25 पत्रकार तथा 201 गैर-पत्रकार हैं। इनमें से 65 कर्मचारी अस्थायी तथा ट्रेनी पदनाम से कार्यरत है तथा शेष स्थायी है। इन अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के अनुरूप सभी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। सेवायोजकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे इन कर्मचारियों को भी नियमित सुविधायें प्रदान करें।

श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकारों को वेतन मन्डल की अनुशंसाओं के अनुसार 1 अप्रैल, 1977 से अन्तरिम सहायता दिए जाने के बारे में सेवायोजकों तथा जागरण प्रकाशन कर्मचारी संघ के मध्य 1 सितम्बर, 1977 को एक समझौता हो गया था जिसके अनुसार अगस्त, 1977 के वेतन के साथ कर्मचारियों को अन्तरिम राहत का 50 प्रतिशत तथा साथ में अवशेष धन के रूप में अप्रैल, 1977 के उक्त राहत का 50 प्रतिशत तथा इसी प्रकार के आगे के माहों में भी 50 प्रतिशत की दर से अन्तरिम राहत का भुगतान किया जाता रहेगा तथा जुलाई, 1977 तक की अवशेष अन्तरिम राहत का 50 प्रतिशत माह नवम्बर, 1977 के वेतन के साथ भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में सेवायोजकों ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अन्तरिम राहत के सम्बन्ध में जारी की गयी अधिसूचना दिनाँक 1 अप्रैल, 1977 के विरुद्ध रिट याचिका दायर कर दी जो 21 सितम्बर, 1977 को विचारार्थ स्वीकार कर ली गई है। यह याचिका अभी निर्णय हेतु लम्बित है।

जहाँ तक कर्मचारियों का वर्ष 1976-77 के लिए बोनस दिए जाने का प्रश्न है, नियमानुसार फरवरी, 1978 तक बोनस का भुगतान किया जा सकता है। सेवायोजकों ने 8.33 प्रतिशत बोनस का भुगतान करना आरम्भ भी कर दिया है।

प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के लिये प्रमाणित स्थायी आदेशों में 6 आकस्मिक अवकाश, 4 त्योहारों के अवकाश तथा कारखाना अधिनियम के प्राविधान के लागू होने के कारण उसके अन्तर्गत देय उपार्जित अवकाश प्रदान किए जाने का प्राविधान है। सेवायोजक उक्त सभी अवकाश अपने कर्मचारियों को प्रदान कर रहे हैं, किन्तु त्योहारों के अवकाश में उन्होंने 2 राष्ट्रीय अवकाश (15 अगस्त तथा 26 जनवरी) भी सम्मिलित कर लिए हैं। श्रम विभाग द्वारा सेवायोजकों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों को स्थायी आदेशों के अन्तर्गत देय अवकाशों के अलावा उक्त राष्ट्रीय अवकाशों को भी प्रदान करें। सेवायोजक अपने पत्रकार कर्मचारियों को वेतन मन्डल की अनुशन्साओं के

[श्री गणेश दत्त बाजपेयी]

अनुसार अनुमोदित वेतन दे रहे हैं परन्तु गैर-पत्रकारों को समझौते के अनुसार वेतन दिया जा रहा है।

(इस समय 4 बजकर 6 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन : पीठासीन हुए।)

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, क्या उन्हें जानकारी है कि 'जागरण' कर्मचारी संघ ने मालिकान पर श्रमिक कानून के अन्तर्गत मुकदमें दायर कर दिए हैं? और अपने मुकदमे में कर्मचारी नेता पैरवी न कर सकें, इसलिए वर्षों से सेवा कर रहे इस संघ के अध्यक्ष और मन्त्री का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है, इसे देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी उक्त अध्यक्ष और मन्त्री का ट्रान्सफर रुकवाने के लिए कोई व्यवस्था सम्बन्धी आदेश देंगे?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जिनको, यूनियन के प्रेसीडेन्ट, सेक्रेटरी या जिस किसी को भी चूंकि हटा दिया गया है.....

श्री अध्यक्ष—

हटाया नहीं ट्रान्सफर कर दिया गया है।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

अगर उन कर्मचारियों का तबादला प्यूनिटिव है अर्थात् उसे बतौर सजा के किया गया है, तो वह कृपा करके मुझे दरख्वास्त देंगे तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या मन्त्री जी को यह भी मालूम है कि श्रम विभाग ने पत्रकारों के सम्बन्ध में मालिकान को यह आदेश दिए हैं कि श्रम कमिश्नर की अनुमति के बिना उसको हटाया नहीं जा सकता है, तो क्या उसी तरह पत्रकारों के लिए भी सेवा सुरक्षा सम्बन्धी आदेश मन्त्री जी देने की कृपा करेंगे?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जागरण में 65 कर्मचारी ऐसे हैं जो ट्रेनीज हैं, किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार यह संख्या सही नहीं है और वास्तविक संख्या डेढ़ सौ है। इन ट्रेनीज में जमादार और चौकीदार भी हैं, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उनको भी क्या कोई ट्रेनिंग दी जाती है? तथा उनको जो तनख्वाह और एलाउन्स दिया जाता है, वह किन नियमों के अनुसार दिया जाता है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मान्यवर, मैं यही तो जानना चाहता हूं कि जो ट्रेनीज हैं, जिनको कम तनख्वाह मिलती है, उनको किसी तरह की शिकायत है तो श्रम विभाग को दरख्वास्त देने में उनको

कोई स्टाम्प तो लगाना नहीं पड़ता है। मेरे पास कोई चीज आवे, तो देर नहीं लगे। मेरी तो इच्छा है कि मेरे पास नान वर्किंग जर्नलिस्ट्स या एन0 डब्लू0 और वर्किंग जर्नलिस्ट्स की हर प्रकार की प्रार्थनाएं आवें, तो मैं जहाँ तक हो सके उनकी मदद करूं, लेकिन श्रम विभाग के पास लिखित याचिका तो आनी चाहिए। जो 65 की संख्या सही होने की बात नहीं है, तो मैं अपने विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर ही बोल सकता हूं। अगर माननीय सदस्य को सही संख्या मालूम है तो हम फिर से जाँच करवा सकते हैं। यह बात भी सही है कि इन इस्टेब्लिशमेंट में वर्किंग जर्नलिस्ट्स जो श्रमजीवी पत्रकार कहलाते हैं, उनके अलावा जो भी कर्मचारी काम करते हैं, वे गैर-पत्रकार श्रेणी में आवेंगे।

श्री बाबू राम शक्ल—

यह माननीय सदन के समक्ष बात आ गयी है कि जागरण प्रतिष्ठान में ट्रेनीज रखे जाते हैं, तो क्या मन्त्री जी वहाँ से स्वयं जानकारी करके उन्हें इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देने की कृपा करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

सिर्फ जागरण में ही नहीं, जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जहाँ पर भी अनपेड अथवा अन्डर पेड ट्रेनीज हैं, उन सबके बारे में उचित कदम बहुत शीघ्र उठाए जाने वाले हैं।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, दैनिक जागरण 6 स्थानों से निकलता है, जिसके मालिकों ने मिलकर जागरण प्रकाशन लिमिटेड कम्पनी बना लिया है और उसकी आय 2 करोड़ होती है। जो 2 करोड़ आय वाले अखबार होते हैं उनको ए क्लास का मान लिया जाता है और उसके कर्मचारियों को ए क्लास का वेतन मिलता है। लेकिन दैनिक जागरण के कर्मचारियों को 'ए' क्लास का वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को देखते हुए कि इस की आय 2 करोड़ रूपया है तो उसके कर्मचारियो को 'ए' श्रेणी का वेतन दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

आय तो सरकुलेशन पर है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया का एक स्टैन्डर्ड है, उसी के अनुसार हो सकता है।

श्री रमाशंकर कौशिक—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। आप जाँच करा ले। अगर 'ए' क्लास वाला अखबार सिद्ध हो जाये तो क्या माननीय मन्त्री जी उसके कर्मचारियों को 'ए' क्लास वाला वेतन दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

किस पेपर के पास कितना रुपया है उसके आधार पर वह 'ए' क्लास का पेपर नहीं हो जाता है। आधार तो गवर्नमेंट आफ इन्डिया के नोटीफिकेशन के अन्दर दिया गया है। मैं इसकी जाँच करा लूंगा। दैनिक जागरण के आर्थिक वित्तीय केन्द्र हैं तो औद्योगिक विवादों के लिए उनको कम्पनी माना जा सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बयान के दूसरे पृष्ठ पर है कि अन्तरिम सहायता एक अप्रैल, 1977 से लागू की गयी है बीच वाला अभी नहीं दिया गया है। इस पर श्रम विभाग ने क्या कार्यवाही की है और बीच वाला कब दिया जाएगा ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जब तक रिट डिसाईड नहीं हो जाती है तब तक 50 प्रतिशत एडीशनल मिलता रहेगा तो यह पूरा हो जावेगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

जागरण के मालिक श्री नरेन्द्र मोहन और धीरेन्द्र मोहन ने गोरखपुर में एक फोटोग्राफर के पैसा माँगने पर मारा पीटा और जब थाने पर रिपोर्ट लिखायी, तो उसके मालिकों ने लखनऊ में आकर उसको रफा दफा करने के लिए कोशिश किया। गृह सचिव ने गोरखपुर में डी0 आई0 जी0 को एक रेडियो ग्राम भेजा जिसका नम्बर 8103 ख/8/4, दिनाँक 30 अगस्त, 1977 है तो मैं जानना चाहता हूं कि जागरण पर कोई मुकदमा चलाएगे और गृह सचिव तथा मुख्य सचिव ने जो दवाव में आकर जो काम किया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

उनको मेरे बारे में भी यह भ्रम था कि मैने भी कुछ उनके खिलाफ कह दिया। इस के बाद उन्होंने यू0 पी0 के आई0 जी0 को भी लिखा था। उसकी नकल भी मेरें पास भेजी। तब मने उनसे कहा कि आपकी क्या यह भी धारणा है, क्या मेर खिलाफ भी आई0 जी0 को लिखा जा सकता है ? अब उसके बाद से वह पूरा प्रयास मेरे खिलाफ ही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी अपनी सफाई क्यों दे रहे हैं ? आपको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

यह सफाई के सिलसिले में नहीं कह रहा हूं। चूंकि आपने ज्ञापन के बारे में कहा तो मैंने उस मामले की नजाकत का जिक्र कर देना जरूरी समझा।

श्री शतरूद्ध प्रकाश—

जवाब तो दें।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

ज्ञापन पर जाँच करा ली जायेगी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं जानना चाहता हूं कि वाराणसी का अखबार है, इन्होंने अन्तरिम सहायता जो दी है, केवल 50 फीसदी दी है जब कि जिस तरह से उनकी आर्थिक व्यवस्था है उनको पूरा देना चाहिए, वह घाटे का अखबार नहीं है, बल्कि मुनाफे का अखबार है, जैसी

मेरी इत्तिला है, वह पूरा भुगतान कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं और उनको बाध्य क्यों नहीं किया जा रहा है कि कर्मचारियों को पूरा भुगतान दें ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मान्यवर, बाध्यता इसलिए नहीं हो सकती कि वहाँ के कर्मचारियों ने जैसा मैंने निवेदन किया है उनसे समझौता कर लिया है और वह समझौता यह है कि अगर रिट का फैसला श्रमिकों के पक्ष में हो जाता है तो बकाया का 50 परसेंट का भुगतान कर देंगे और 50 परसेंट पेंडेंसी आफ दि रिट तक देते रहेंगे ।

श्री श्यामधर मिश्र--

क्या मैं यह मानूं कि माननीय मन्त्री जी के जवाब से कर्मचारियों को शत-प्रतिशत जितना मिल रहा था और आज के व्यवस्थापक लोग दे रहे थे, लेकिन उन्होंने समझौता कर लिया कि आधा ही लेंगे या मजबूर हो कर ऐसा करना पड़ा ? यह कानून में है और सरकार की आज्ञा है कि शत प्रतिशत दिया जाय। उसमें किसी अनुसन्धान की क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर तो दे चुके। उत्तर यह है कि कोर्ट में मामला है । कोर्ट में फैसला होने तक 50 प्रतिशत दे देंगे और बाकी बाद में फैसला होने पर देंगे ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण के रूप में कहना चाहता हूं। अगर कोई ऐग्रीमेन्ट होता है और श्रमिक आकर श्रम विभाग को नहीं कहते हैं कि समझौता अण्डर ड्युरेशन हुआ तब फिर प्रिन्सिपिल आफ अक्विसेन्स, रजामन्दी का सिद्धांत लागू हो जाता है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन सुविधाएं, सम्बन्धित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के रूप में नहीं दी जा रही हैं और क्या वह आश्वासन देंगे कि आपके निर्देशन के बाद अपेक्षा करें कि सेवायोजक यदि उन सुविधाओं को नहीं देंगे तो उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

इसके लिए कोई अपेक्षा मेरी तरफ से अश्योरेंस की नहीं है। उनको निदेश दे दिये गये हैं। वह वहीं बातों के निर्देश हैं जो कानून वर्कर्स के राइट्स हैं। अगर पालन नहीं होता है, तो निसन्देह उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

सुविधाएं तो बताइए ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मान्यवर, अलग-अलग कानूनों के अन्दर अलग-अलग सुविधायें हैं

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी सुविधाएं हैं मुख्य, जो उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

इसके लिए यह इक्जामिन करना होगा कि जो ट्रेनीज हैं या दूसरे लोग जो स्थायी हैं, उनको छुट्टी की सुविधा, दवा की सुविधा तथा अलग-अलग कानूनों के लिए अलग-अलग सुविधायें किन को देने के लिए मुश्तहक हैं और किन को देने के लिए मुश्तहक नहीं हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मेरी सूचना को सही मानते हुए कि जागरण कानपुर के पत्रकारों से 6 से 8 घन्टे काम लिया जा रहा है और गैर-पत्रकारों से 8 से 10 घंटे काम लिया जा रहा है, इसकी जानकारी करके क्या मन्त्री जी इसके विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

कोई भी कर्मचारी अगर एग्रीव्ड है, जिसको कोई शिकायत है या जो पीड़ित व्यक्ति है कानूनी दृष्टि से, उसको दर्खास्त देनी चाहिए। चूंकि माननीय सदस्य ने यह बात कही है, इसकी तत्काल जांच करा ली जायेगी।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, दैनिक जागरण के विरुद्ध कई गम्भीर आरोप हैं उनको देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी "जागरण" के प्रबन्ध में उनके कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कोई कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसका माननीय मन्त्री जी को कहां अधिकार है ?

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि "जागरण के मालिकों ने अपने कर्मचारियों का शोषण करके लाखों रुपया दबा कर पिछले 3 वर्षों में कई व्यापारिक कम्पनियां खोली हैं, पलाक्स इंडिया लिमिटेड, भाइको मोटर्स लिमिटेड आदि तिलक नगर कानपुर में 18 लाख रुपए का एअर कन्डीशड बंगला बनवाया है ? उनके पास तीन बंगले भी हैं और उन्होंने एक दर्जन मोटर खरीदे हैं तो फिर कर्मचारियों को पूरा पैसा क्यों नहीं देते हैं ? क्या सरकार उनके ऊपर मुकदमा चलायेगी ? और उनका पैसा दिलवाने की व्यवस्था करेगी?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो परिधि से बाहर है। मन्त्री जी को तो आपने इसका अख्तियार भी नहीं दिया है।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर से प्रकाशित दैनिक "आज" वाराणसी से भी प्रकाशित होता है जो कि एक ही श्रृंखला में है, तो दोनों का सर्कुलेशन जोड़ कर उनका पुनः वर्गीकरण करके उनका उच्चीकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

यह तो वही बात हुई। मजदूरों की तरफ से यह मांग आए तो सही कि इन सब को आप एक रखिये तथा उसके अनुसार हम को री-क्लासीफाई करिये। आप पूरी बात सुन लें। फिर भी चूंकि आपने यह बात सुझाई है। इसको तत्काल दिखवा लिया जाएगा और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि "जागरण" अखबार को सूचना विभाग दिल्ली द्वारा "ए" क्लास अखबार के तौर पर ऊंची दरों पर विज्ञापन दिए जाते हैं फिर "ए" क्लास के आधार पर उनके कर्मचारियों को वेतन दिलाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? क्या माननीय मन्त्री जी इस ओर आवश्यक कार्यवाही करेंगे?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

इसके लिए देखना पड़ेगा कि "ए" क्लास के आधार पर जो विज्ञापन दिए जाते हैं तो क्या उसी माप दन्ड के अनुसार वेज बोर्ड द्वारा वेतन बाटने में भी अप्लाई करते हैं या नहीं?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, दैनिक जागरण के मालिकान अपने कर्मचारियों को कानूनन अन्तरिम सहायता देने के बारे में इलाहबाद हाई कौर्ट में मुकदमा हार चुके हैं और हाई कोर्ट यह फैसला दे चुका है कि इन्हें अन्तरिम सहायता दी जाए। लेकिन इसके बाद भी अखबार मालिक अन्तरिम सहायता अपने कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं तो क्या माननीय मन्त्री जी इस दिशा में कोई कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी —

मान्यवर, शीघ्रातिशीघ्र जो भी सम्भव होगा, वह कदम उठाया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कानपुर से जो प्रकाशित अखबार "आज" है वहाँ पर अन्तरिम राहत दिए जाने के बारे में शासनादेश 1 अप्रैल, 1977 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रबन्धकों द्वारा यह सूचना दी गयी कि उनके प्रतिष्ठान में इस सम्बन्ध में जो समझौता हुआ उसको कानपुर के श्रमिकों की सहमति से लागू कर दिया गया है। लेकिन इस प्रकार का कोई समझौता कानपुर में नहीं हुआ। तो क्या इस प्रकार की झूठी सूचना देने पर मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे? और क्या वहाँ पर अन्तरिम भत्ता तत्काल दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

समझौता हमारे यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए और ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन चूंकि एक भी शिकायत नहीं आई तो हम सहमति को मान लेते हैं कि हुआ होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यहाँ पर कहा गया कि जाँच से पता चला कि इस प्रकार का कोई समझौता कानपुर में नहीं हुआ। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो क्या उन कर्मचारियों को अन्तरिम भत्ता दिलाने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि "दैनिक जागरण" के मालिकों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायगी तो क्या इस समाचार पत्र को जो विज्ञापन दिए जाते हैं उनको न दिए जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे कहां पैदा होता है ? उन्होंने यह कहा है कि अगर शिकायत आयेगी और जो लोग पीड़ित होंगे तो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अनुसार कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम अधार—

क्या माननीय मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो विज्ञापन "दैनिक जागरण" को केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार की ओर से दिये जाते हैं, वे बन्द करा दिये जायं, क्या ऐसी कोई योजना सरकार की है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

श्रम विभाग यह कुछ नहीं करेगा।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

"दैनिक जागरण" को जो विज्ञापन दिये जाते हैं वे किस क्लास के होते हैं, "ए" के "बी" के या "सी" के ? और किनसे मिलते हैं ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

इसकी जानकारी करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं से मिलते हैं जिनके कहने से मेरे खिलाफ रोज एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। और वह यह है कि माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था है कि सदन में जो भी उत्तर होंगे, वे सब हिन्दी में ही होंगे लेकिन माननीय श्रम मन्त्री जी, ऐसा लगता है कि, कान्वेन्ट स्कूल के पढ़े हैं और विदेश में शिक्षा पायी है। आज जितने भी उत्तर उन्होंने दिये हैं, उनमें काफी शब्द, पर्याप्त संख्या में अंग्रेजी में मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि आप उन्हें निर्देश दें कि जब कभी वे जवाब दें तो जहाँ पर हिन्दी का शब्द न मिले केवल वहाँ पर ही अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करें। यह सदन की अवमान का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष—

देवनागरी लिपि में कोई भी शब्द लिखा जा सकता है और जो माननीय मन्त्री जी ने अंग्रेजी के शब्द कहें, उन सबका हिन्दीकरण हो गया है।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

मैं संस्कृत में उत्तर दूंगा तब भी ये नहीं समझेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप इनको कानपुरी में ही समझाइए (हंसी)।

राज्य में सीधी भर्ती द्वारा नौकरियों में 15 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

आइटम नं0 22 माननीय हरिजन कल्याण मन्त्री जी ने यह अनुरोध किया है कि आज इस विवाद को स्थगित कर दिया जाय क्योंकि वह परिषद् में हैं। अब जब फिर असेम्बली होगी तब यह लिया जायगा। इसलिए मैंने इसको स्वीकार किया है। आज दो घंटे के लिए वाराणसी के दंगे के सम्बन्ध में मैंने विवाद को स्वीकार किया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह जो अपने स्थगित किया है पिछड़े वर्ग का संरक्षण वाला, यह कब होगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह जब फिर असेम्बली होगी, तब।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या इरादा है ?

श्री अध्यक्ष—

इरादा शाम तक मालूम हो जायगा।

वाराणसी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में चर्चा

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, बनारस में जिस तरह की घटना हुई वह हमारे लिए और प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद घटना रही है। जिस प्रकार से दो प्रतिमाओं के विसर्जन का सवाल दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 को खड़ा हुआ। एक प्रतिमा तो विसर्जित कर दी गयी लेकिन एक प्रतिमा विसर्जित नहीं की जा सकी। 23 को पुनः उस प्रतिमा के विसर्जन करने का प्रश्न खड़ा हुआ। एक विशेष सम्प्रदाय के लोगों द्वारा इस बात का प्रयास किया गया कि वह प्रतिमा उस रास्ते से नहीं जानी चाहिए। विचार विमर्श होता रहा। समझौता भी होता रहा। और उस समझौते के बाद अन्त में यह निर्णय हुआ कि प्रतिमा एक दूसरे रास्ते से जाएगी और जुलूस दूसरे रास्ते से जायगा। उस पर लोग मान गए। लेकिन कुछ समय के पश्चात् पुनः वहां पर जिस सम्प्रदाय के लोगों ने अवरोध उत्पन्न किया था वे पहुंचे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश यादव]

और उन्होंने कहा कि हम इस तरह से जो समझौता हुआ है उसको नहीं मानते हैं। लेकिन जो समझौता हुआ था उसके आधार पर उस रास्ते से प्रतिमा निकालने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। जब वह प्रतिमा और उसके पीछे जो जुलूस था वह ऐसे स्थान पर पहुंचे मदनपुरा के पास जहां पर कोई इस तरह का विवाद नहीं था, वहां पर मकानों की छतों से काफी तेजी से पथराव हुआ और लोगों को चोटें लगीं। कुछ पुलिस के लोगों को भी चोटें लगीं और अन्त में इस बात का प्रयास किया गया अधिकारियों की तरफ से कि किसी भी प्रकार शान्ति-व्यवस्था बनायी जाय। लेकिन भीड़ इतनी उग्र हो गयी, इतनी अधिक संख्या में भीड़ वहां पर पहुंच चुकी थी जिसके कारण वहां पर स्थिति को नियन्त्रण में करना दुरूह होने लगा और जो इस तरह से कई लोगों को चोटें आयीं और फायरिंग भी उस तरफ से हुई और उस फायरिंग के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति जो पास ही की गली में सामने की तरफ ऊपर छत पर था उसको गोली लगी और वह मर गया। तत्पश्चात् स्थिति को नियन्त्रण में लाने के लिए पुलिस को भी पहले लाठी-चार्ज करना पड़ा और जब लाठी चार्ज से स्थिति नियन्त्रण में नहीं आयी तो फिर फायरिंग करने की स्थिति आयी।

इस सारी घटना के सम्बन्ध में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस भी तरह से यह घटना हुई आगे जाने के बाद कुछ सिनेमाघरों के सामने भी कुछ छुरेबाजी की घटनायें हुईं। तीन घटनायें तो ऐसी हो गयीं जिनसे लोग मरे, चाकू से जो एक दूसरे के ऊपर प्रहार हुए उसमें और 5 आदमियों की मौतें फायरिंग से हुई। लेकिन पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट से तो ऐसा लगता ह कि दो व्यक्तियों की मृत्यु तो गोली से हुई और बाकी लोगों के जो चोटें उससे ऐसा लगता है कि पुलिस फायरिंग से नहीं चोटें लगीं और इस मामले को लेकर उत्तेजना बढ़ती गयी और फिर शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करफ्यू लगा दिया गया।

नक कटेया के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने यह समझा कि अगर नक कटेया से जुलूस निकलता है तो हो सकता है कि स्थिति नियन्त्रण में न आए। शान्ति व्यवस्था बनाए रखन के लिए वहां की रामलीला कमेटी से भी वार्तालाप शुरू हुई और उनसे बातचीत के बाद यह तय हुआ कि जुलूस एक मील तक ही रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। उसी के अन्दर सारी, सजावट आदि रहेगी और वह जुलूस दूसरे रास्ते से नहीं जाएगा। सारी तैयारी हो गयी थीं, लेकिन फिर कुछ लोग नककटैया थाने में पहुंचे और यह कहा कि रामलीला कमेटी के सदस्यों से जो समझौता हुआ हैं, उसको वे लोग मानने को तैयार नहीं हैं। उस पर शासन के अधिकारियों का ध्यान गया और विचार करने के बाद सारी स्थिति को देखते हुए, यह भी देखते हुए कि वे लोग इस बात पर तुले हुए थे कि जुलूस निकलेगा, जुलूस को न निकालने की इजाजत दी गयी ताकि शान्ति व्यवस्था भंग न होने पाए।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल में भरती कराया गया। ऐसे 68 व्यक्ति थे जो घायल थे। यह आदेश दिया गया कि उनके उपचार में किसी भी तरह की कोई कमी न रखी जाए और किसी की भी मृत्यु उपचार

की कमी के कारण न होने पाए। घटना की सूचना मिलने के बाद मैं गया भी और अस्पताल में जाकर उनको देखा भी। जो भी सहायता सम्भव हो सकती थी, मैंने दी, डाक्टरों को निर्देश दिया गया कि उपचार में कोई कमी न रहने पाए। यह भी कहा गया कि जो साधन उपलब्ध नहीं हैं वे भी उपलब्ध कराए जायं और किसी की भी जान को खतरा उपचार की कमी के कारण न होने पाए।

मान्यवर, इस तरह की जो घटना बनारस में हुई, वह दुखद थी। जो लोग मरे थे उनके लिए भी सहायता की घोषणा की गयी। उनको 5–5 हजार रुपए दिए गए। घायलों को भी ढाई हजार से 1 हजार तक दिए जाने की घोषणा की। अधिकारियों ने कर्फ्यू का जो निर्णय लिया है वहाँ की स्थिति को देख कर ही किया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि शान्ति और व्यवस्था के नाम पर अगर कुछ लोग गड़बड़ी मचाना चाहते हैं तो प्रशासन के अधिकारी उनको माफ नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी ही पड़ती है। इस तरह की घटना के पीछे वहाँ के कुछ ऐसे लोगों का हाथ रहा है जो सत्ता में नहीं हैं।

मान्यवर, जो इस तरह की स्थिति वहाँ पर हुई, उस पर विचार करने के बाद तथा जन भावनाओं का आदर करते हुए मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि सारी घटना की जांच जुडिशियल आधार पर होगी। इसके साथ ही, लखनऊ की स्थिति के पश्चात्, कानपुर में भी जो इस तरह की घटना हुई उसकी भी जुडिशियल जाँच करायी जाएगी। लखनऊ के सम्बन्ध में जो न्यायाधीश जाँच कर रहे हैं उनके द्वारा कानपुर की घटना की भी जाँच कराने की मैं घोषणा करता हूं। मैं समझता हूं कि जिन भावनाओं को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं, शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी भावनाएं आप लोगों के दिलों में हैं, उसी को देखते हुए मैंने इन दोनों घटनाओं की जाँच न्यायाधीश द्वारा कराने की घोषणा की है। आप सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि इसकी आँच दूसरी जगह न आने पाए। इसमें हमारी सहायता करना आप सब का कर्त्तव्य है। अगर अराजक तत्वों को प्रश्रय किसी भी कीमत पर मिलता है तो वह प्रदेश के लिए और देश के लिए अहितकर होगा। इन शब्दों के साथ मैं जुडिशियल इन्क्वायरी कराने की घोषणा करता हूं और यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदस्यों के लिए 10-10 मिनट का समय निश्चत करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक तो राहत हम लोगों को दिया यह और खुशी है। जो न्यायिक जाँच की बात चारों तरफ हो रही थी, उसको उन्होंने मान लिया, हम उससे बड़े खुश हैं; इस माने में कि उसके प्रति हमें बहुत तर्क-वितर्क न करना पड़ेगा, क्योंकि वाराणसी में दंगा हुआ, 23 को शुरू हुआ और आज तक कर्फ्यू लगा है। 23 को बहुत बड़ा दंगा हुआ, 24 को हुआ। थोड़े-थोड़े छुट-पुट इधर-उधर होते रहे, अभी भी मानसिक विकार बाकी है। नककटैया वहाँ जो बहुत बड़ा मेला होता है, जलूस नहीं निकला और कल पूरी हड़ताल थी बनारस में और लोगों को असन्तोष हुआ कि जुलूस नहीं निकल पाया।

[श्री श्यामधर मिश्र]

श्रीमन्, चूंकि जुडिशियल इन्क्वायरी अब होगी, मैं यह रखना चाहता हूं आपके सामने और सदन के सामने आपके जरिए, वह यह रखना चाहता हूं कि न्यायिक जाँच में तीन-चार मुद्दे रखने होंगे, जो मैं रख रहा हूं, वह यह है कि अगर शासन चुस्त होता, तो शायद यह घटना न होती। 22 तारीख को यह मालूम हो गया था कि इस तरह से कुछ अप्रिय बातें वहाँ चल रही हैं वहाँ एक तो पुलिस थी, एक मूर्ति का विसर्जन हो गया था और एक मूर्ति नहीं जा सकी थी, वहाँ की पुलिस को मालूम हो गया था और इसकी चर्चा चल पड़ी थी, 22 की रात बीती, 23 का दिन बीता, 23 की पूरी शाम को 8 घंटे की पंचायत के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अधिकारी और विधायकगण एक तो बैठ कर 9 घंटे पंचायत की और पंचायत में निकला क्या ? मुख्य मन्त्री जी ने तो बताया, उनकी जानकारी है, वे गए लेकिन मैं भी गया वहाँ पर, वें एक दिन गए थे मैं चार दिन गया। मेरी जानकारी यह है कि कुछ लोगों ने एक वर्ग से कहा कि यह रास्ता जायगा, दूसरे वर्ग ने कहा यह रास्ता नहीं जायगा। तो क्या यह बात सही है कि ऐसा कहा ? इसकी भी जांच होनी चाहिए।

जो वक्तव्य माननीय मन्त्री जी ने दिया माननीय मुख्य मन्त्री जी गए, बड़ी उनकी कृपा, केन्द्र के मन्त्री गए, बड़ी उनकी कृपा। माननीय शाही जी गए, 8-9 मन्त्री गए, मैंने कहा था कि नवग्रह गया, मैंने क्यों कहा ? जाकर उन्होंने विवाद वहां पर खड़ा कर दिया। क्या कहा इसके पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह कहा गया कि सनमार्ग मेरा पत्र है। यह ऐसा अखबार है जिसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के पक्ष में कदापि है। यह एक ऐसा अखबार है जोकि बिलकुल कांग्रेस के पक्ष में नहीं, यह तो नहीं कहता कि विपक्ष में बोलता है। . . . . . .

श्री राम नरेश यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब जुडिशियल इन्क्वायरी (न्यायिक जाँच) की घोषणा मैंने कर दी और वह केवल इसलिए कि सारी वस्तु स्थिति सामने आ जाय तो अब मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि फिर बहस के लिए और अधिक चर्चा की गुंजाइश मेरी दृष्टि में नहीं दिखाई पड़ती है। क्योंकि पुनः इस मामले को उठाना और फिर से इसको बाहर ले जाना यह मैं समझता हूं कि शान्ति और व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि वह चर्चा जितने ही कम समय में समाप्त हो सके, उतना ही अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा विषय जो न्यायिक जाँच के सामने विचाराधीन हो कृपया उस पर कोई राय न दें।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि 26 तारीख के सन्मार्ग में लिखा है "आम चर्चा नगर में यही है कि यदि नगर के प्रशासनिक अधिकारियों ने थोड़ी भी सूझबूझ तथा तैयारी के साथ कोई कदम उठाया होता, तो लगभग पौन दर्जन व्यक्तियों के प्राण न जाते और सत्तर अस्सी आदमी घायल न होते।" तो श्रीमन्, यह 26 तारीख के सन्मार्ग में छपा है। इसी तरह के जनवार्ता, जय देश में छपा है। श्रीमन्, एक बात

और कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी स्वयं गए थे। हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। 28 अक्तूबर के अखबार में आया है। 'आज' अखबार में आया है कि "कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी को मुख्य मन्त्री की कड़ी फटकार", तो फटकार किया तो मानलेता हूं। इसमें यही किया है।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

क्या है ?

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मान्यवर, अभी 2 घंटे की चर्चा के लिए इस विषय पर समय निर्धारित हुआ। मुख्य मन्त्री जी ने इस महत्वपूर्ण विषय पर की गम्भीरता को देखते हुए, पहले ही माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए एक इन्क्वायरी की घोषणा कर दी। अब माननीय मिश्रा जी अखबार की कटिंग पर बोल रहे थे। आपने निर्देश दिया था कि इन्क्वायरी की जायगी। इसलिए माननीय सदस्य अपनी चर्चा में उन चीजों को न कहें। तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि इस सदन में सारे लोगों के भाषण के बाद मुख्य मन्त्री जी घोषणा करते, तो उन्होंने पूर्व ही कर दिया : सारे, लोगों के बाद घोषणा करनी चाहिए थी। चूंकि उन्होंने पूर्व ही कर दी तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जो स्थिति पैदा हुई है उसका बहुत से लोग चित्रण करेंगे, जो जाँच के लिए घोषणा किया है, तो उन चीजों की छुयेंगे, उधेड़बुन कर कहेंगे तो उससे जाँच पर असर पड़ेगा या नहीं इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरिकेवल जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, सही बात तो यह है कि न्यायिक जाँच की घोषणा के बाद माननीय सदस्यों को स्वयं ही संयम और नियन्त्रण से काम लेना चाहिए। लेकिन मैं इस चर्चा को रोक नहीं सकता हूं।जो घटनायें घटीं हैं उन पर कोई अपनी राय न दें और न किसी पर दोषारोपण करें। न यह कहें कि इसमें शासन का दोष था या किसी सम्प्रदाय का दोष था। जो घटनायें घटीं, जैसी घटीं हैं, वहां जुलूस निकला, कितने आदमी मरे, क्या हुआ तो सारे तथ्यों के बारे में ही जानकारी दे सकते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, बड़ा ही अच्छा होता कि मुख्य मन्त्री जी पहले जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा कर देते।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यदि कोई अपनी राय जाहिर की है तो वह राय भी न्यायिक जाँच के सामने आ जाएगी कि उनकी राय गलत है या सही उसका स्वयं जज निर्णय दे देंगे। और प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य को न्यायालय के सामने पेश कर सकें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। मेरा प्रश्न यह है कि अभी न्यायिक जाँच की घोषणा मुख्य मन्त्री जी ने की थी लेकिन कोई टर्म्स आफ रेफरेंस की घोषणा नहीं थी, न जज नियुक्त हुए हैं और अभी पोजीशन ज्यों की त्यों है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी ज्यादा उत्तेजनापूर्ण बात न कही जाय ताकि प्रदेश में और ज्यादा दूषित वातावरण पैदा न हो। इसके अलावा तथ्यों के बारे में, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यकलाप के बारे में तो यह बात हो सकती है कि जब तक जज की नियुक्ति और टर्म्स आफ रेफरेंस न बन जाते तब तक इस घोषणा से न्यायिक जाँच नहीं हो जाती। इसलिए मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष —

मैंने आपके ऊपर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। मैंने कहा है कि आप स्वयं अपने विवेक से अपने पर नियन्त्रण रखें। मैंने विवाद को अभी समाप्त नहीं किया है।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, बड़ी कृपा होगी यदि मुख्य मन्त्री जी बता दें कि हाई कोर्ट के जज नियुक्त हो रहे हैं और क्या टर्म्स आफ रेफरेन्स होंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने घोषणा की और टर्म्स आफ रेफेरेन्स आप जानते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, 28 अक्तूबर को मुख्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया कि कांग्रेस वाले और राजनीतिक लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। स्वास्थ्य मन्त्री, केन्द्रीय मन्त्री वहाँ गए और कहा कि साम्प्रदायिक दंगा है नहीं, साम्प्रदायिक सा दंगा है। तो यह कौन सा दंगा होता है ? उन्होंने कहा कि गोली से नहीं मरे पुलिस के छर्रे से मरे होंगे। तो अभी तक हम इन दोनों में मतभेद नहीं पा सके हैं। मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि 2 व्यक्ति मरे सिपाहियों की गोली से। तो मान्यवर, हमें गोली और छर्रे में कोई फर्क नहीं मालूम होता। उन्होंने वक्तव्य दिया गोली से नहीं मरे, छर्रे से मरे। इस तरह के वक्तव्य आयें तो जुडिशियल इन्क्वायरी तो होनी ही चाहिए थी। पहले ही मान लेते तो बड़ी कृपा होती।

मान्यवर, हम लोगों का आरोप है कि इसके पीछे आपका कमजोर शासन इस उपद्रव के पीछे जनता पार्टी का आर० एस०एस० घटक है। इसके पीछे आपके लोग हैं .....

(व्यवधान) (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)।

एक सदस्य—

पागल हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें। आप लोग शाँत रहें। (व्यवधान)।

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि आपने आदेश दिया था कि कोई भी, किसी भी संगठन के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएगा। फिर भी श्री मिश्र जो कि हमारे अपोजीशन के डिप्टी लीडर हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य संगठनों तथा जनता पार्टी के ऊपर सीधा आरोप लगाया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और माननीय सदस्य को सदन के बाहर निकालना चाहिए। वह अपने वक्तव्य को वापस लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। आप लोग शांत रहें।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं लगा रहा हूं। आर० एस० एस० ने किया है। इसकी जांच होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप शान्त रहें।

श्री राजनाथ सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय उपनेता विरोधी दल अपने शब्द वापस लें।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने कहा कि प्रत्येक सदस्य स्वयं विवेक से काम लें। जो आरोप हैं उनकी न्यायिक जाँच की जायगी। जब आप आरोप लगाते हैं तो दूसरे को भी सुनना चाहिए। माननीय शतरुद्र जी।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह केवल आरोप लगायेंगे और सुनेंगे नहीं।

श्री राजनाथ सिंह—

आपने ही अभी व्यवस्था दी थी कि कोई एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाएगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। श्री श्यामधर जी आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री श्यामधर मिश्र—

कैसे अपनी बात कहूं ? यह बोलने ही नहीं देते। जो दुर्दशा हुई वह कह रहा हूं। सिनेमा घरों में कर्फ्यू लगा। हम उम्मीद करते थे कि सिनेमा छूटने के बाद लोगों की रक्षा की व्यवस्था होगी। लेकिन लोग पकड़े गए और उनकी दुर्दशा हुई। किसी सम्प्रदाय का नाम नहीं ले रहा हूं। आप पता लगावें। अस्पताल के बाहर दो-तीन व्यक्ति मारे गए। आरोप लगाना बहुत सरल है। आरोप सुनने की भी शक्ति होनी चाहिए। चाहे मुख्य मन्त्री जी हों या कोई हो। जब जुडिशियल इन्क्वायरी होगी तो उसमें इसके लिए तैयार रहें।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई दूंगा कि बनारस में जो कत्लेआम हुआ उसकी न्यायिक जाँच कराने की उन्होंने घोषणा की।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह झगड़े का कारण है। बोलकर क्या करेंगे ?

एक सदस्य—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें। आप लोग बैठिए नहीं तो मैं सदन स्थगित कर दूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह प्रोसीडिंग्स का भाग नहीं होगा। आप लोग बिना इजाजत नहीं बोलेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह प्रोसीडिंग्स का भाग नहीं होगा।

***श्री शतरुद्र प्रकाश**—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने न्यायिक जाँच की घोषणा की है। श्यामधर जी ने और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने भी यह माँग की थी। हम लोग भी इस राय के थे और बनारस में शायद हम पहले लोग थे जिन्होंने न्यायिक जाँच की माँग की थी। मैं समझता हूं कि जनता पार्टी के लिए और हमारी सरकार के लिए फख्र की बात है कि जहाँ जहाँ सूबे में गोली चली है और इस तरह दंगे हो रहे हैं उनकी उन्होंने न्यायिक जाँच कराई है। यह ठीक है। विपक्ष की माँग सही है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि बेहतर होता अगर काँग्रेस की सरकार ने तुर्कमान गेट में जो गोली चली ... (शोर) या और भी कहीं गोली चली उसकी भी न्यायिक जाँच करायी होती ? मान्यवर, मेरी एक निश्चित राय है .... (शोर)

श्री अध्यक्ष—

शांत रहिए। आप क्यों नहीं सुनना चाहते हैं ?

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर)

आप बैठ जाइए। बिना इजाजत क्यों खड़े होते हैं ?

नोट—[XXX] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, इस के माने यह हुए कि कांग्रेस ने गलती की हम उससे ज्यादा गलती करेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं श्यामधर मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि जब वे बोल रहे थे मैं बहुत शांत था। उन्होंने बहुत उकसाया। अगर यह बात है तो कोई बोल नहीं पाएगा यह अच्छा नहीं होगा..... (शोर)

श्री अध्यक्ष—

शांत रहिए।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

परम्परा अच्छी नहीं रहेगी। माननीय नेता विरोधी दल यहां बैठे हैं। अगर हमारे बोलने पर आपत्ति होगी और विचार प्रकट करने पर रोक लगायी जायगी तो प्रतिक्रिया हमारी तरफ से भी हो सकती है। यह अच्छा नहीं होगा (शोर) श्यामधर जी आप यह समझते हैं कि यहां के लोगों को बोलने नहीं दिया जायगा तो यह हो नहीं पाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात कड़ुवी आपको लगती है...

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बार-बार व्यवधान न डालें। (शोर) आप शांत रहें। कम से कम थोड़ा संयम से काम लीजिए।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं। पिछली सरकार ने जो मुजफ्फरनगर में गोली चली उसकी न्यायिक जाँच कराई होती, सूबे में और जगह गोली चली पिछली सरकार ने उस की न्यायिक जाँच कराई होती, लेकिन श्रीमन्, पिछली सरकार ने क्या न्यायिक जाँच कराई; आप को शुक्रगुजार होना चाहिए जनता सरकार का जिस ने न्यायिक जाँच कराई..... (शोर)...

एक सदस्य—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप व्यवधान डाल रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है। आप बैठिए। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठिए। मैं खड़ा हूं। मैं यह कह रहा हूं श्याम धर जी ने अपना भाषण दिया इधर से व्यवधान डाला, मैंने रोका। श्री शतरुद्र प्रकाश एक बात कह रहे हैं तुर्कमान गेट की, मुजफ्फरनगर की तो आप लोग क्यों उत्तेजित होते हैं। एक सिद्धान्त का सवाल है। उनका कहना है-यह कि आप बार-बार यह कहते हैं कि न्यायिक जाँच हो। उनका कहना यह है कि जनत सरकार न्यायिक जाँच करके एक प्रिन्सिपुल अमल में लायी। आप इन का भाषण सुनिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, जो लोग पैदाइश के आधार पर द्वेष और नफरत फैलाते हैं....

(श्री राज किशोर तिवारी के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

राज किशोर जी, यह अत्यन्त अनुचित है कि बार-बार आप व्यवधान डालें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

शायद बनारस के इतिहास को नहीं मालूम है। बनारस के बारे में यह कहा गया है कि यह विद्वानों की राजधानी है। काशी विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ है और संस्कृत विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय परम्परा का उदय और केन्द्र काशी विद्यापीठ है और दुनिया की तमाम शक्तियों का केन्द्र काशी विश्वविद्यालय है और संस्कृत विश्वविद्यालय भी परम्परा से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, सच ही कहा गया है कि तीनों लोक से न्यारी काशी है। यहाँ पर हर तरह की तहजीव मिलती है।..

श्री अध्यक्ष—

काशी का गुणगान ही करते रहेंगे तो सारा समय इसी में चला जायगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मुझे बड़ा अफसोस है कि 22 तारीख तथा 23 तारीख को जो घटना घटी उससे बनारस के लोगों पर चोट पहुंचती है। जैसा मुख्य मन्त्री जी ने कहा 22 तारीख को एक मूर्ति का विसर्जन किया गया और 23 को भी एक मूर्ति के विसर्जन को ले कर विवाद हुआ। मान्यवर, बदकिस्मती या खुशकिस्मती कहिए 23 को मैं भी घटना स्थल पर मौजूद था। न्यायिक जाँच करने की जो घोषणा मुख्य मन्त्री जी ने की उससे एक बात साफ हो जावेगी कि मूर्ति दो थीं या एक थी और जिस रास्ते से मूर्ति को ले जाना था उस रास्ते पर विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, मूर्ति का मार्ग कौन सा था और कौन सा होना चाहिए, यह भी तय हो जायगा।

एक बात मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा समझौता खुद वापस ले लिया गया। समझौते को किसी ने माना नहीं ऐसी बात नहीं है और जो बात तय हुई उसके मुताबिक काम हुआ। सड़क पर जो हिंसा हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है, खास कर उस आरोप का शिकार मैं ही हूं कि मैं समझौता वार्ता चला रहा था। नारायण दत्त तिवारी जी जब 28 तारीख को बनारस गए थे तो उन्होंने बातचीत की थी और यह आरोप लगाया था कि वाराणसी में हाल में हुआ दंगा प्रशासन में जनता पार्टी के नेताओं के अनुचित हस्तक्षेप का परिणाम है। तिवारी जी बुजुर्ग है। मैं उनकी इज्जत करता हूं। वह नेता विरोधी दल की हैसियत से वहाँ गए थे, वहाँ जा कर उन्होंने अपने फर्ज को पूरा किया लेकिन उनका यह जो बयान आया तो उसको पढ़ कर मैं ही नहीं बहुत से लोग सकपका गए और आश्चर्यचकित हो गए। जनता पार्टी के विधायक का जाना और किसी मसले को बातचीत से तय करना कुछ लोगों को बुरा लगा। मेरी निश्चित राय है और जहां तक मैं कह सकता हूं जनता पार्टी की निश्चित राय है कि दुनिया में टेढ़े से टेढ़ा सवाल और बड़े से बड़ा सवाल बातचीत से ही हल हो सकता है, लाठी तथा गोली से तय नहीं हुआ

करता। इसीलिए बातचीत वहां की जा रही थी कि दोनों सम्प्रदाय के लोगों को मिल कर रहना है। यह सांस्कृतिक चीज है।

देवनाथपुरा के लोग मदनपुरा जो मुसलमानी इलाका है, से हो कर जाते हैं और मदनपुरा के लोग देवनाथ पुरा हिन्दू इलाके से ही कर जाते हैं। इस तरह दोनों को मिल कर रहना है। झगड़े से कोई बात तय नहीं होती, हर बात समझौते से तय होती है इसके लिए प्रयास किया जा रहा था।. बातचीत करने के पहले वहां लाठी चलाई जाती अथवा कुछ लोगों को मीसा जैसी धारा में गिरफ्तार करके बन्द किया जाता तो यह चीज मेरे मित्रों को ही मुबारक हो। जनता पार्टी की सरकार यह काम नहीं करेगी। जनता पार्टी की सरकार का विश्वास जनतन्त्र में है और जनतांत्रिक तरीका आपसी बातचीत और वार्ता है। अब अगर जनता पार्टी का विधायक या कोई नेता वहां जाता है और कोई समस्या अगर उलझी हो उसके लिए बातचीत करना प्रशासन में हस्तक्षेप है।

माननीय नेता विरोधी दल के शब्दों में तो 19 महीने संजय गांधी जो किसी पद पर नहीं थे उनके इशारे पर जो सूबे की सरकार चलती रही और उन्होंने जो इससे बढ़ कर हस्तक्षेप तथा मनमानी की तो उसके लिये उनका क्या नैतिक अधिकार था। यही नहीं हुआ। तिवारी जी चले आए तो कुछ लोगों ने मांग-पत्र दिया। तिवारी जी ने बताया कि वह इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी से बातचीत करेंगे और यह भी कहा कि कोई प्रेम शंकर ने उनको दंगे के बारे में पत्र दिया था। और उस समय आपके साथ आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी थे। उस विषय को आपने विधान सभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने का आश्वासन भी दिया था। किन्तु आपने वह अभी तक नहीं उठाया है। हो सकता है इसके बाद आप उसे रखें।

दो सम्प्रदाय के लोग नासमझी में लड़ रहे थे, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा था। बहुत कुछ बात शांत भी हो चुकी थी। किन्तु बहुत अफसोश है कि यह बात सामने आ गई। 30 तारीख को वहां पर यह घटना हो गई। चेतगंज में नक्कटैया में जो रामलीला होती है वहीं पर यह घटना हुई जो कि एक सांस्कृतिक घटना है। इसकी सूचना मुख्य मन्त्री जी को दे दी गई थी। वहां के प्रशासन को यह बताया गया कि चेतगंज की जो नक्कटैया रामलीला होती है ....(व्यवधान)। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे घोषणा करें कि 30 तारीख को नक्कटैया में जो लीला होने वाली थी जिसमें लगभग 2 लाख लोग भाग लेते हैं, करवा चौथ के दिन यह लीला होती है जब कि औरतें अपने सुहाग और पति की सुरक्षा के लिये व्रत आदि रखती है, उसी उपलक्ष में यह रामलीला उस दिन वहां होती है। जिलाधिकारी और कमिश्नर से कहा गया किन्तु इसके बावजूद भी बात टलती गई। यह भी बताया गया कि किसी भी मुसलमान को नक्कटैया निकालने में कोई ऐतराज नहीं है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

समाप्त कीजिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय बनारस की सारी रामलीलायें स्थगित कर दी गई हैं। 31 तारीख को बनारस बन्द रहा और एक भी दुकान बनारस

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]
में नहीं खुली। लोगों ने एक तरीके से अपना शान्तिपूर्ण विरोध प्रकट किया। वहां पर दो अधिकारी ऐसे हैं जो इस सम्प्रदाय में एकता नहीं होने देना चाहते हैं। वहां पर ये अधिकारी साम्प्रदायिक तनाव उपस्थित कर रहे हैं। लखनऊ के एक अतिरिक्त उप पुलिस महा निरीक्षक हैं शाह .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री शतरूद्ध प्रकाश—

मैं अपनी बात पूरी बता दूं। दूसरे व्यक्ति जो हैं वें एस0 पी0 पांडे हैं जो कि बनारस के आयुक्त हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे हाथ में जिले का प्रशासन नहीं है। यह बड़े ताज्जुब की बात है। जिलाधिकारी ने कहा कि शाह साहब के हाथ में सारी व्यवस्था है।.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया समाप्त करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस में क्या रामलीला हो पाएगी या नहीं? बनारस के लोगों की यह मांग है कि ए0 आई0 जी0 जो वहां पर गए हुए हैं उनको तत्काल बनारस से वापस बुला लिया जाय और दूसरे एस0 पी0 पांडे हैं उन्हें भी फौरन वापस बुला लिया जाय .... (घोर व्यवधान)।

श्री ऊदल—

मान्यवर, बनारस में जो घटना हुई वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्गापूजा के अवसर पर कभी भी मेरी जानकारी में इस तरह की बात नहीं हुई। कई घटनायें हो चुकी हैं पर दुर्गापूजा पर नहीं हुईं। सन् 1967 में दंगा हुआ दूसरे साम्प्रदायिक दंगे हुए लेकिन दुर्गापूजा का ही अवसर ऐसा है जिसमें कभी भी कोई साम्प्रदायिक झगड़ा मेरी जानकारी में नहीं हुआ। आज यह हमारे प्रदेश और देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गयी। श्रीमन्, आप जानते हैं बनारस में 22 तारीख को ही मूर्ति विसर्जन का काम मुख्य रूप से हुआ। देवनाथ पुरा में एक मूर्ति को लेकर 22 तारीख को विवाद का पता चला तीन चार बजे यह शुरू हो गया था क्योंकि तीन चार बजे मूर्ति निकलनी शुरू हो जाती हैं। इस बात को जानकारी जिला प्रशासन को हो गई थी इस मसले को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन ने ध्यान ठीक से नहीं दिया और श्रीमन्, 24 घंटे बीत जाने के बाद 23 अक्तूबर को जब विवाद चरम सीमा पर पहुंच गया तो तीन चार बजे जिला प्रशासन ने ध्यान दिया और सुनने में यह भी आया कि रास्ते को लेकर कोई निश्चित राय नहीं बतायी गयी बल्कि अलग-अलग राय एक सम्प्रदाय तथा दूसरे सम्प्रदायों को दी। एक को दूसरा रास्ता बताते हैं और दूसरे को दूसरा रास्ता। इसी में वह उलझे रहे और यह हालत पैदा हो गई। कि गोली चलाने की नौबत आई। श्रीमन्, उस दिन आंसू गैस के गोले छोड़े गये और गोलियां भी चलीं।

माननीय मुख्य मन्त्री जी का कथन सही है जिससे मैं भी सहमत हूं कि छतों से ढेले फेंके गये, सोडा वाटर की बोतलें फेंकी गईं, गोलियां भी चलीं। यह भी मुझे सूचना है लेकिन ऐसी वारदातों के होने के पहले ही ऐक्शन नहीं लिया गया। 22 तारीख को या 23 तारीख की सुबह इस पर नियन्त्रण किया जा सकता था यह मेरा मत है। इसमें गोलियां चलीं और फिर कर्फ्यू का एलान हुआ। एक बार साढ़े 6 बजे और 7 बजे के बीच 5 मुहल्लों में कर्फ्यू का एलान हुआ और फिर आधे घन्टे बाद करीब 7 बजे पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। सबेरे 8 बजे शहर में कर्फ्यू खत्म किया गया और पुराने मुहल्लों में लगा रहा। श्रीमन्, कर्फ्यू में जो ज्यादतियां हुईं, मैंने मुख्य मन्त्री जी को भी पत्र दिनांक 24 अक्तूबर, 1977 को लिखा है, मिल गया होगा। मैं खुद गुदौलिया आफिस में था लेकिन जिला अधिकारियों ने लेक्सी रोड, चौक रोड, चेतगंज से जो लोग दशाश्वमेधघाट स्नान के लिए जाते हैं उनको बेरिकेट लगा कर उनका रास्ता रोक दिया। जगतवाड़ी पांडे हौली, आदि जो जगहें हैं वह गुदौलिया से 2-3 फर्लांग दूर दक्षिण है। मैं वहां था मुझे पी0 ए0 सी0 के हवलदार ने गुदौलिया चौराहे पर बुलाकर पूछा आप कहां जा रहे हैं मैंने कहा कि पीछे चाय पीने, इस पर उसने कहा आपको गोली मार दी जाएगी और यह भी कहा कि इनको हथकड़ी लगा कर थाने ले जाया जाय। मैं स्वयं थाने में गया तो वहां श्री शतरुद्र प्रकाश जी मिले। वहां एस0 एस0 पी0, डी0 एम0 आदि थे। उनसे उक्त शिकायत मैंने की और लिखकर भी दिया कि गुदौलिया पर तीन चार फर्लांग दूर से ही लोगों को क्यों रोका गया है? कर्फ्यू में जिस तरह से ज्यादती हुई है, जिनको आने जाने की सुविधायें दी गई थीं उनके साथ भी ज्यादती हुई, दूकानें लूटी गई और आग लगा दी गई।

श्रीमन्, जिस तरह से पूरे शहर में छुरेबाजी की घटनायें हुईं वह बहुत ही दर्दनाक थी मैं जानना चाहता हूं कि जब कर्फ्यू लगा दिया गया सिनेमा घरों को पूरी तरह खाली क्यों नहीं कराया गया जब कि उन्हें खाली करा देना चाहिए था। यह प्रशासन की जिम्मेदारी होती है या नहीं? लेकिन सिनेमाघरों को खाली नहीं कराया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि सिनेमा से जो लोग साढ़े 9 बजे निकले थे चाहे हिन्दू सम्प्रदाय के रहे हों, चाहे मुसलमान सम्प्रदाय के रहे हों, जो छुरेबाजी की घटनायें हुईं वे उसी वक्त हुई उत्तेजना इतनी थीं मैं गुदौलिया में उस समय मौजूद था, लाखों आदमियों की भीड़ मदनपुरा की ओर आठ-साढ़े आठ बजे रात जाती रही। तो उत्तेजना तो चरमसीमा पर थी।

मेरा चार्ज है कि यदि शासन ने मुस्तैदी से काम लिया होता तो ये घटनायें वाराणसी जैसे सांस्कृतिक नगरी में न घटतीं। मुझे आश्चर्य तब हुआ, जब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने नैनीताल में एक वक्तव्य दिया, जिसकी ओर श्यामधर मिश्र जी ने भी ध्यान दिलाया कि लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में जो साम्प्रदायिक दंगा कराया गया है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने कराया है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है अगर मुख्य मन्त्री जी खाली रामनरेश यादव की हैसियत से बयान देते, तो मुझे कोई ताज्जुब न होता लेकिन उन्होंने मुख्य मन्त्री की हैसियत से इतना गलत, असत्य और गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य जो दिया, उससे मुझे सबसे ज्यादा दुःख हुआ। पिछली बार जब यहीं लखनऊ और कानपुर की घटना पर चर्चा हो रही थी, तो श्रीमन्, उस वक्त भी मैंने कहा था कि हम

[श्री ऊदल]
और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी, जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखती है और सभी सम्प्रदायों को परस्पर मिलाकर चलाने वाली पार्टी है, आपके साथ पूरा सहयोग करने को तैयार है और जहां भी जरूरत होगी हम आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर इस मसले को पूरी तरह हल करने की कोशिश करेंगे।

मैंने यह भी कहा था कि आप बयान दे दीजिए। उन्होंने बयान बना लिया था, उन्होंने टेलीफोन पर बताया कि मैंने तुम्हारी ओर से यह बयान बना लिया है। मैंने कहा कोई एतराज नहीं है आप बयान मेरी ओर से भी दे दीजिए। उस वक्त इन्होंने मुझे बुलाया। बुलाने पर मैं उनके बंगले पर हाजिर हुआ। उसके बावजूद ऐसे गैर जिम्मेदाराना ढंग से उन्होंने इस दंगे के सम्बन्ध में अपना बयान दे दिया। मैं समझता हूं कि इसका क्लेश हर धर्म निरपेक्षता के मानने वाले व्यक्ति को जरूर होगा। इसलिए मैंने कहा जब न्यायिक जांच की मांग हो रही है, तो उसमें इस बात को भी अवश्य रखना चाहिए। मैं उनसे मांग करता हूं कि उसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या दंगा कराया और कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या दंगा कराया यह रखना चाहिए, जनता पार्टी ने या जनता पार्टी के घटकों ने, घटक तो अब रहे नहीं, तो जनता पार्टी या आर० एस० एस० ने क्या दंगा कराया, यह रखना चाहिए। तो जांच के अन्तर्गत यह प्रश्न बनाने चाहिए।

उसके अलावा जो साम्प्रदायिक लोग हैं, जो किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखते, जो गुन्डा तत्व हैं, जो ऐसे मौके से फायदा उठाते हैं और शासन को भी बदनाम करते हैं, देश की शान्त व्यवस्था को खतरा पहुंचाते हैं, उनको भी जांच में एक मुद्दा बनाना चाहिए कि इस दंगे में उनका क्या रोल रहा। तो इन सबको उसके टर्म्स आफ रेफरेंन्स में होना चाहिए। मैं कोई चार्ज नहीं लगाना चाहता गैर जिम्मेदारी की जिस तरह की बात माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कही है, मैं वैसी बात कहना नहीं चाहता। यद्यपि चार्ज मैं लगा सकता हूं और उन घटकों पर लगा सकता हूं लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जो न्यायिक जांच की मांग उन्होंने मान ली है, जिसकी घोषणा की है, उसकी परिधि में इन सब बातों को ले आना बहुत ही जरूरी है। उसमें यह भी आना चाहिए कि बनारस जिले में प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनकी अक्षमता की वजह से या उनके ठीक से, समय से दखल न देने की वजह से यह गड़बड़ी हुई है, यह खून-खुरेजी बनारस में हो गई है। इसलिए उसका व्यापक टर्म्स आफ रेफरेंस बनाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं फिर कहना चाहता हूं, बनारस जैसी सांस्कृतिक नगरी में जो दुर्भाग्यपूर्व घटना हो गई उसके लिए हमें बड़ा खेद है और बनारस के नागरिकों और जिले की जनता से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक एकता बनाने में, शान्ति को सुरक्षित रखने में, आपसी सद्भावना को बनाने में वाराणसी की आम जनता एक जुट हो कर रहेगी और भाईचारे के साथ सभी सम्प्रदाय के लोग सहयोग करेंगे। इसी से देश और प्रदेश का कल्याण होगा और साम्प्रदायिक एकता बनी रहेगी।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय.....

श्री रणजीत सिंह "जूदेव" (जिला झांसी)--

अध्यक्ष जी, खबर आयी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस्तीफा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। आप लोग शान्त रहिए। इस तरह के हलकी बातों की तरफ आप लोग क्यों ध्यान देते हैं?

श्री हबीब अहमद--

सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस ऐवान में यह एलान किया कि बनारस के मसले के सिलसिले मे जुडीशियल प्रोब का भी आर्डर है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। यह एक ऐसा मसला है कि जुडीशियल इनक्वायरी का माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ऐलान करके बहुत सी बातें जो हाउस में आज कही जा सकती थीं, उनकी जरूरत महसूस नहीं होती। जडीशियल इन्क्वायरी से यह मसला हल हो जायगा और जो सही बात है वह सामने आ जाएगी। अभी हमने देखा कि यहां मुख्तलिफ दलों के माननीय सदस्यों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही कह देना बेहतर समझता हूं कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस किस्म के जब भी दंगे हो जाया करते थे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार खुद न ले कर जनसंघ के ऊपर डाल दिया करती थी।

आज बनारस के जो वाकयात वनुमां हुए कुछ साथियों ने उसी किस्म का जिक्र आज भी किया और इसकी जम्मेदारी कांग्रेस पर डाल दी। इस समय आज जनता पार्टी की सरकार है। बजाय इसके कि वह इस बात की छानबीन करते और इस बात की कोशिश करते कि लोगों के जान व माल की हिफाजत होनी चाहिये सबके जान व माल की रक्षा होनी चाहिए, कुछ लोगों ने यह कह दिया कि यह दंगा कांग्रेस ने कराया हमारा इससे मतलब नहीं है कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी जन संघ ने कराया या आज जब जनता की सरकार है तो कांग्रेस के लोग दंगा कराते हैं। हो सकता है कांग्रेस ने दंगा कराया हो लेकिन हुकूमत की कुर्सी हासिल करने के बाद हमारा मकसद तो सिर्फ यह है, हम यह चाहते हैं कि कोई भी हुकूमत हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी जान माल के तहफ्फुज की हैं चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय से ताल्लुक रखता हो, हिन्दू हो या मुसलमान सबके जान व माल का तहफ्फुज होना चाहिए। हमने इन दंगों में यह भी देखा है कि जिस तरह तमाम शिकायतें पुलिस और पी० ए० सी० की कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रहीं। वही आज भी हैं। बजाय इसके कि उनके जरिए से जान व माल की हिफाजत होती जो दंगा हुआ है इन लोगों ने मौके पर कर्फ्यू लग जाने पर जान माल का नुकसान लूटमार का वह तरीका अपनाया ह जिससे हमारी नेशन इमेज खराब होती है। जिन लोगों को जान व माल का तहफ्फुज करना चाहिए वह खुद लूटमार में शामिल हो जाते हैं, बजाय इसके कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाएं वह घुद एक पार्टी बन जाते हैं। यह एक बहुत अफसोसनाक पहलू है - हमारी सारी तवज्जह इस पर होना चाहिये कि इस किस्म के रवायात जो चले आ रहे हैं इन पर रोक होनी चाहिए। कोई भी हुकूमत हो उसको एक दाम सख्त करना चाहिए, अगर पुलिस और पी० ए० सी० काबू में नहीं आती तो चाहे पूरा

[श्री हबीब अहमद]

रिआर्गनाइज करना पड़े करके ऐसे लोगों को बिठाइए जो अपनी जिम्मेदारी खूबी और इन्साफ के साथ निभा सकें।

इस वाक्ये के सिलसिले में यह कहना चाहता हूं जो 23 तारीख को हुआ है यह दुर्गा का विसर्जन जो 22 तारीख कोहोना चाहिए, लेकिन 23 तारीख को यह बताया गया कि एक मूर्ति रह गयी है और उसका विसर्जन 23 तारीख को होगा। 22 तारीख को जब फन्कशन होना था तो 23 को कैसे हो गया? कोई भी झगड़ा कहीं पर कुछ लोगों की गलितयों से जरूर हो सकता है। अगर अचानक हो जाए तो अफसरान की बहुत अधिक जिम्मेदारी नहीं मानी जाती है।

बनारस का वाकया 22 तारीख को जो जुलूस निकल चुका था और मूर्ति का विसर्जन हो चुका था और अफसरान को मालूम हो गया था कि जुलूस किस ओर से निकले तो इस बीच अफसरानों को काफी मौका मिल गया था। अगर एक बारगी झगड़ा हो गया होता तो हम सोचते कि अफसरान ने लापरवाही नहीं बरती। अगर 22 तारीख को फंकशन होना था तो 23 तारीख को क्यों हुआ। अगर 23 को होना था तो सुबह या दोपहर को हो जाना चाहिए था। यह झगड़ा एवसीडेन्टल नहीं है। कौन इसका जिम्मेदार है यह सारी चीजें जुडीशियल प्रोब है उसमें आ जाएगी। अब मैं पुलिस की ज्यादतियों की बात कहना चाहता हूं। पुलिस और पी0 ए0 सी0 जो ज्यादतियां करती हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। लोगों के घरों में घुस कर सामान लूट लेते हैं और उनको मारते हैं। इस चीज की रोक थाम होनी चाहिय। मुझे आशा है कि मुख्य मन्त्री जो इस बात पर ध्यान देंगे और इसको हल करने के लिए कोई तरीका निकालेंगे और जो दोषी लोग हों, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

माननीय, मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मुझे अब एक दो बातें और कहनी रह गयी हैं जिन लोगों को जानें गयी हैं उनको 5 हजार रुपया माननीय मुख्य मन्त्री जी ने देने का एलान किया है। आपने देखा है कि नैनी (इलाहाबाद) में जो रेल दुर्घटना हुई उसमें जिन लोगों की जानें गयीं हैं उनके परिवार वालों को 50,000 रुपया मुआवजा देने का एलान किया गया है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस पर भी विचार करें कि जिन लोगों की जानें गयीं। उनके परिवार वालों को मुनासिब मुआवजा मिल सके। आखिर में, मै एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार लखनऊ कानपुर और वाराणसी में झगड़े हुए हैं उसी प्रकार से देवरिया और आजमगढ़ में भी कुछ झगड़े हुए हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से आशा करता हूं कि वह उनकी भी जांच इसी तरह कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। मान्यवर, बनारस के अलावा बस्ती, देवरिया और आजमगढ़ में क्या हुआ? जो कि माननीय मुख्य मन्त्री जी का क्षेत्र है। वहां भी इसी तरीके के वाकिए हुए हैं। अब इसके सम्बन्ध में भी जांच के लिए अगर वह कुछ आश्वासन दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि इन लोगों के साथ भी इन्साफ हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो अफसरान हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं, उनका कहीं न कहीं तबादला अवश्य कर दिया जाए ताकि वहां की जनता को कुछ संतोष हो सके।

*श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, वाराणसी के इस दुर्भाग्यपूर्ण कांड पर आपने संसदीय प्रणाली के अनुसार दो घंटे का समय दे कर संसदीय जीवन की रक्षा की है। उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। मुख्य मंत्री जी ने जुडिशियल इन्क्वायरी का आश्वासन दे दिया है फिर भी मैं ने वहां का सदस्य होने के नाते घटनास्थल पर और नेताओं के आने जाने के समय जो कुछ देखा है, उससे सम्बन्धित कुछ तथ्यों से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

मान्यवर, जब कोई इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है तो चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष का या विरोधी पक्ष का उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि लगी हुई आग को वहां जाकर बुझाए और वहां जा कर कोई ऐसा काम न करे जिससे उस जलती हुई आग में और घी पड़ जाए और वह आग भड़क उठे।

एक तथ्य मैं माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं कि हमारे नेता विरोधी दल जब वाराणसी इन्क्यारी के लिए गये तो पडाकिर भवन में प्रेस कांफेन्स के समय उन्होंने अपनी बड़े नाटकीय ढंग से जेब में हाथ डाल कर एक रुमाल निकाला उसके साथ कुछ फटे हुए पन्ने वहां पत्रकारों को दिखाए जो एक धार्मिक ग्रन्थ के थे।

मैं वहां के पत्रकारों को बधाई देना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने वहां पर कहा, उसको उन लोगों ने नहीं छापा नहीं तो आग और भड़क जाती। मुझे यह बात कहने में बड़ी शर्म आ रही है कि एक ऐसे संसदविद् जिनके प्रति मेरी श्रद्धा रही है, उन्होंने प्रदेश का शासन चलाया है और जो संसदीय प्रणाली के मर्मज्ञ हैं, ने इस तरह की बात कही जिसे वहां के लोकल अखबारों ने अपने संपादकीय में लिखा है। आप उन्हें देख सकते हैं।

मैं 23 तारीख से बनारस में रुका रहा। औरंगाबाद में मेरे एक मित्र ने बताया कि कुछ लोग भाग कर आए हैं। आठ गुन्डे थे जिन्होंने एक केन्द्रीय नेता के घर में शरण ली तो मैं जानना चाहता हूं कि वे आठ लोग कौन थे? जिन्होंने पंडित कमलापति त्रिपाठी के घर में शरण ली थी और बनारस में आग लगाई?

यहां एक फैशन सा हो गया है कि जब कभी कोई ऐसी बात हो जाती है कोई दंगा हो जाता है तो कहा जाता है कि इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक शक्ति अवश्य है जो तथ्य हैं मैं उन्हें बताऊंगा। कभी-कभी यह बात सुनने को मिलती है कि आर0 एस0 एस0 का नाम ले लिया जाता है। आप आर0एस0एस0 का नाम ले लेते हैं मैं पूछता हूं कि जब शाही इमाम पर अत्याचार हो रहे थे तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ही एक कार्यकर्ता ने जिनके नाम से आप सब लोग परिचित हैं श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने दिल्ली में क्या कहा था? उसके बाद हिन्दू और मुसलमानों को अलग-अलग करके फिरका परस्ती करके शासन चलाया गया है। अब हमारी दोनों लोगों की आँख खुल गई हैं। मैं तो खुले रूप में कहना चाहता हूं कि बनारस में जो घटना हुई है उसमें कांग्रेस के लोगों का सीधे हाथ था। जिस घर से रिवाल्वर पकड़ा गया है वह कौन व्यक्ति है, इस प्रदेश के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम देव]—

सामने एक प्रश्न वाचक चिन्ह बन गया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया और हमने भी प्रशासन के लोगों को बताया कि उन्होंने राजनीतिक तीर चलाया है, वे एक जगह पर दावत खा रहे थे। कुछ योजना वहाँ पर बना रहे थे, कुछ षड़यन्त्र कर रहे थे। यदि वे इस प्रकार के बयान दें तो इस प्रदेश के हिन्दू और मुसलमान, जो भाई-भाई हैं, वे क्या समझेंगे? इन लोगों ने काशी नगरी की शान्ति को भंग करने की पूरी योजना बनाई थी। जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, उसके समक्ष पर्दाफाश करने में हमको कुछ बातें बतानी पड़ेगी लेकिन देवनाथ पुरा वह मुहल्ला है जहाँ पर हिन्दू मुस्लिम भाई जो इस घटना में सताए गए हैं, त्रस्त हुए हैं और जिनके ऊपर रिवाल्वर चलाए गए हैं। कई दिन तक घटना स्थल पर हम लोगों ने जिलाधिकारियों के साथ सेवा की है।

मैं समझता हूं कि किसी अधिकारी पर आक्षेप करना ठीक नहीं है। मैंने स्वयं कन्ट्रोल रूम में देखा है कि वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी वर्दियाँ पहने सेवा काम में लगे हुए हैं। इसके बाद टाउन हाल में बनारस के जितने जन प्रतिनिधि हैं सब लोगों ने और प्रशासन के लोगों ने तय किया कि एक शान्ति समिति बनाई जाय। वहाँ पर हमारी सरकार के 2 मन्त्री थे। हमने सोचा कि इस बारे में कुछ और कार्यक्रम चलाए जायं लेकिन वहाँ पर एक दल की नत्री ने, जो वहाँ पर बैठी थीं, जिसको हम ही नहीं सारा प्रदेश जानता है, ऐसा काम किया जिससे सारे काम में ही बाधा पड़ गयी। तो ये क्या बताते हैं कि जो लोग कहते हैं कि झगड़ों में आर0एस0एस0 और जनसंघ का हाथ होता है। उन्हें सोचना चाहिए क्योंकि उनकी करतूत खुल गई है। मैं चाहूंगा कि अपनी करतूतों और पापों को छुपाने के लिए उन्हें अपने दामन की ओर देखना चाहिए न कि दूसरों के दामन की ओर। अन्त में मैं चाहूंगा कि इस आग को दबाने के लिए कोई तरीका अपनाना चाहिए जिससे यह न उभर पाए। जुडिशियल इंक्वायरी तो हो रही है मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो लोग इस दंगे में घायल हुए हैं, उन लोगों को राहत मिलनी चाहिए।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, बनारस में हुए दंगे की वजह से इस प्रदेश के अन्दर एक ऐसा वातावरण और माहौल बना है जिससे पूरे सूबे के हर बुद्धिजीवी, जनसेवी और हर व्यक्ति इससे दुखित है। आज चाहे माननीय नेता विरोधी दल पर आरोप लगे या माननीय मुख्य मन्त्री के ऊपर लगे अच्छा होता यदि दोनों और इस सदन के माननीय सदस्य इस बात की जानकारी करते कि यह दंगा कहाँ से हो रहा है और इस दंगे के पीछे किन तत्वों का हाथ है? चाहे उधर के लोगों का हाथ हो, चाहे इधर के लोगों का हाथ हो, दोनों ओर के लोगों को मिलकर के इन तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे दुख है कि बनारस की घटना जो मूर्ति विसर्जन को लेकर हुई उसमें आप कहते हैं कि कांग्रेस के लोग दोषी हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी मेरे समाजवादी मित्र हैं। आप मुख्य मन्त्री की हैसियत से अपना दायित्व समझते होंगे। आपको शोभा नहीं देता यह कहना। अगर कांग्रेस के लोग दोषी थे तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस के लोग दोषी हैं, और एक तरफ कहते हैं कि कम्युनिस्ट लोग दोषी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्: साम्प्रदायिक दंगे सें जनता में अशान्ति का वातावरण फैलाने वाली काली शक्तियाँ चाहे जो भी हों, वह अगर अपना राजनीतिक रंग लेकर जनता को तबाही और बरबादी की ओर ले जा रही हैं तो आप सरकार हैं, आप सरकार चलाते हैं। उन शक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करें और हर कौमी सदस्य की जिम्मेदारी है, चाहे वह इधर की कुर्सी पर बैठने वाले हों या उधर की कुर्सी पर बैठने वाले लोग हों। 30 साल से मुख्य मन्त्री जी हमारे साथ बैठते थे, तो कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि पुलिस के खिलाफ मैजिस्ट्रेट की जाँच बैठा दी है। इससे काम नहीं चलने वाला है। यह सारी स्थिति जो कानपुर की, लखनऊ की घटनाओं को लेकर हुई, मुख्य मन्त्री जी इंकार नहीं कर सकते हैं कि लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में जो भी अप्रिय घटनाएं हुयीं इससे सरकार के ही लोग नहीं दुखी हैं, हम लोग भी विपक्ष के दुखी हैं। अच्छा होता कि मैजिस्ट्रेट की जाँच बैठाने से पहले इस सदन में घोषणा करते कि पक्ष और विपक्ष के सदस्य और मन्त्रि मण्डल के लोग मिल कर इस घटना की जाँच करेंगे।

तीन जनपदों में अभूतपूर्व घटनाएं हुई हैं तो कठोर से कठोर कार्यवाही की घोषणा हुई होती, लेकिन इस दंगे के पीछे क्या राज है? कुछ राजनीतिक मतभेद हुआ करते हैं जो लोग सत्ता और कुर्सी को पकड़े हुए रहते हैं और उसी के पीछे सारी कार्यवाहियाँ करते हैं। इधर वालों को बुरा कहने वाले लोगों को पहले अपने बीच में बैठे हुए लोगों की तरफ भी देखना चाहिए, जो आज आपके बीच में और हमारे भी बीच में बने हैं, वह लोग ही दंगा करवाते हैं और करवा रहे हैं। उनसे आप परिचित हैं। हमारे बहुत से मन्त्री जागरुक हैं, वह जानते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत बड़े दिल्ली के सिंहासन पर उनको बैठा लिया है, उनमें क्षमता नहीं है कि उनके विरुद्ध कुछ कह सकें। हमारे लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अन्दर विभिन्न सूबों में घटनाएं हो रही हैं इन घटनाओं के पीछे जो साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं उनके पीछे जनसंघ और आर0एस0एस0 का हाथ है उस के सम्बन्ध में जय प्रकाश जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार इन तत्वों के विरुद्ध जो साम्प्रदायिक दंगे फैलाते हैं, अविलम्ब कार्यवाही करे।

आज बड़े दावे से कहा जा सकता है कि इस्तीफा दो। इस्तीफों से काम नहीं चलने वाला है। अगर इस्तीफा देते हैं और जनता की जिम्मेदारी से मुकरते हैं तो हमारा तो फायदा है। लेकिन आपको जनता दुबारा इस सदन में इतनी भारी संख्या में भेजने को तैयार नहीं है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। मुख्य मन्त्री जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण जी की कृपा से उत्तर प्रदेश का दायित्व आपके ऊपर सौंपा गया है। उन गरीब लोगों की कितनी झोपड़ियाँ जलाई गयीं। कितनी माँ और बहनों का सुहाग लूट लिया गया। कितने लोग आज दुखी और पीड़ित हैं। आपने सहायता की घोषणा की है 5 हजार रुपए जो मर गए हैं उनको और ढाई हजार रुपए जो घायल हो गए हैं, उन्हें। हम लोग भी तैयार हैं, आपके साथ हमारी भी हमदर्दी है और इस सरकार के साथ खासतौर से हम सब लोगों की हमदर्दी है। माननीय तिवारी जी के प्रति आपको शंका है। शंका नहीं होनी चाहिए। यह भी समाजवादी रह चुके हैं। इन्होंने पिछले कार्य क्या किए वह दुहाई मत दें। सारे लोग गम्भीरता-

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

पूर्वक इस पर विचार करें। मेरा अब भी आरोप है कि लखनऊ, कानपुर, बनारस की घटनाओं के पीछे आर0एस0एस0 और जनसंघ का हाथ है। इनके रहते हुए इस प्रदेश में शान्ति व्यवस्था नहीं रह सकती यह मेरा दावा है।

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, वाराणसी के दंगे के बारे में हमारे अनेक मित्रों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। माननीय मुख्य मन्त्री ने सबसे पहले न्यायिक जाँच का आश्वासन देकर काफी लोगों को सान्त्वना दी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थिति बताई गयी यह ऐसी स्थिति है कि आज प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती है तो जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री जी उसकी न्यायिक जाँच या मैजिस्टीरियल इंक्वायरी या सी0आई0डी0 से इंक्वायरी कराने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं कि यह सरकार माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार की तरह नहीं है कि चाहे मुजफ्फर-नगर में गोली चले, चाहे प्रदेश के अन्य भाग में गोली चले उल्टे उन्हीं लोगों को जेल भेज देते थे। आज भी बनारस में अशान्ति का वातावरण है। कारण क्या है? हिन्दू मुसलमान जो लोग जनता पार्टी के चुनाव में लोक सभा से लेकर विधान सभा तक एक रहे उस एकता को छिन्न-भिन्न करने के लिए हमारे कांग्रेस के मित्र और सरकारी अधिकारीगण मिल कर कार्य कर रहे हैं।

वहाँ पर आज भी मुसलमान चाहते हैं कि पूजा का जलूस निकले, लेकिन गुण्डे और कुछ प्रभावशाली ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अशान्ति हो और जनता पार्टी की प्रतिष्ठा गिरे और वातावरण खराब हो। वहाँ शाह को जिनके खिलाफ तीन-तीन विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है, मेरठ के कोर्ट में सेशन में मुकदमा चल रहा है, मुख्य मन्त्री को बताया नहीं गया, अतिरिक्त आई0जी0 बना दिया गया। ऐसे अधिकारी जो 30 साल के वातावरण में पले हैं, जो हमारे भाई नारायण दत्तजी की पार्टी के शुभ चिन्तक हैं और चाहते हैं कि यह सरकार बदनाम हो जरा उन पर निगाह रख। शिव प्रसाद वहाँ पर अतिरिक्त कमिश्नर हैं जिनकी वजह से वहाँ पर दंगा हुआ है। मैं चाहूंगा..... (व्यवधान) कि वहाँ जो रामलीला नहीं हो पा रही है वह कराई जाय। समय से वह समाप्त भी हो। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

साथ ही वहाँ के पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों को जिनके कारण यह स्थिति हुई मुअत्तल करना चाहिए। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उनका अविलम्ब वहाँ से ट्रान्सफर होना चाहिए। जो गुण्डे वहाँ के वातावरण को खराब किए हुए हैं, जिनके कारण हिन्दू-मुसलिम एकता छिन्न-भिन्न हो रही है उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए तथा वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए तुरन्त कोई उपाय करना चाहिए। अगर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायगी तो जनता में आतंक का वातावरण बढ़ता जायगा। उससे न्यायिक जाँच में भी बाधा बढ़ेगी। जहाँ तक न्यायिक जाँच की घोषणा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने की है उसका मैं स्वागत करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)--

अध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि मैं बनारस के हालात पर कुछ कहूं, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को यकीनन तौर पर मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिगड़ती हुई सूरते-हाल को ठीक करने के लिए न्यायिक जाँच का एलान किया। यह एलान न सिर्फ बनारस के लिए, बल्कि कानपुर और लखनऊ के लिए भी किया। यह भी कहा कि लखनऊ के बारे में जो जज जाँच कर रहे हैं वही कानपुर की घटना की भी जाँच करेंगे। उन्होंने जनता की भावनाओं के मुताबिक काम किया उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन यह भी जरूर कहना चाहता हूं कि 3 महीने के अन्दर, जनता सरकार के बनने के बाद, एक सिलसिलेवार जो जगह-जगह पर घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे कोई राज है। उसका जिक्र भी हमारे एक साथी ने किया भी है। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई सभी ने मिलकर जो एक होकर पिछली सरकार जो 30 सालों से जुल्म ढा रही थी, उसके खिलाफ जो काम किया उसके खिलाफ, इस एकता को खत्म करने के लिए एक जाल सा रचा जा रहा है। हममें से कुछ साथी भी उसके शिकार हुए हैं। लखनऊ में कितने ही लोगों को इनामात दिए गए। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए क्या इनामात दिए गए जिन हिन्दुओं ने आगे आकर मुसलमानों की जान बचाई, जिन मुसलमानों ने आगे आकर हिन्दुओं की जाने बचायीं। उनके लिए कोई इनामात का ऐलान नहीं किया गया। इनाम पुलिस वालों को कुछ को दिए गए जिसका नतीजा यह हुआ कि कानपुर और बनारस में तथा और जगहों पर, पूरनपुर और आजमगढ़ आदि में भी यह सिलसिला जारी रहा।

मैं बताना चाहता हूं कि तीस साल के सरकारी ऐडमिनिस्ट्रेशन में सरकार पर कांग्रेस राज्य करती रही। तीस साल में यहां पर ऊंचे-ऊंचे ओहदों पर ज्यादातर कमिटेड लोग हैं। हम चाहते हैं और हमारी सरकार को चाहिए कि कमिटेड इग्जीक्यूटिव नहीं, कमिटेड जूडिशियरी नहीं और कमिटेड पाबन्द अखबार नहीं, उसी तरह से पाबन्द अफसर नहीं, बल्कि ईमानदार अफसर हों, उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। जब आप जूडिशियल इंक्वायरी करा रहे हैं, एक रास्ता और तय कर दीजिए। डाक्टर लोहिया ने कहा है कि जब कभी जूडिशियल इंक्वायरी हो, तो वहाँ के अफसरों को जो बदनाम अफसर हों, जिसे जनता कह चुकी हो कि यह बदनाम अफसर है, उसे हटा दीजिए। मैं माननीय मन्त्री जी को मुबारकबाद देता हूं, जो उन्होंने कानपुर, लखनऊ तथा बनारस की जुडीशियल इंक्वायरी की घोषणा की। जब कभी भी कोई सरकार में हों, तो उसे इसी तरह से चाहिए। कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार ने जनता की माँग को कबूल किया। हम चाहते हैं कि जो पहले अवाम के मुतालबे हुए हैं, उन पर अमल किया जाय।

मान्यवर, मैं इस मौके पर दो-एक बातें तजवीज के तौर पर रखना चाहता हूं कि जुडिशियल इंक्वायरी वक्त के अन्दर हो। साथ ही साथ अवाम के दोनों फिरकों ने नेक-दिली से एक दूसरे का साथ दिया। मुसलमानों ने यह कहा कि हमें जुलूस निकालने में कोई एतराज नहीं है। आप ऐसे लोगों की अवामी कमेटी बना कर ऐडमिनिस्ट्रेशन के उन लोगों पर नजर रखिए जो जनता के इत्तहाद को तहभोवाला करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें पुलिस का बड़ा हाथ है। पी0ए0सी0 और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खान गुफरान जाहिदी]

पुलिस की सेकुलर हिन्दुस्तान में उसकी सेकुलर निजाम होनी चाहिए। पुलिस में परसेंटेज देखा जाय। अगर मेरे साथ चार साथी हों और हमारे साथ कोई जाय, वहां पर एक सिक्ख, एक इसाई, एक हिन्दू, एक मुसलमान हों, तो हम सब मिलकर उसको देखना चाहते हैं। अपने मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उसमें अवाम का एतमाद हो। समाज को ऐडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों विभागों पर भरोसा होना चाहिए। उस ऐडमिनिस्ट्रेशन और उस पुलिस में बिलकुल इस तरह के लोगों की सामोलियत हो कि जिससे मालूम हो कि इसमें हर फिरके के लोग मौजूद हैं। इसमें मुसलमान, सिक्ख, इसाई, हिन्दू सभी लोग हैं, तो हमारा ध्यान बुनियादी सवालों की तरफ जायगा, जुडिशियल इंक्वायरी होगी। दर-असल कहा यह जाता है कि जब जो हुकूमत आती है, वह अपने मुलाजिमों की हिफाजत करती है। बार-बार यह बात कही जाती है कि हम अपने मुलाजिमों की हिफाजत नहीं करते हैं। इस तरह से हमको लड़ाया जाता है। जो गलत लोग उसमें शामिल हों, उन को सजा देना चाहिए। वक्त के अन्दर मामलों की इंक्वायरी होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट सदन में पेश किया जाना चाहिए।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, जब आपकी ओर देखता हूं, तो दृष्टि पड़ती है बापू की उस छविपूर्ण . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए। आप सबकी दृष्टि इधर हो सकती है। आप बैठिए। सबकी दृष्टि उधर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपसे यह कह रहा था कि आपकी ओर दृष्टि डालते ही हम सबकी दृष्टि बापू की ओर ठहरती है। यह बड़े शर्म की बात है कि आज हम फिर एक बार, न जाने कितनी बार साम्प्रदायिकता के जहर के प्रलाप के सम्बन्ध में, साम्प्रदायिकता के जहर के ताण्डव के सम्बन्ध में, जाने कितनी बार पहले यहाँ सदन में चर्चा हुई है। आज हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि फिर ऐसा अवसर मिला है कि हम किसी और विषय पर चर्चा करने के बजाय इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर, साम्प्रदायिकता के दुखद काण्ड के सम्बन्ध में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। श्रीमन्, यह उचित होता कि माननीय मुख्य मन्त्री कृपा करके अन्त में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करते। लेकिन उन्होंने उचित समझा कि वह प्रारम्भ में ही कुछ कहें। न्यायिक जाँच की बात उन्होंने कही।

मैंने, श्रीमन्, आपसे आग्रह किया था कि मुख्य मन्त्री जी लखनऊ की तरह कानपुर में और वाराणसी में न्यायिक जाँच कराएं। उन्होंने इसकी घोषणा की, अच्छा किया। अगर पहले ही कर देते, जब वाराणसी में वह गए थे, तो अधिक उचित होता। खैर, कोई कारण रहे होंगे। लेकिन आज उन्होंने इस सदन में सभी पक्षों की भावना का आदर किया, वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं यह आग्रह करूंगा कि न्यायिक जाँच के परे भी कई कदम उठाने बाकी हैं जो शासकीय हैं। केवल न्यायिक जाँच से काम पूरा नहीं हो जाता।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न्यायिक जाँच उन कारणों पर विचार करेगी जिनसे गोलियां चलीं। किसने चलायीं? ठीक चलीं या नहीं? पुलिस कितनी दोषी है, पी0ए0सी0 कितनी दोषी है, जिला प्रशासन कितना दोषी है आदि के सम्बन्ध में न्यायिक जाँच होगी। लेकिन न्यायिक जाँच से समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, साम्प्रदायिकता का जो विष है उसका शमन नहीं हो जाता है। उसके लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। मुझे अत्यन्त दुख है। मैं इसको पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं देखता।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि कोई भी शासन हो केवल एक पक्ष को देखना नहीं चाहिए। शासन शासन है। अगर शासन का मुख्य अंग या मुख्य प्रणेता ही कहे और पहले ही निर्णय कर ले तो यह कितनी अनुचित बात होती है। कोई और कार्यकर्ता कहता, जो शासन में नहीं है वह कहते, शासन के निचले स्तर के लोग कहते तो दूसरी बात होती। लेकिन शासन के मुख्य स्तर के लोग यह कहना शुरू कर दें कि उधर की जिम्मेदारी है, तो उचित नहीं है। श्रीमन्, यह पार्टी का प्रश्न नहीं है। यह साम्प्रदायिकता के जहर को मिटाने का प्रश्न है। चाहे उधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, सबको साम्प्रदायिकता से लड़ना है। आगे के लिए हमको प्रण करना है कि हम साम्प्रदायिकता के जहर से लड़ेंगे। किसी पार्टी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। साम्प्रदायिकता का जहर जो हमारे अन्दर छुपा रहता है हमें अपने अन्दर उससे संघर्ष करना है कि मेरे अन्दर कितना जहर विद्यमान है। हमको इस जहर को निकाल फेंकना है। यह आरोप लगाने से काम होने वाला नहीं है कि काँग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है।

श्री राम अधार—

केवल इन्दिरा जी को कहा जाता है। सारी काँग्रेस को नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कहाँ इन्दिरा जी आ गयीं। वह दिल्ली में बैठी हैं। वाराणसी में कहाँ आ गयीं?

श्री अध्यक्ष—

राम अधार जी यह अनुचित है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं अपने विद्वान सदस्य से कहूंगा कि आप राम के आधार हैं। आप ऐसी अनर्गल बातें न कहें।

श्री राम अधार—

मैं सारी काँग्रेस की बात नहीं कहता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इसी प्रकार माननीय कमला पति त्रिपाठी का नाम लिया गया। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि श्री कमलापति त्रिपाठी जी से मतभेद हो लेकिन जिस व्यक्ति ने 50 साल साम्प्रदायिकता के लिए संघर्ष किया उसके लिए कह देना कि वह साम्प्रदायिक दंगे करा रहे थे कितनी हेय बात है मैं ऐसे किसी जनेता पार्टी के नेता के लिए ऐसा कहने के लिए तैयार नहीं हूं और इसे राजनैतिक विषय बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। यह हो सकता है कि जो स्थानीय मुहल्लों के

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कायकर्ता हैं उनकी जिम्मेदारी हो सकती है। वह पार्टी के सदस्य हो सकते हैं कि नहीं यह मुझे नहीं मालूम। मैंने जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया और न विधायकों का ही नाम लिया। मैंने अखबार में नहीं देखा कि किसमें क्या छपा है। मैंने तो कहा कि मुझे से ऐसा कहा गया है। चन्द लोगों ने हस्तक्षेप किया। तो हस्तक्षेप का अर्थ क्या है? मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि हमारे मित्रों को बहुत परेशानी है इसलिए अपने मित्रों से कहता हूं कि :—

या रब बता दूं कि फर्क नाशय जो है तुझमें मुझमें,
तेरा दर्द दर्द तनहा मेरा गम गमे जमाना।

इसलिए केवल संकुचित दृष्टिकोण से न देखें। केवल पार्टी के स्वार्थों को न देखें। केवल आरोपों की मृग मरीचिकाओं और कल्पनाओं में विचरण न करें बल्कि देखना यह है कि कहां कमी है। मैं हस्तक्षेप की बात कहता हूं तो उसके लिए शासन को इतना मौका ही नहीं दिया गया। जिला अधिकारी को बिठाया गया तो उनको एक नीति दे देनी चाहिए कि साम्प्रदायिक दंगे नहीं होंगे और फिर यदि होते हैं तो उनको सस्पेंड करें या उनके खिलाफ ऐक्शन लें। लेकिन जिला अधिकारी को नियुक्त किया जाय और उसको 10 किस्म के आर्डर दें कि ऐसा करो, फिर टेलीफोन जाय कि ऐसा करो तो वह गड़बड़ी में पड़ जायगा। इसलिए जब मुख्य मन्त्री जी चले गए थे तो क्या जरूरत थी कि सारे मन्त्री वहाँ दौड़ते ?

एक सदस्य—

संजय गाँधी के लिए आप भी तो दौड़ते थे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

संजय गांधी इसमें कहाँ से आए ?

अब श्रीमन्, मुश्किल है कि इससे मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातों को दोहरा करके हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। मैं तो कह रहा था कि सब मन्त्री वहाँ पहुंच जायं और सब आदेश देने लगें तो कैसे काम चलेगा। अपराधियों का नाम ले लेकर कहने लगे। तो उनके नाम इनको नहीं लेना चाहिए। यह काम तो जिलाधिकारी का है। वहाँ मन्त्री जाकर कहते हैं कि इसको छोड़ो उसको गिरफ्तार करो। तो यह कहने का काम गृह मन्त्री का है और वह आदेश दे सकते हैं कि क्या होगा। और स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी इसकी होती है। लेकिन सब मन्त्री आदेश दें, तो वह क्या करें?

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, अब आप आगे देखें कि कहीं इस प्रकार का झगड़ा न हो, जुडीशियल इंक्वायरी, केवल इस इन्सीडेंट की न हो बल्कि, उस घटना की हो। क्या अब वह रास्ता तय हो गया है? क्या अब दुर्गा पूजा की मूर्ति जो रोकी गयी थी उसके लिए रास्ता तय हो

गया है ? क्या वह झगड़ा फिर नहीं उठेगा ? जैसा कि लखनऊ में अलम में होता है। अलम के बारे में अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। इसलिए न केवल वाराणसी में बल्कि हर साम्प्रदायिक झगड़ों को आपको तय करना है। और श्रीमन, मैं आग्रह करूंगा कि आज जो कारण विद्यमान है जैसे नककटइया का मेला रोक दिया गया, जिस पर झगड़ा हुआ, दुर्गा पूजा रोक दी गयी जिस पर झगड़ा हुआ, तो इनको दूर करने के लिए अगर सब का सहयोग लेना है तो वह हमसे ले सकते हैं। बजाय कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने के उचित होता कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को मुख्य मन्त्री जी बुलाते, कम्युनिस्ट पार्टी के मन्त्री को बुलाते और कहते कि हम साम्प्रदायिकता की लड़ाई में आपका सहयोग चाहते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, अन्यथा न समझें, कि सूबे से खबरें आ रही हैं कि कहीं मन्दिर नहीं बनने दिया जा रहा है तो कहीं मस्जिद नहीं बनने दी जा रही है। मेरा नम्र निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी इस साम्प्रदायिकता की लड़ाई में सहयोग देने के लिए तैयार है बशर्ते कि सहयोग लेने की आपकी नीयत हो। श्रीमान, हमारी पार्टी वह है जिसने गणेश शंकर विद्यार्थी को जन्म दिया, जो शहीद हो गए। गाँधी जी ने अपने को इसको मिटाने के लिए समर्पित कर दिये। इसलिए अन्त में यह कहूंगा कि जो लापता लोग हैं उनका पता होना चाहिए। जो इलाज का प्रबन्ध नहीं किया वह होना चाहिए। और भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसके लिए पूरा प्रयास होनां चाहिए।

*श्री राम नरेश यादव--

बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि जब माननीय नेता विरोधी दल बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनका ध्यान जब आपकी तरफ जाता है तो उसके साथ यह भी कहते हैं कि मेरी दृष्टि महात्मा गाँधी के चित्र की तरफ जाती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी के मन में साम्प्रदायिकता की भावना को समाप्त करने का विचार है लेकिन उनकी कथनी और करनी में सदन के अन्दर ही अन्तर दिखाई पड़ता है क्योंकि जब हम साम्प्रदायिकता के विष को समाप्त करने की चर्चा करते हैं तो यहां पर कभी भी हमारे मन में और वाणी में यह बात नहीं आनी चाहिए कि प्रदेश के कोनों से इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं। इस तरह की चर्चा करके सदन के बाहर इस अग्नि को फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है जिसको यह सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।

यह आरोप जो लगाया गया तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसी भी मन्त्री द्वारा यह आदेश नहीं दिए जाते कि किसको गिरफ्तार करें और किसको छोड़ें। अगर इस तरह की परिपाटी रही है तो उधर के बैठने वाले लोगों की रही है। जनता पार्टी की यह परिपाटी नहीं है। गाँधी जी के चित्र की बात कही गयी तो जनता पार्टी उनके आदर्शों में विश्वास रखती है और इसीलिए न्यायिक जाँच की घोषणा हमने की। इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि उधर बैठे हुए लोग जिस भावना का स्पष्टीकरण करते हैं उस भावना के साथ मन से और हृदय से सरकार का इस कार्य में सहयोग करेंगे। यह मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि वे हमारी सहायता करेंगे ..... (व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री जी के भाषण के बाद इसमें कोई बात नहीं हो सकती।

श्री राम नरेश यादव—

देश की अभिव्यक्ति है और जो शासन को बाधा पहुंचाते हैं तो हमारे और समाज के लिए, प्रदेश के नागरिक के लिए बड़े शर्म की बात होगी। इन शब्दों के साथ मैं पुन: विपक्ष में बैठे लोगों का और सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि इस सन्दर्भ में जो भी सहयोग हो सके शासन के साथ सहयोग करने की दिशा में कदम उठाएं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

एक बात जानना चाहता हूं कि क्या पूरनपुर में गोली काण्ड के बारे में भी कोई वक्तव्य मुख्य मन्त्री जी दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आज तो यह वक्तव्य नहीं रखा गया है।

श्री राम नरेश यादव—

अन्त में मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं. . . . . .

एक सदस्य—

पूरनपुर में गोली काण्ड के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं दे रहे हैं तो बाध्य नहीं कर सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा यह विषय आज नहीं लिया गया है, न कोई आश्वासन ही दिया गया। वहाँ शान्ति स्थापित करने के लिए जो कदम सुझाए, प्रशासनिक व्यवस्था को वहाँ क्या करना है, शान्ति समितियाँ बनाई जानी चाहिए; कर्फ्यू एरिया के बारे में भी कोई सुझाव नहीं माना तो इसलिए इसके विरोध स्वरूप सदन से वाक-आउट करते हैं।

(श्री नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए।)

विभिन्न समितियों के निर्वाचन कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्ति बनाए रखें। मैं सूचित करना चाहता हूं। सदन की कुछ निर्वाचित होने वाली समितियों एवं मन्त्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों तथा कुछ निकायों के निर्वाचन के कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन वापस लेने के लिए आज 4 बजे तक का अन्तिम समय था और इन समितियों का निर्वाचन आवश्यक होने पर 4 और 5 नवम्बर, 1977 को किया जाना था।

उक्त सभी निर्वाचन के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल और नेता सदन की सहमति से यह निश्चय किया गया है कि नामों की वापसी एवं निर्वाचन की तिथियाँ आगे बढ़ा दी जायं।

अतः नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक 17 नवम्बर, 1977 के अपराह्न 4 बजे तक बढ़ा दी गयी है और यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक 22 नवम्बर, 1977 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक कमरा नं० 48 में होगा।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कल अर्थात् 2 नवम्बर, 1977 के मध्याह्न तक नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का समय निर्धारित था और निर्वाचन के लिए 3 नवम्बर, 1977 की तिथि निर्धारित की गयी थी। इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।

सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था यह उठाना चाहता हूं श्रीमन् कि अभी आपने 17 तारीख के लिए कुछ तिथियाँ निश्चित की हैं कमेटी के चुनाव के लिए और माननीय मुख्य मन्त्री जी का प्रस्ताव है, अनिश्चित काल तक के लिए है। दोनों में मेल नहीं है। मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने अनिश्चित काल तक के लिए प्रस्ताव किया है और आपने 17 तारीख के लिए कमेटी के लिए. . . .

(शोर)

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि हाउस 17 तारीख को बैठेगा या नहीं। इसकी सफाई कम से कम की जाय कि बैठेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं खेद के साथ इस बात को सदन में रखना चाहता हूं कि सदन आज, कल और परसों बिजनेस एडवायजरी कमेटी के फैसले के मुताबिक बुलाया गया था और सभी माननीय सदस्य इस सदन के उसी प्रोग्राम के मुताबिक आए थे लेकिन बिना बिजनेस एडवायजरी कमेटी के परामर्श से किन्हीं वजूहात से जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह खेदजनक है और यह माननीय सदन का अवमान है और इसलिए अपमान समझते हुए हम इस सदन का त्याग करते हैं।

(श्री रियासत हुसैन निर्दलीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जैसा कि रियासत हुसैन साहब ने कहा है यह निश्चित था कि तीन तारीख तक सदन बैठेगा और कार्य-मन्त्रणा समिति के मुताबिक कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा भी नहीं है। म्युनिसिपल ऐक्ट पेश किया गया था, वह लम्बित है और बहुत से अन्य विधेयक पेश

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

किए गए थे वे भी लम्बित हैं तो फिर कौन से कारण अचानक आ गए जिनकी वजह से हमारे सामने यह प्रस्ताव आया है कि अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित किया जाय। उन कारणों को बतलाया जाता। जो अफवाह फैल रही है वह कहीं सच तो नहीं है कि मुख्य मन्त्री जी जाने वाले हैं इसलिए आज यह प्रस्ताव आया है। इस ढंग का प्रस्ताव लाना सदन का अवमान है। लिहाजा मेरा दल भी इसके विरोध में वाक-आउट करता है।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी कम्युनिस्ट दल सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 35 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
1 नवम्बर, 1977

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 413 पर]

सूची

नाम उप निरीक्षक नागरिक पुलिस	नियुक्ति का जिला
1—श्री मिलाप सिंह यादव	आगरा
2—श्री मेवा राम लखोरिया (अनुसूचित जाति) ..	अलीगढ़
3—श्री विश्वनाथ सिंह	,,
4—श्री राम कृष्ण त्रिपाठी	कानपुर
5—श्री पीतम सिंह	,,
6—श्री राज कुमार मिश्र	वाराणसी
7—श्री के0 पी0 सिंह	गोरखपुर
8—श्री रोशन लाल	इलाहाबाद
9—श्री ओम प्रकाश सरस्वत	मथुरा
10—श्री जैनेन्द्र सिंह	हरदोई
11—श्री ज्ञान सिंह	,,
12—श्री मुहम्मद असलम	ललितपुर
13—श्री देवी प्रसाद देवीली	बिजनौर
14—श्री प्रेम पाल सिंह	बुलन्दशहर
15—श्री चन्द्र शेखर सिंह	बहराइच
16—श्री दिलावर सिंह	रामपुर
17—श्री व्यास मुनि मिश्र	जौनपुर
18—श्री महेश कुमार सिंह शेंगर	मैनपुरी
19—श्री हर्षवर्धन नागाइच	,,
20—श्री रणंज्जय सिंह	उन्नाव
21—श्री बाबू लाल ओझा	,,
22—श्री तुलसी राम (अनुसूचित जाति)	,,
23—श्री भीम सिंह	जी0आर0पी0, लखनऊ

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 428 पर)

संलग्नक

	नाम तथा वर्तमान पदनाम	अवधि जब से विभाग में कार्यरत हैं	प्रतिनियुक्ति पर अथवा सचिवालय के संवर्ग के	रिमार्क
1	श्री कैलाश नाथ गोयल, न्याय एवं विधायिका सचिव तथा विधि परामर्शी ।	13-4-1963	उत्तर प्रदेश हायर जुडीशियल सर्विस से प्रतिनियुक्ति पर हैं ।	आरम्भ में उप सचिव एवं उपविधि परामर्शी के पद का कार्यभार ग्रहण किए थे ।
2	श्री बृज राज प्रकाश सिंघल, संयुक्त सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी ।	5-7-1971	उत्तर प्रदेश हायर जुडीशियल सर्विस से प्रतिनियुक्ति पर हैं ।	आरम्भ में उप सचिव एवं उपविधि परामर्शी के पद पर कार्य ग्रहण किए थे ।
3	श्री बी 0 डी 0 अग्रवाल, संयुक्त सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी ।	1-12-1970	उत्तर प्रदेश हायर जुडीशियल सर्विस से प्रतिनियुक्ति पर हैं ।	29-7-69 को उप सचिव एवं उपविधि परामर्शी के पद पर आए, कुछ अवधि के लिए सचिव, उत्तर प्रदेश विधि आयोग के पद पर रहे पुनः 1-12-70 से निरन्तर कार्यरत हैं ।
	श्री भाल चन्द्र शुक्ल, उप सचिव एवं उपविधि परामर्शी ।	29-9-1970	उत्तर प्रदेश हायर जुडीशियल सर्विस से प्रतिनियुक्ति पर हैं ।	आरम्भ में अनु सचिव एवं सहायक विधि परामर्शी के पद पर कार्यभार ग्रहण किए थे ।
5	श्री एम 0 पी 0 टंडन, उप सचिव एवं उपविधि परामर्शी ।	1962	उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं ।	आरम्भ में सहायक शासकीय हस्तांतरक थे, अब 11-2-75 से उप सचिव के रूप में विशिष्ट निःसंवर्गीय पद पर कार्यरत हैं ।

1	2	3	4
6 श्री नारायण प्रसाद, विधायिका एवं संसदीय अनुभाग में सीनियर रिसर्च आफिसर।	1-12-1961	उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं।	वर्तमान विशिष्ट नि:संवर्गीय पद पर दिनांक 11-3-77 से कार्यरत हैं।
7 श्री हरिमोहन गुप्त, विशेष कार्याधिकारी एवं सहायक विधि परामर्शी।	16-1-1961	उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं।	वर्तमान विशिष्ट नि:संवर्गीय पद पर दिनांक 19-8-76 से कार्यरत हैं।
8 श्री नरेश चन्द्र पाठक, सहायक शासकीय हस्तांतरक एवं सहायक विधि परामर्शी।	14-7-1962	उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं।	वर्तमान विशिष्ट नि:संवर्गीय पद पर दिनांक 20-8-76 से कार्यरत हैं।
9 श्री शारदा बाबू, सहायक विधि आलेखक	20-11-1951	उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं।	वर्तमान विशिष्ट नि: संवर्गीय पद पर दिनांक 20-8-76 से कार्यरत हैं।
10 श्री अमर सिंह कोतवाल, पुस्तकाध्यक्ष, विधि परामर्शी पुस्तकालय।	1-6-1962	उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं।	वर्तमान विशिष्ट नि: संवर्गीय पद पर दिनांक 10-3-1974 से कार्यरत हैं। पहले अराजपत्रित पद पर कार्यरत थे।
11 श्री शशि कान्त जैन, अनुभाग अधिकारी	15-5-1972	उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं।	इनको न्याय (विधि मन्त्रणा) अनुभाग से न्याय (रिट) अनुभाग में 1-9-1977 से स्थानान्तरित कर दिया गया है।
12 श्री शेष कुमार लाल, अनुभाग अधिकारी	16-12-1955	उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं।	अनुभाग अधिकारी के पद पर केवल 7 अप्रैल, 1977 से कार्य कर रहे हैं। पहले अराजपत्रित पद पर कार्य करते थे।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ 448 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1977 के 3रे सोमवार के लिए श्री हरि केवल प्रसाद द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या–2 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
2—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, रायबरेली के विरुद्ध बारह पृष्ठीय गबन व भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कोई आरोप-पत्र प्रधान मन्त्री भवन, नई दिल्ली से पत्र सं0 पी0एम0एच0 38/76(राय), दिनाँक 24 अक्तूबर, 1966 द्वारा जाँच व समुचित कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ? यदि हाँ, तो आरोप क्या थे और उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी?	जी हाँ। आरोपों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। आरोपों की जाँच की जा रही है।

राजेन्द्र सिंह,
कृषि मन्त्री।

श्री गिरिजा शंकर तिवारी, जिला कृषि अधिकारी, रायबरेली के विरुद्ध आरोपों की सूची

1—बफर गोदाम, रायबरेली में 12 टन 4 कुन्तल 97 किलो यूरिया खाद जिसकी कीमत लगभग 24,840 रुपया होती है, का गबन।

2—बफर गोदाम, रायबरेली में रिबैगिंग के नाम पर लगभग 1,600 नए बोरों का फर्जी प्रयोग दिखाकर लगभग 5,000 रुपए का गबन।

3—सितम्बर, 75 से जनवरी, 76 तक कुल पांच महीने में पुनः 29 टन यूरिया खाद जिस की कीमत लगभग 78,000 रुपए होती है, का बफर गोदाम रायबरेली द्वारा पुनः गबन।

4—गृह-कर एवं जल-कर के लिए स्वीकृत रु0 17,000 का दुर्विनियोग एवं गबन।

5—मूंगफली की खरीदारी में भ्रष्टाचार एवं घपला।

6—पुराने रेट के उर्वरकों में गबन व घपलेबाजी।

7—कृषि बीज भन्डार, गौरा पर पन्द्रह सोलह हजार रुपए के गबन के मामले में कोई कार्यवाही न कराना।

8—कृषि बीज भन्डार, सेहगों पर लगभग साढ़े पांच हजार का गबन होने के बावजूद केस का दबाया जाना।

9—कृषि बीज भन्डार, इन्हौना, जिला रायबरेली में लाखों रुपये का गबन।

10--टी0 ए0 बिलों का फर्जी आहरण।

11--श्री माता सुमिरन, भूतपूर्व इंचार्ज तथा श्री मुराडू सिंह, भूतपूर्व सहायक विकास अधिकारी कृषि द्वारा अनेक घपले किए जाने के बाद भी उनके विरुद्ध कार्यवाही न करना।

12--बीज भण्डार कुर्री सुदौली में गम्भीर फोरजरी के बावजूद भी कार्यवाही न करना।

13--बफर गोदाम, बछरावाँ के इन्चार्ज श्री संगम लाल से 34 टन खाद का ब्लैक करना तथा हेराफेरी द्वारा उसे ठीक कराना एवं 620 रु0 गलत ढुलाई चार्ज कराना।

14--श्री सरनाम सिंह, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) बछरावाँ ने मार्च, 1973 में एक एकड़ फर्जी ऊसर सुधार दिखाकर जिसमें 80 प्रतिशत का अनुदान दिलाया, मामला प्रकाश में आने पर कार्यवाही न होना।

15--श्री सरनाम सिंह, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा 600 रुपए के दो रह डिमान्सट्रेशन्स बोर्ड न देने का मामला दबा दिया जाना।

16--बीज स्टाक की सस्ते दर पर नीलामी।

17--भ्रष्टाचार की शिकायतों में जाँच न करना।

18--कृषि फार्म, बीबीपुर में एक ट्रैक्टर आपरेटर की अवैधानिक नियुक्ति।

19--श्री हरि शंकर पाण्डे, भूतपूर्व इन्चार्ज को पुनः सेवा में अवैधानिक ढंग से स्थापित करना।

20--नियोजन विभाग के एक प्रचार सहायक को गलत ढंग से स्टोर इन्चार्ज के पद पर नियुक्त करना।

21--भूतपूर्व इंचार्ज श्री राजपाल के विरुद्ध कोई जाँच न करना।

22--कृषि फार्म, दरियापुर, जिला रायबरेली में बोए जाने वाले हरे चारे का दुरुपयोग।

23--चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाओं का दुरुपयोग।

24--गबन से धन अर्जित करके चालीस हजार रुपए की लागत का घर पर ट्रैक्टर खरीदना।

25--भ्रष्टाचार से चल एवं अचल सम्पत्ति का अर्जन।

26--उन्नाव जिले में घपलेबाजी।

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 449 पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र (1977) के 3रे सोमवार के लिए निर्धारित श्री नन्दराम द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
16—कृपया गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपया करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1973-74 में नान-सल्फर-केन-क्रशरों के कितने लाइसेन्स थे और सन् 1976-77 के सीजन में कितने ? क्या यह सही है कि 50 प्रतिशत से अधिक इकाइयाँ बन्द हो गई हैं ? यदि हाँ, बन्द होने का कारण क्या है ? क्या सरकार प्रान्तीय महत्व के इस घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है ? यदि हाँ, तो क्या ?	16—वर्ष 1973-74 व 1976-77 में, प्रदेश के नान-सल्फर-केन क्रशरों के लाइसेन्सों की कुल संख्या क्रमशः 3312 व 2377 थी तदनुसार वर्ष 1973-74 की तुलना में वर्ष 1976-77 में नान-सल्फर केन-क्रशरों के लाइसेन्सों की संख्या में केवल 28 प्रतिशत की कमी हुई। इन इकाइयों के बन्द होने का मुख्य कारण केन्द्रीय आबकारी शुल्क की दर में निरन्तर बढ़ोत्तरी तथा सल्फर-क्रशरों की तुलना में नान-सल्फर क्रशरों के चीनी परते में कमी और उत्पादित चीनी का खराब किस्म का होना है, जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से अलाभप्रद है। तथापि शासन इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक प्रयास कर रही है।

चन्द्रावती,
उद्योग मन्त्री।

पी०ए०सी०पी०—एल० 384 वि० सभा—(862)—1979—835।

उत्तर प्रदेश विधान सभा